खण्ड-213, अंक-2
सोमवार, 12 वैशाख, शक संवत् 1882
(2 मई, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 213 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २ मई, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३१९

अक्षयवर्सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़र्तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दनारायणतिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्धुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बूजबासीलाल, श्री
बूजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री

भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामप्रधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री

बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
बसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हुसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खाँ, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण-उपमन्त्री श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे ।

श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना देना चाहता हूं। आज दस बज कर २५ मिनट पर माननीय राजनारायण, जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं.....

श्री अध्यक्ष—प्रश्नों के बाद सूचना दे सकते हैं, आप।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं इसलिए अभी आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं ताकि उस समय मुझे अवसर मिले कि मैं उस समय अपने विचार प्रकट कर सकूं। इसलिए मैं आपको सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—विचार प्रगट करने का अवसर तो तभी मिलेगा जब मैं मंजूर करूं।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २ मई, १९६०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय के अर्थ एवं संख्या विभाग से एक कर्मचारी का हटना

****१—श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि अर्थ एवं संख्या विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में २३ जनवरी, १९६० को कितने कर्मचारी निकाले गये और उनमें कितनों को नोटिस दिया गया और कितने को नहीं?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—२३ जनवरी, १९६० को अर्थ एवं संख्या विभाग से कोई कर्मचारी निकाला नहीं गया। परन्तु एक कर्मचारी के अवकाश से लौट आने पर एक दूसरे कर्मचारी की अवकाश नियुक्ति का कार्यकाल अपने आप समाप्त हो गया। अतः नोटिस देने का प्रश्न नहीं उठता।

****२—श्री प्रतापसिंह**--क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विभाग में २६ फरवरी, १९६० को कितने लोगों के नाम रोजगार दफ्तर में मांगे गये और उनमें से कितनों को लिया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२६ फरवरी, १९६० को रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गये १२ व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया था और उनमें से ५ व्यक्तियों के नाम आगे की रिक्तियां भरने के लिये स्वीकृत सूची के लिए चुन लिये गये थे।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जिस कर्मचारी को, अवकाश-प्राप्त कर्मचारी के आने के बाद निकाल दिया गया, उसको, भविष्य में जब कोई पोस्ट होगी, तो प्राथमिकता दी जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पहले तो कोई निकाला नहीं गया। दूसरे, इस बात का जिम्मा नहीं लिया जा सकता। कितने ही उम्मीदवार, कितनी जगह, ऐसे होंगे कि यदि कोई जगह खाली होगी, तो उनका हक हो गया होगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे कि जितनी पोस्टों के लिए रोजगार दफ्तर से लोगों को बुलाया गया, उन लोगों का स्पेशल क्लेम होने पर भी उनको नियुक्ति नहीं दी गयी, बल्कि दूसरे लोगों को दी गयी, ऐसा क्यों हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सब १२ व्यक्ति आये, जिनमें ५ चुने गये। ४ को जगह भी मिल चुकी है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष मूल्य निश्चालन सम्बन्धी सुझाव

**३—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) के समक्ष खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव अभी भेजे हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं?

**४—क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त परिषद् के समक्ष हाल ही में इस सम्बन्ध में भी प्रस्ताव भेजे हैं कि कारखाने में बनी जीवनोपयोगी वस्तुओं के (विशेष रूप से उन वस्तुओं के जिनकी कृषि उत्पादकों को उत्पादन व उपभोग में आवश्यकता पड़ती है) एवं कृषि उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में समकक्षता रखी जाय? यदि हां, तो वे क्या हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के लिए सभी मुख्य मंत्रियों ने मूल्य निश्चालन (Holding the price Line) सम्बन्धी अपने विचार भेजे थे। मूल्यों में मुख्य स्थान खाद्यान्नों के मूल्य का है यद्यपि और वस्तुएं, जैसे कारखानों में बनी चीजें, भी ध्यान में थीं। मूल्यों के सन्तुलन का प्रश्न भी सामने था।

चूंकि ये पत्र योजना आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये थे और अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, अतः अपने सुझावों को प्रकाशित करना उचित नहीं प्रतीत होता।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने भी कोई सुझाव इस सम्बन्ध में नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के सामने भेजे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, जहां तक मुझे मालूम है, उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री मैं हूं, इसलिये मैंने भेजा था।

जल-कर में वृद्धि के कारण देहरादून की काश्मीरी सिल्क मिल्स का बन्द होना

**५—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहरादून की स्थानीय काश्मीरी सिल्क मिल्स व दूनवारी से रिफलचर सोसाइटी पहली अप्रैल, सन् १९६० से जल के अभाव में एकाएक बन्द हो गई क्योंकि नगरपालिका ने ५० नया पैसा प्रति हजार गैलन की जगह ४ रुपया प्रति हजार गैलन पानी का टैक्स लगा दिया है जिसकी वजह से २०० मजदूर बेकार हो हो गये हैं? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। जिलाधीश देहरादून द्वारा इस मामले को सुलझा दिया गया है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका से और मिल के प्रबन्धकों के बीच जो पानी के सम्बन्ध में झगड़ा था, जिसका टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया, इसके सम्बन्ध में क्या हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मिल मालिकों ने मान लिया कि उनको पानी का टैक्स देना चाहिए। उन्होंने यह वादा किया कि तीन महीने के अन्दर हम टैक्स दे देंगे।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३–४ श्री ऊदल ने पूछे।

पी० सी०एस० की एक्जीक्यूटिव ब्रांच में चुने अभ्यर्थियों की नियुक्तियां

**६—श्री आनन्दब्रह्म शाह (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५८-५९ में राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा पी० सी० एस० (Executive) के लिये चुन कर भेजे हुये अभ्यर्थियों में से किसानों की नियुक्तियां अब तक नहीं हो पाई हैं?

**७—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त चुने हुये अभ्यर्थियों में शेष की नियुक्तियां कब तक हो सकेंगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५८ की परीक्षा द्वारा यू० पी० सी० एस० (एक्जीक्यूटिव ब्रांच) के लिये चुने गये कुल अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हो चुकी हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत]

लखनऊ में सत्याश्रम का मामला

*१—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायग कि २४-२-६० को सदन में अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देते समय सत्याश्रम, लखनऊ, के खिलाफ शिकायतें लेकर मिशातगंज के कुछ लोगों के एक जलूस के मिलने की चर्चा की थी और वह ३-१०-५९ को उनसे मिला था?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी हां।

*२—श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री को सूचना है कि उक्त जलूस स मुहल्ले वालों का कोई भी सम्बन्ध न था? क्या वह इसकी जांच करा कर बतायेंगे कि जुलूस में सम्मिलित आयोजक व्यक्ति कहां के और कौन थे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं। जलूस में सम्मिलित व्यक्तियों के सम्बन्ध में जांच कराना सम्भव नहीं है।

*३—श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)—दिनांक २४-२-६० को पूछे गये अल्प-सूचित प्रश्न संख्या १-२ के संदर्भ में क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस मकान के मालिक और उसमें नाजायज कब्जा करने वाले के खिलाफ रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट की धारा ८ के अन्तर्गत मुकदमा चलाने की मांग जिलाधीश, लखनऊ से अनेक व्यक्तियों ने की है? यदि हां, तो क्या उन पर मुकदमा चलाने के हेतु सरकार उचित निर्देश करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। जब तक इस मामले की जांच चल रही थी तब तक मुकदमा चलाने के प्रश्न पर कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया था। सरकार की सूचना के अनुसार नाजायज कब्जा करने वाले ने अब स्वयं दुकान खाली कर दी है।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ६-७ श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने और तारांकित प्रश्न १—३ श्री देवी प्रसाद मिश्र ने पूछे।

'सत्याश्रम' के सम्बन्ध में जिलाधीश लखनऊ, खाद्य मंत्री तथा मुख्य मंत्री को स्मृति-पत्र

*४—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—तारीख २४-२-६० के अल्पसूचित प्रश्न संख्या १-२ के उत्तर के क्रम में क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तारीख २३-१२-५७ को एक दरख्वास्त रेन्ट कंट्रोलर, लखनऊ, को निशातगंज के १९ दूकानदारों ने दी थी और तारीख २५-८-५९ को लगभग ५०० हस्ताक्षरों सहित स्मृति-पत्र वहां के शिष्ट-मंडल ने जिलाधीश को मिल कर दिया था और तारीख १-३-६० को एक शिष्ट-मंडल ने खाद्य मन्त्री को स्मृति-पत्र दिया है ? यदि हां, तो इनमें क्या निवेदन किया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां । दूकानदारों की दरख्वास्त में यह निवेदन किया गया था कि मामले की जांच की जाय व दूकान व मकान को खाली कराया जाय तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को सजा दी जावे और मकान मय दूकान के सत्याश्रम को एलाट किया जाय। लेकिन दिनांक २५-८-५९ को कोई स्मृति-पत्र जिलाधीश, लखनऊ को नहीं दिया गया था। दिनांक २१-८-५९ को एक स्मृति-पत्र लगभग ४५० व्यक्तियों के हस्ताक्षर से जिलाधीश को अवश्य दिया गया था। उसमें सत्याश्रम को शीघ्र कब्जा दिलाने के लिए निवेदन किया गया था।

दिनांक १-३-६० को जो स्मृति-पत्र मुझे दिया गया था उसमें निवेदन किया गया है कि परिस्थिति पर सम्यक् विचार किया जाय व एलाटेड मकान पर अविलम्ब कब्जा दिलाया जाय।

*५—श्री राजनारायण (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि तारीख १९-८-५९ को लखनऊ के प्रमुख १५ वकीलों ने जिनमें कुछ विधायक भी हैं सत्याश्रम के सम्बन्ध में जिलाधीश को एक स्मृति-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या निवेदन किया गया है और उसमें हस्ताक्षर किन लोगों के हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। उसमें उन्होंने निवेदन किया था कि एलाट किए हुए मकान का कब्जा सत्याश्रम को शीघ्र दिलाया जाय। उस पत्र में निम्नलिखित व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं :—

१—श्री सहदेव, वकील
२—श्री वी० पी० सक्सेना, वकील
३—श्री एस० के० सक्सेना, वकील
४—श्री बद्रीनाथ दत्त, वकील
५—श्री सोहनलाल निश्चिल
६—श्री आर० एस० त्रिपाठी
७—श्री आर० ए० माथुर, ऐडवोकेट
८—श्री बाबूलाल श्रीवास्तव, एडवोकेट
९—श्री एस० पी० सिंह, वकील
१०—श्री एम० तलहा, वकील
११—श्री एम० हुसेन, एडवोकेट
१२—श्री राजबिहारी लाल, एम० एल० ए०
१३—स्पष्ट नहीं है, एम० एल० ए०
१४—श्री सुखरामदास, एम० एल० ए०, फैजाबाद।

*६—श्री राजनारायण (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि भारत साधू समाज के अध्यक्ष, श्री वेदान्ती जी, और गांधी आश्रम, उत्तर प्रदेश, के मंत्री, श्री रामधारी उपाध्याय, ने, उनको तथा मुख्य मंत्री को सत्याश्रम के सम्बन्ध में पत्र लिखे हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों में क्या निवेदन किया गया है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४—६ श्री देवनारायण भारतीय ने पूछे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां। उक्त पत्रों में भी सत्याश्रम को एलाट किये हुए मकान पर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया गया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अभी माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, इस सम्बन्ध में जो जांच हुई है, क्या यह सही है कि वह जांच लखनऊ जिले के अधिकारियों द्वारा हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब वह मकान सत्याश्रम को दिया जा चुका है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वह शायद किसी तीसरे व्यक्ति को एलाट कर दिया गया है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह मकान उसी शख्स को दिया गया है जिसके लिये कि कमिश्नर ने मना किया था कि उसको न दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नहीं, उसका नाम हंसराज था, जो गैर-कानूनी कब्जा किये हुये था वह तो निकाल दिया गया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस वक्त जिसके नाम एलाट हुआ है वह उसी का नौकर है और उसमें मालिक खुद रह रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसकी जानकारी तो नहीं है, बाकी हमें तो तीसरा व्यक्ति बताया गया है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वह मकान सत्याश्रम को एलाट हुआ था और उस पर इतनी चर्चा भी हुई तो अब वह उसी को किन कारणों से नहीं दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हमसे इसका सम्बन्ध नहीं है। जो उन्होंने मुनासिब समझा किया। जिले वालों से ही इसका सम्बन्ध है।

अवर्षण से रबी को क्षति

*७---श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष जाड़े के मौसम में वर्षा न होने के कारण रबी की उस फसल में जिसकी सिंचाई नहीं हुई कितना कम गल्ला पैदा होगा ?

कृषि उप मंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)---इस प्रकार के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

श्री भूपकिशोर---क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हुए कि गल्ले की कमी है, इसको पूरा करने के लिए कोई उपाय करेंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---प्रश्न में एक कारण पूछा गया है कि उसके कारण कितनी फसल में कमी हुई है। जो फसल में कमी होती है उसके आंकड़े तो हैं, लेकिन किन-किन कारणों से कमी हुई उसके अलग-अलग आंकड़े रखना मुश्किल है, कि कितने पानी के कारण से कमी हुई, कितनी पैसे के कारण से कमी हुई। इसके आंकड़े नहीं हैं। लेकिन इस बात के आंकड़े हैं कि फसल की पैदावार में कितनी कमी हुई।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितना भी नुकसान रबी की पैदावार में हुआ है, वह किसी भी कारण से हुआ हो, उस कमी को पूरा करने पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह तो सारा जो एग्रीकल्चर है यह प्राइवेट सेक्टर में है और उसको सारे को जिम्मेदारी उसके घाटे की सरकार ले यह उसके बूते के बाहर की चीज है।

*८-९---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---[१६ मई, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

[२ मई, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा के भाषण में असत्य का आरोप

*१---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---(जिला सीतापुर) क्या खाद्य मंत्री ९ मार्च, १९५९ को विधान सभा में डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा द्वारा किये गये भाषण के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, सीतापुर, को ऐसा प्रार्थना-पत्र जिसमें किसी थोक विक्रेता के चालीस हजार मन गल्ले के स्टाक की चर्चा थी, कब दिया गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा द्वारा इस आशय की कोई सूचना जिलाधीश सीतापुर, को प्राप्त नहीं हुई।

*२---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि उक्त प्रार्थना-पत्र माननीय सदस्य द्वारा दिया गया था तो क्या उसकी जांच की गई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---प्रश्न नहीं उठता।

*३---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो क्या जांच का परिणाम भी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---प्रश्न नहीं उठता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा महोदय, बतलाने की कृपा करेंगे कि ९ मार्च, १९५९ को माननीय सदन में दी गई स्पीच का क्या आधार था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा जानें कि उन्होंने किस आधार पर कहा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---श्रीमन्, मैंने डाक्टर साहब से ही पूछा था। दिनांक ९ मार्च, सन् १९५९ को माननीय डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा द्वारा दी गई स्पीच जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही शीर्षक पुस्तिका के पृष्ठ ७२१-७२२ पर छपी है, क्या उस असत्यांश को निकालने का आदेश देने की श्रीमन् कृपा करेंगे जो आज सरकार द्वारा दिये गये उत्तर से सत्य प्रमाणित हो गया है ?

श्री अध्यक्ष---यह मुझ से पूछ रहे हैं आप ?

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---श्रीमन्, मैंने पहले डाक्टर साहब से पूछा था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने आपसे प्रार्थना की।

श्री अध्यक्ष---वह तो डाक्टर साहब यहां हैं कहां ? यह सूचना उनको लिखित भेजिए। यह तो कुछ अजीब सी चीज चल रही है।

*४-६---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---[१६ मई, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

ग्रामीण क्षेत्रों में शकर-वितरण व्यवस्था

*७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--ग्रामीण क्षेत्रों में शक्कर वितरण के विषय में १३-८-५९ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के क्रम में क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने जिलों में ऐसे शक्कर के थोक विक्रेताओं को लाइसेंस दिये गये हैं जिन्होंने बेसिक वर्षों में शक्कर का व्यवसाय नहीं किया है? क्या ऐसे लाइसेंस दिये जाने के कारण वहां किसी होलसेलर का न होना है या कोई अन्य कारण है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--१२ जिलों में। कुछ स्थानों में होलसेलर के न होने के कारण लाइसेंस दिये गये तथा अन्य स्थानों में ऐसे व्यापारियों को लाइसेंस दिये गये जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण बेसिक वर्षों में शक्कर का थोक व्यापार न कर सके परन्तु उससे पूर्व के शक्कर के थोक व्यापारी थे। एक स्थान पर एक राजनैतिक पीड़ित को भी लाइसेंस दिया गया।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--ऐसे स्थानों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां होलसेलर के न होने के कारण लाइसेंस दिये गये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर आप चाहें तो मेरे दफ्तर में आकर देख सकते हैं।

आगरा में राजकीय डेरी की स्थापना का आयोजन

*८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आगरा में सहकारी डेरी फार्म खोलने की जो योजना बनाई थी उस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

सहकारिता उप मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--वर्ष १९५७-५८ में स्थापित होने वाली सहकारी डेरी अब राजकीय डेरी होगी, न कि डेरी फार्म। इस डेरी के लिये आर्थिक वर्ष १९५८-५९ में २,०४,००० रु० के दुग्ध यंत्र और दुग्ध साज सज्जा की खरीदारी कर ली गयी। १९-१२-५९ को डेरी के लिये भूमि प्राप्त करके पी० डब्ल्यू० डी० को भवन निर्माण के लिये ८-१-६० को दे दिया गया। पी० डब्ल्यू० डी० को सरकार द्वारा आदेश भवन निर्माण के लिये जारी कर दिये गये हैं। ३१-३-६० तक भवन निर्माण के सम्बन्ध में १०,००० रु० खर्च हो चुका है।

*९--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस डेरी फार्म के चालू होने की कब तक सम्भावना है? क्या यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चालू हो जावेगी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--राजकीय डेरी की स्थापना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतायेगी कि इस डेरी द्वारा जो दूध आदि सप्लाई किया जायगा वह केवल अपनी डेरी के पशुओं का होगा या दूसरे लोगों से खरीद कर के भी बेचा जायगा?

श्री मोहनलाल गौतम--यह जो डेरी बन रही है वह जानवर नहीं पालती बल्कि कोआपरेटिव डेरी इस तरह से बनती हैं कि उसके मेम्बर लोग बनते हैं जो खुद अपने जानवर पालते हैं। उनसे दूध लेकर दिया जाता है अभी तक हमारे यहां कोई ऐसी डेरी नहीं है जहां तक मुझे याद है कि जहां खुद जानवर पाले जाते हों।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतायेगी कि क्या उसमें जो दूध खरीदा या बेंचा जायगा वह केवल उसके सदस्यों का होगा या और लोगों का भी?

श्री मोहनलाल गौतम—जो लोग दूध देते हैं वे मेम्बर बन जाते हैं क्योंकि उनको बहुत से फायदे होते हैं।

*१०-११—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[१६ मई, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१२-१४—श्री गेंदा सिंह—[१६ मई, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

गेहूं व चावल का क्रय

*१५—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी किसानों से गेहूं व चावल का प्रोक्योरमेंट करने जा रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—किसानों से पिछले वर्ष कोई खरीदारी नहीं की गई। अतः प्रश्न नहीं उठता।

*१६—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह स्कीम प्रदेश के किन-किन जिलों में लागू होने जा रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रश्न नहीं उठता।

सप्लाई अफसरों को स्थायी करने की सिफारिश

*१७—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के उन सप्लाई अफसरों को जो अब तक १० वर्ष की सेवा कर चुके हैं और अस्थायी पड़े हुये हैं उन्हें स्थायी करने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस प्रकार का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १०, १० वर्ष से काम कर रहे हैं वे अस्थायी हैं तो उनको क्या करने का विचार है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—गत वर्ष १० फी सदी स्थायी किये गये थे। वह काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके नियम बन रहे हैं और भविष्य में देखा जायगा कि कितने और किये जायं।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें से कुछ सप्लाई अफसर डिप्टी कलेक्टर भी बनाये जायंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पहली दफा बनाये गये थे और जब यह विभाग स्थायी हो जायगा तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है कि दूसरों को दिये जायं?

अलीगढ़ जिले की ग्लैक्सो दूध फैक्टरी

*१८—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में मंजूरगढ़ी स्टेशन पर सरकार ने जो ग्लैक्सो दूध की फैक्टरी बनवायी है वह कितने लागत की है?

*१९—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस फैक्टरी को सरकार खुद चला रही है या किसी ऐजेन्सी द्वारा चलाना चाहती है?

श्री मोहनलाल गौतम—इस ग्लैक्सो दूध की फैक्टरी को सरकार नहीं बनवा रही है बल्कि ग्लैक्सो कम्पनी स्वयं अपनी लागत से बनवा रही है।

प्रतापगढ़ जिले के भट्ठे

*२०—श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत तहसीलवार कुल कितने ईंटों के भट्ठे चल रहे हैं तथा उनमें कितने सहकारी हैं तथा कितने प्राइवेट हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कुल १६ भट्ठे। जिनकी तहसीलवार संख्या निम्न प्रकार है—

तहसील	सहकारी भट्ठे	प्राइवेट भट्ठे
(१) पट्टी	२	२
(२) कुन्डा	२	.
(३) सदर	१	९
योग ..	५	११

कुल योग–१६।

*२१—श्री नन्दराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७, १९५८ और १९५९ में जिला प्रतापगढ़ में सहकारी तथा प्राइवेट भट्ठों को अलग-अलग कुल कितना कोयला दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ष	सहकारी भट्ठे		प्राइवेट भट्ठे	
	टन	ह०	टन	ह०
१९५७	२,६८६	१८	६६४	१३
१९५८	२,१७८	९	१,८४४	१७
१९५९	१,२४९	१३	४,८१७	१३

*२२—श्री नन्दराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी तथा प्राइवेट भट्ठों में अलग-अलग कितने 'ए' क्लास व 'बी' क्लास के हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

	'ए' क्लास	'बी' क्लास
सहकारी भट्ठे	..	५
प्राइवेट भट्ठे	६	५
योग	६	१०

नोट—प्रश्न २०–२२ श्री मदनगोपाल वैद्य ने पूछे।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो कोयले का कोटा एलाट होता है वह भी इन संस्थाओं में शामिल है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नहीं, वह ऐडहाक कोटा फलड वगैरह के लिए आकस्मिक तौर पर मिलता है। वह इसमें शामिल नहीं है, वह अलग रहता है।

अजीतमल सहकारी संघ सम्बन्धित गबन का मुकदमा

*२३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रश्न संख्या ५४, दिनांक ७-३-६० के पूरक प्रश्न के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया उन पर कितने रुपये की डिग्री हुई?

श्री मोहनलाल गौतम—सर्वश्री गौरीशंकर, लज्जा राम और विश्वनाथ सिंह पर २१,५७१ रु० ४ आने की शामिल डिग्री (joint decree) हुई।

*२४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५ से चल रहे महत्वपूर्ण मुकदमें का देर से निर्णय होने का क्या कारण रहा?

श्री मोहनलाल गौतम—जिले के अधिकारी जो इस मुकदमे में आर्बीट्रेटर नियुक्त किये गये, अन्य विकास कार्यों में व्यस्त रहने के कारण २२-११-५९ से पूर्व कोई निर्णय न दे सके।

गोरखपुर में यन्त्रचालित अन्न भण्डार खोलने की प्रार्थना

*२५—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह गोरखपुर जिले में अनाज का यन्त्रचालित भण्डार खोलने का विचार कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन-किन जिलों में यन्त्रचालित भण्डार खोलने का विचार किया जा रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस वक्त केवल सैन्ट्रो-कम-एलीवेटर यन्त्रचालित भण्डार हापुड़ में है। गवर्नमेंट आफ इन्डिया १२ और ऐसे भण्डार खोलने का विचार कर रही है। सम्भवतः गोरखपुर भी उनमें से एक हो।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बतलायेगी कि गोरखपुर में न खोलने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि सम्भवतः वहां पर भी खोला जाय।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मन्त्री जी यन्त्रचालित भण्डार की स्पष्ट व्याख्या करने की कृपा करेंगे कि यह किस प्रकार के भंडार हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसमें सफाई करके कूड़ा करकट निकाला जाता है जिससे कीड़े-वीड़े न लगें। इस तरह की यह चीज है। वैसे मुझे सही मालूम नहीं है।

श्री गौरीराम गुप्त—यह यन्त्रचालित भण्डार गोरखपुर में कब तक खोलने का विचार है?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐसे १२ भंडार खोलना चाहती है, उनमें से एक गोरखपुर में भी हो सकता है।

वाराणसी जिले में राजकीय कृषि फार्मों से आय

*२६—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में इस वक्त कितने सरकारी कृषि फार्म कितने दिनों से चल रहे हैं ? उनमें प्रति वर्ष अब तक कितनी आय तथा कितना व्यय दिसम्बर सन् १९५९ तक हुआ है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—वाराणसी जिले में इस समय कुल तीन कृषि फार्म—(१) बीज फार्म, चन्दौली, (२) क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र, वाराणसी तथा (३) नया बीज फार्म, कल्लीपुर क्रमशः सन् १९५०–५१, १९५६–५७ तथा १९५८–५९ (३१–३–५९) से चल रहे हैं क्षत्रीय अनुसंधान केन्द्र, वाराणसी, के आय तथा व्यय के आंकड़े सन् १९५६–५७ तथा १९५७–५८ और बीज फार्म, चन्दौली के आय तथा व्यय के आंकड़े सन् १९५०–५१ से १९५७–५८ तक के संलग्न तालिका में दिये गये हैं। उक्त फार्मों की सन् १९५८–५९ से सम्बधित वार्षिक बैलेंस शीट तैयार होने पर आय तथा व्यय के आंकड़े बताये जा सकेंगे ।

(देखिये नत्थी 'क', आगे पृष्ठ २०० पर)

श्री ऊदल—क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो तालिका दी गयी है, उसमें १९५१–५२ में बीज गोदाम, चन्दौली, में आय जो हुई है वह ८५७४ रुपये है और खर्चा ११,४२१ रुपये हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—वह वर्ष इस प्रकार का था कि पछवा हवा चली थी और हालात कृषि के अनुकूल नहीं थे। उन कारणों से पैदावार कम हुई और खर्चा ज्यादा हुआ ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, वाराणसी का सन् १९५५–५६ के आय–व्यय का ब्योरा तैयार नहीं किया गया और फार्म कल्लीपुर में भी आज तक आय-व्यय का ब्योरा तैयार नहीं किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—सन् १९५८–५९ का ब्योरा तो इसलिए तैयार नहीं हुआ है कि उसका बैलेंस शीट बन रहा है, जो बन गया है लेकिन अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। जब वह फाइनल हो जायगा तब हम ब्यौरा दे सकेंगे ।

बरेली जिले के बीज वितरण

*२७—श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में कुल कितने सरकारी बीज गोदाम हैं ?

श्री कालीरण अग्रवाल—१५।

*२८—श्री शिवराजबहादुर—क्या सरकार कृपया यह बतायेंगी कि सन् १९५९ में इन बीज गोदामों के द्वारा कितना बीज किसानों को दिया गया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—१४,२३२ मन ३३ सेर १ छटांक ।

श्री शिवराजबहादुर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गल्ले में से, जो पूरे जिले में बांटा गया है, प्रत्येक तहसील में कितना-कितना दिया गया है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इसके एक लम्बे चौड़े आंकड़े मेरे पास हैं । यह १५ क्षेत्रों के अलग-अलग हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो देख सकते हैं, यहां सुनाने में तो बहुत समय लगेगा। इसमें सब क्षेत्रवार दिया गया है और तहसीलवार भी दिया गया है।

श्री बाबूराम (जिला बरेली)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने खाद नहीं दी उन को इन गोदामों से बीज नहीं दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—ऐसी बात नहीं है। बीज अलग बांटा जाता है, खाद अलग बांटी जाती है और खाद के लिए सिफारिश की जाती है। सिफारिश करने पर लोग ले लेते हैं। जबरदस्ती करने के लिए इतनी खाद नहीं है कि उसको जबरदस्ती बांटा जाय ।

मसौधा फार्म की उपज

*२९—श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गवर्नमेंट फार्म, मसौधा, जिला फैजाबाद, में प्रति एकड़ कितना गेहूं, धान, गन्ना तथा मटर पिछले तीन वर्षों में पैदा हुआ ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख', आगे पृष्ठ २०१ पर)

*३०—श्री मदनगोपाल वैद्य—उपर्युक्त फार्म में कितनी एकड़ भूमि है तथा कृषि के उत्पादन में कितनी भूमि प्रयुक्त होती है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—उक्त फार्म का क्षेत्रफल १९४.८० एकड़ है, जिसमें से १७१.७७ एकड़ भूमि कृषि के उत्पादन के लिए प्रयुक्त है।

सहकारिता संघ, गोंडा सम्बन्धित कथित गबन तथा कपड़े की दुकान बन्द होना

*३१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारिता संघ, गोंडा, में विगत सन् १९५६–५७ और १९५७–५८ में कितने रुपये का गबन हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कोई गबन नहीं हुआ।

*३२—श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि सहकारी संघ द्वारा गोंडा शहर में कपड़े की दुकान बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं । दुकान उचित उन्नति नहीं कर रही है । इसे स्टाक खतम होने पर बन्द करने का निश्चय किया गया है।

गन्ना विकास विभाग में कर्मचारियों को स्थायी करने की सिफारिश

*३३—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गन्ना विकास तथा क्रय-विक्रय विभाग में कितने किस श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी सेवा कर रहे हैं और उनमें कितने स्थायी तथा कितने अस्थायी पदों पर हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—गन्ना विकास विभाग में कुल ४९१६ कर्मचारी तथा अधिकारी सेवा कर रहे हैं जिनकी श्रेणीबद्ध संख्या संलग्न तालिका में निर्दिष्ट है। उनमें से २,०५३ कर्मचारी तथा अधिकारी स्थायी पदों पर हैं, शेष २,८६३ अस्थायी पदों पर हैं।

(देखिये नत्थी 'ग', आगे पृष्ठ २०२ पर)

*३४—श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि उक्त विभागों में नयी नियुक्तियों को रोक दिया गया है और कुछ लोगों को नौकरी से अलग भी किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कितने व्यक्तियों को ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी नहीं । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

*३५—श्री गेंदासिंह—नियमानुसार उक्त अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को कितने दिन कार्य करने के बाद स्थायी हो जाना चाहिए और इतना समय हो जाने के बाद भी क्यों नहीं स्थायी अब तक किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--नियमानुसार किसी भी कर्मचारी व अधिकारी के स्थायी करने का प्रश्न एक या दो वर्ष के बाद उठाया जाता है पर चूंकि गन्ना विकास विभाग के अधिक कर्मचारि-वर्ग विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्त पर लिये गये थे, अतः जब तक उन सब की आपस में ज्येष्ठता (Inter-seniority) का निश्चय न हो जाय किसी को भी स्थायी करना न्यायसंगत न होता। आपसी ज्येष्ठता की समस्या सरकार के सक्रिय विचाराधीन है और उसके निश्चित होते ही उपयुक्त अधिकारियों को स्थायी कर दिया जावेगा।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह इतनी बड़ी संख्या में जो अस्थायी कर्मचारी हैं इसका क्या कारण है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जैसा बताया गया, एक तो यह था कि यह डिपार्टमेंट ही अभी परमानेंट फूटिंग पर नहीं आया है। दूसरे यह लोग दूसरे डिपार्टमेंट से लिये गये हैं वह ऐसे हैं जैसा कि उत्तर में कहा गया है। इन सब बातों पर जल्दी फैसला हो, यह हमारे कन्सीडरेशन में है।

श्री गेंदा सिंह---क्या यह बतलाना सम्भव है कि स्थायी करने की यह क्रिया कब तक खत्म हो जायगी ?

श्री मोहन लाल गौतम---मैंने अर्ज किया कि इस तरफ काफी ध्यान दिया जा रहा है और इस कार्य में जल्दी करने की कोशिश की जा रही है। अब स्थायी कितने होंगे यह बात नहीं है लेकिन जितने हो सकते हैं उतने हो जायेंगे।

धौरहरा कलां बीज गोदाम से रबी का खराब बीज मिलने की शिकायत

*३६--**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को धौरहरा कलां गवर्नमेंट सीड स्टोर, जिला खीरी के बारे में यह शिकायतें मिली हैं कि बहुत से किसानों का रबी का बीज जो उन्होंने सन् ५९ में उक्त सीड स्टोर से लिया, नहीं उगा ?

*३७---क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई है कि यह शिकायतें सत्य हैं अथवा नहीं ?

*३८---यदि यह शिकायतें सत्य हैं, तो क्या सरकार उन किसानों से बीज वापस नहीं लेगी और किसानों की हानि की पूर्ति करेगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री शिव प्रसाद नागर---श्रीमन, इसमें स्थगन की तिथि दी हुई है। ये २१-३-६० को स्थगित किये जा चुके हैं। उस वक्त भी यही बात थी। इस वक्त तक इसकी सूचना क्यों उपलब्ध नहीं हो पायी इसका कारण बताने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम---यह प्रश्न ही ऐसा है जिसकी सूचना एकत्रित करने में देर लगेगी कि सन् ५९ में जो रबी का बीज दिया गया वह कहां कहां नहीं उगा। वह सूचना हमारे पास तो रहती नहीं है, इकट्ठी करनी पड़ती है, उसमें काफी वक्त लगता है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन वह दी जायगी।

श्री मोहन लाल गौतम---जितनी उपलब्ध हो सकेगी जरूर दी जायगी।

नोट---तारांकित प्रश्न ३६---३८ श्री शिवप्रसाद नागर ने पूछे।

आनन्दनगर तथा व्रजमनगंज केन सोसाइटियों के मेम्बरों पर ऋण

*३९—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आनन्द नगर तथा व्रजमनगंज (जिला गोरखपुर) के केन यूनियनों का करीब ५ लाख रुपये का कर्जा सोसाइटी के मेम्बरों पर पुराना बाकी है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—प्राप्त सूचनानुसार लगभग ३.५० लाख रुपया गोरखपुर जिले की आनन्दनगर तथा व्रजमनगंज सोसाइटियों के सदस्यों पर पुराना ऋण बाकी है।

*४०—श्री अब्दुल रऊफ लारी—यदि हां, तो उसकी वसूली क्यों नहीं हो रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—उपर्युक्त ऋण में से कुछ धनराशि के बाण्ड नहीं मिल रहे हैं और शेष ऋण पुराना होने के कारण वसूल नहीं हो पा रहा है।

*४१—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या यह सही है कि उपर्युक्त ऋण के अधिकांश बाण्ड नहीं मिल रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—३.५० लाख रुपये के ऋण में से १,५०,१६२ रु० के बांड उपलब्ध नहीं हैं। सम्बन्धित केन यूनियन्स यथोचित प्रयत्न कर रही हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १,५०,१६२ रुपये के जो बांड नहीं मिल रहे हैं वह क्या हो गये? चोरी हो गये या शुरू से बांड बने ही नहीं थे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—यह शुरू में डायरेक्ट गन्ना मिलों ने किसानों से खरीदे थे। बाद में यह गन्ना सोसाइटीज को ट्रांसफर हो गये, वह उनसे वसूल नहीं हो रहे हैं।

श्री शिव प्रसाद नागर—ये कितने दिनों से नहीं मिल रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—१९५१-५२ से ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—यह ३,५०,००० रुपये जो बाकी हैं वह कितने दिनों से बाकी हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—१९५१-५२ से। ६,२२९ रुपये, कुछ नये पैसे वसूल भी हो चुके हैं।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो बाण्ड नहीं मिल रहे हैं क्या उतना रुपया वह उन सरकारी अधिकारियों से वसूल करेगी जिन्होंने इसका वितरण किया था?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मैंने यह बतलाया कि अधिकांश रुपया इसमें से ऐसा था जो मिल ने डायरेक्ट परचेज किया किसानों से और जो गन्ना सोसाइटियों को ट्रांसफर कर दिया था, जिसको वसूल किया जा रहा है, सालसी मुकर्रर किये जा रहे हैं।

केन ग्रोअर्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, जंगबहादुरगंज सम्बन्धित गन्ना कटौती से प्राप्त धन पर आपत्ति

*४२—श्रीमती विद्यावती बाजपेयी (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास संघ, जंगबहादुरगंज, जिला खीरी में शिक्षा हेतु सन् १९५६-५७, १९५७-५८ व सन् १९५८-५९ में कितनी-कितनी कटौती की गई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जंगबहादुरगंज गन्ना विकास संघ जिला खीरी में शिक्षा हेतु साल १९५६–५७, १९५७–५८ तथा सन् १९५८–५९ में नीचे दी हुई कटौतियां की गईं :—

वर्ष	धन जो काटा गया रुपया
१९५६–५७	४१,२१२.३१
१९५७–५८	२८,६९९.३०
१९५८–५९	२१,९८९.४२

*४३—**श्रीमती विद्यावती वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सारा धन केवल खीरी जिले के काश्तकारों से काटा गया है या हरदोई और खीरी दोनों जिलों के काश्तकारों से ? यदि दोनों जिलों के काश्तकारों से काटा गया है, तो कितना-कितना ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—यह धन जिला हरदोई तथा खीरी दोनों जिलों के काश्तकारों से काटा गया है । दोनों जिलों की कटौती निम्न प्रकार है:—

वर्ष	धन जो काटा गया		
	हरदोई	खीरी	योग
	रुपया	रुपया	रुपया
१९५६–५७ ..	२०,१८७.४४	२१,०२४.८७	४१,२१२.३१
१९५७–५८ ..	१३,०३४.७१	१५,६६४.५९	२८,६९९.३०
१९५८–५९ ..	९,९००.४१	१२,०८९.०१	२१,९८९.४२

*४४—**श्रीमती विद्यावती वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सारा धन केवल केन ग्रोअर्स हायर सेकेन्डरी स्कूल जंगबहादुरगंज में ही क्यों व्यय किया जाता है ? हरदोई जिले के स्कूलों की बिल्डिंग में भी क्यों नहीं व्यय किया जाता है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—गन्ना विकास संघ, जंगबहादुरगंज जिला खीरी की वर्तमान नियमावली ८२ के अनुसार इस कटौती के नियन्त्रण करने का अधिकार वहां के संचालक मण्डल को है। संचालक मण्डल ने उपर्युक्त कटौतियां का धन केन ग्रोअर्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, जंगबहादुरगंज ही पर व्यय करना उचित समझा ।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जंगबहादुरगंज संचालक मण्डल इतना भारी धन, जो हरदोई जिले से काटा गया है, सिर्फ अपने ही जिले में क्यों सारा खर्च कर लेते हैं, हरदोई के किसानों को क्यों नहीं उससे लाभ पहुंचाते ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मान्यवर, यह केन ग्रोअर्स हायर सेकेन्डरी स्कूल दोनों जिलों की सरहद पर है। दोनों जिलों के विद्यार्थी उसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं और यूनियन के दोनों जिलों के डायरेक्टर्स हैं अनुपात से। दोनों जिलों के डायरेक्टर्स सर्वसम्मति से जो फैसला करते हैं उसके आधार पर इस रुपये की तकसीम होती है।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी—क्या सरकार के पास कोई शिकायत आई है इस तरह की कि इस तरह की वहां भी शिकायत लोग करते हैं कि हरदोई जिले में भी कोई स्कूल है वहां उसका उपयोग करना चाहिये, वह नहीं किया जा रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, जो अभी निवेदन किया है वह है कि ७ डायरेक्टर्स में से ४ तो हैं हरदोई जिले के और ३ हैं खीरी जिले के। इन सातों डाइरेक्टर्स ने मिलकर फैसला किया, जनरल बाडी ने फैसला किया। विद्यार्थिय का अनुपात भी, ४ विद्यार्थी हरदोई जिले के और ३ खीरी जिले के हैं। यह दोनों जिले की सरहद पर हैं और जिस हिसाब से वहां से गन्ना लेने वालों का हिस्सा है उसी तरह से विद्यार्थियों के आने में कोई रोक-टोक नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर इसको जिले पर न बांटा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हायर सेकेन्डरी स्कूल, जंगबहादुरगंज की मैनेजिंग कमेटी में हरदोई जिले के कितने सदस्य हैं?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने बता दिया।

श्री देवनारायण भारतीय---मैं स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों की संख्या जानना चाहता हूं?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। रुपया देने वालों की तो बात मालूम है कि ४ हरदोई जिले के हैं और ३ खीरी के हैं। सातों ने फैसला किया। जनरल बाडी ने फैसला किया और स्टूडेन्ट्स का अनुपात चार और तीन का है। लेकिन मैनेजिंग कमेटी के बारे में सूचना नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हरदोई जिले का भी इस धन में सहयोग है इसलिये वहां के अनुपात से प्रबन्धकारिणी में सदस्य रखने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष---उनको तो मालूम ही नहीं कि कितने हैं।

आजमगढ़ जिले में कोटवा के लिए भूमि की प्राप्ति

*४५---**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय कृषि फार्म, कोटवा, जिला आजमगढ़ के लिये कितनी भूमि खरीदी गई है?

श्री काली चरण अग्रवाल---५९.०४० एकड़ भूमि खरीदी गई है।

*४६---**श्री विश्रामराय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय कृषि फार्म, कोटवा (आजमगढ़) के विकास के लिये अब तक विभिन्न मदों में कितना रुपया खर्च हो चुका है और इस समय कितने कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं?

श्री कालीचरण अग्रवाल---अब तक कुल ९१,८४१ रुपया व्यय हुआ है। इस फार्म पर कुल ४ कर्मचारी नियुक्त हैं।

श्री प्रताप सिंह---यह जमीन कब खरीदी गई थी और तब से आज तक उसमें क्या काम किया गया?

श्री कालीचरण अग्रवाल---यह फार्म मार्च, सन् ५९ में खरीदा गया। अभी १ साल भी नहीं हुआ। पहले खरीफ की फसल में २३ एकड़ से काम लिया। रबी में ४२ एकड़ में बुवाई की गई है जिसके आंकड़े अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री ऊदल---यह जमीन जो खरीदी गई वह किस रेट से खरीदी गई?

नोट---तारांकित प्रश्न ४५-४६ श्री प्रतापसिंह ने पूछे।

श्री कालीचरण अग्रवाल—मेरे पास यह तो नहीं है, लेकिन लगभग ६० एकड़ जमीन है, यह ४७ हजार २०० रु० में खरीदी गई। गुणा भाग करने पर पता पड़ जायगा।

आजमगढ़ जिले के विकास खंडों में कृषि फार्म खोलने की योजना

*४७—**श्री विश्रामराय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में किन-किन विकास खण्डों में कृषि फार्म खोलने की योजना विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इस समय आजमगढ़ जिले में महाराजगंज रानी की सराय, बोहरी घाट, मोहम्मदाबाद, सठियांव, बडरावं, अहिरौला तथा अजमतगढ़ (कुल ८ ब्लाक) विकास खण्डों में फार्म खुलने जा रहे हैं जिसके लिये भूमि प्राप्त की जा चुकी है।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या उस जिले के विधायकों ने यह कहा है कि भूमि एक्वायर न की जाय बल्कि मांग कर ली जाय ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, जो अबकी जमीन एक्वायर की गई है उसमें बहुत से लोगों ने यह कहा है कि इसमें दिक्कतें हैं, कुछ मेरे पास आये, कुछ ने लिखकर भी दिया है और यह कठिनाई कुछ विधायकों ने हमारे सामने रखी हैं ।

फैजाबाद जिले में मुअत्तल सहकारी सुपरवाइजर तथा सहकारी बैंक का प्रबन्ध

*४८—**श्री मदन गोपाल वैद्य** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जिले में १ फरवरी, १९६० ई० को कुल कितने सहकारी सुपरवाइजर मुअत्तल थे ?

श्री मोहन लाल गौतम—१० ।

*४९—**श्री मदन गोपाल वैद्य** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जिले में जिला सहकारी बैंक का प्रबन्ध आर्बीट्रेटर के हाथ में कितने सालों से है और यह व्यवस्था कब तक समाप्त होगी ?

श्री मोहन लाल गौतम—बैंक का प्रबन्ध एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में करीब नौ साल से है । जब तक बैंक की आर्थिक दशा में पर्याप्त सुधार नहीं हो जाता तब तक यह व्यवस्था समाप्त करना उचित न होगा।

सहकारी संघ, फूलपुर, के माध्यम से स्माल साइज शुगर फैक्टरी स्थापित करने की प्रार्थना

*५०—**श्री ऊदल**—क्या सरकार को पता है कि राजा तालाब, जिला वाराणसी में जो स्माल साइज शुगर फैक्टरी खुलने जा रही थी जिसमें अब तक शेयर का रुपया वहां की कमेटी ने नहीं इकट्ठा किया और रजिस्ट्रार कोआपरेटिव, वाराणसी की कमेटी ने प्रस्ताव पास करके दे दिया कि हमारे यहां फैक्टरी नहीं लगेगी, क्योंकि रुपया इकट्ठा नहीं हो रहा है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४७ श्री शिवप्रसाद नागर ने पूछा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी हां ।

*५१---**श्री ऊदल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त स्माल साइज फैक्टरी को फूलपुर, जिला वाराणसी में सहकारी संघ, फूलपुर के माध्यम से रुपया जमा करने पर लगाने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कितना रुपया जमा करना होगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सहकारी संघ, फूलपुर के माध्यम से केवल रुपया जमा करने पर स्माल साइज शुगर फैक्टरी नहीं लगाई जा सकती बल्कि इसके लिये अलग से सहकारी गन्ना प्रक्रियात्मक समिति का निर्माण करना होगा, जिसके लिये फूलपुर क्षेत्र से बाईलाज भी सहायक निबंधक वाराणसी के कार्यालय में पहुंच गये हैं और इनकी जांच की जा रही है । ऐसी फैक्टरी लगाने के लिये लगभग १,२०,००० रुपये की आवश्यकता होती है, जिसमें से ५०,००० रुपये के हिस्से सरकार खरीद लेती है तथा शेष ७० हजार रुपया उस समिति के सदस्य को एकत्रित करना होता है ।

श्री ऊदल---माननीय सहकारिता मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अलग से कम्पनी का निर्माण हो जाने पर तथा ७० हजार रुपया एकत्र हो जाने पर क्या सरकार फैक्टरी लगाने पर विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---अवश्य करेंगे, अगर जमीन भी उपलब्ध हुई तो ।

ग्राम सुधार आर्गेनाइजरों की पदोन्नति

*५२---**श्री नत्थू सिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् १९४० में जिन ग्राम सुधार आर्गेनाइजरों ने त्याग-पत्र दिये थे उनको सन् १९४७ व १९४८ में कोआपरेटिव सुपरवाइजर बना कर १-४-५९ से सेलेक्शन ग्रेड का वेतन दिया गया था ? यदि हां, तो उसके लिये क्या आदेश कोआपरेटिव यूनियन, उत्तर प्रदेश को दिया गया और कब ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां, इन ग्राम सुधार आर्गेनाइजरों को पहले १९४७-४८ में उनके मौलिक स्थानों पर नियुक्त किया गया तदोपरान्त सरकारी आदेश दिनांकित ६-८-४९ के अन्तर्गत तत्कालीन ग्राम सुधार सर्किल आर्गेनाइजरों में से योग्य व्यक्तियों को सहकारी सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग पास करने पर सुपरवाइजर के पद पर ४०-२-६०-४-८० रु० के वेतन क्रम में नियुक्त किया गया । ऐसे नियुक्त किये गये ६४० सुपरवाइजरों में से १०७ को उनकी कार्य क्षमता तथा ज्येष्ठता के आधार पर १-४-४९ से सेलेक्शन ग्रेड ७५-५-१२० रु० दिया गया था । सेलेक्शन ग्रेड देने का आदेश तत्कालीन रजिस्ट्रार ने २-९-४९ को कोआपरेटिव यूनियन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिया था ।

*५३---**श्री नत्थू सिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने उक्त आदेश पालन करने हेतु कोआपरेटिव यूनियन, उत्तर प्रदेश को विशेष धनराशि भी दी थी ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां ।

*५४---**श्री नत्थू सिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कोआपरेटिव यूनियन, उत्तर प्रदेश ने उक्त आदेश का पालन किया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां, पालन किया है ।

बलिया जिले में कृषि विभाग में नियुक्तियां

*५५---**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले के कृषि विभाग में पिछले एक साल में कितनी ऐसी नियुक्तियां हुईं जिनके लिये रोजगार दफ्तर से नाम नहीं मांगे गये ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गौरी शंकर राय---अध्यक्ष महोदय, तारीख २९-२-६० को प्रश्न दिया गया और आपसे स्थगन लिया गया २१-३-६० को और यह सूचना जिले के एग्रीकल्चर विभाग के दफ्तर से लेनी थी । तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सूचना एकत्र करने में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---अध्यक्ष महोदय, देर तो हो गई है, लिखा भी है । पूरी सूचना नहीं आई और अधूरी सूचना देना मुनासिब नहीं समझा गया । मैं एक बात बता दूं कि सरकार ने इन्स्ट्रक्शन जारी कर दिये हैं कि भविष्य में जितनी भी नियुक्तियां हों वह रोजगार के दफ्तर से हों ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी अधूरी सूचना सदन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---उसे देना वह उचित नहीं समझते ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि बिना रोजगार कार्यालय से परामर्श के कोई नियुक्ति हुई है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---संभव हो सकता है । लेकिन सूचना पूरी नहीं है, तो क्या उत्तर दूं ।

फर्रुखाबाद जिले की सहकारी समितियों में गबन

*५६---**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में १९५६-५७, १९५८-५९ में किन-किन सहकारी समितियों में गबन हुआ और उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---एक सूची मेज पर रखी है । सहकारी संघ तालिग्राम और तर्कापुर तथा क्षेत्रीय सहकारी समिति, प्रेमपुर, के गबन के मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई । शेष समितियों के गबन के मामले पुलिस को दे दिये गये । पुलिस ने २ मामलों में चार्जशीट लगा दी है । एक मामले में मुकदमा भी चालू हो गया है । शेष मामले पुलिस की जांच में हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २०३ पर)

श्री होरी लाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या विभागीय कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---मुअत्तल किया है और रुपया वसूल किया जा रहा है ।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बतावेगी कि सहकारी संघ, कायमगंज और मार्केटिंग फैडरेशन, कायमगंज में कितना गबन हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---मार्केटिंग समिति में, १०,०६८ रुपये का ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---कुल कितनी सहकारी समितियों में और कितने रुपये का गबन हुआ है, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ? योग क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---७ सन् ५८-५९ में हैं और ३ सन् ५६-५७ में हैं । कुल योग ८०,००० रुपया के करीब है ।

सहकारी संघ, इनायतपुर को दिया गया कोयला

*५७---**श्री होरीलाल यादव**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी संघ इनायतपुर, फर्रुखाबाद ने १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में कितने वैगन कोयला खरीदा और उससे कितनी ईंट बना कर तैयार की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सहकारी संघ, इनायतपुर को वर्ष ५६-५७ में कोयला बिलकुल नहीं दिया गया। वर्ष ५७-५८ में ३ तीन वैगन तथा ५८-५९ में ११ ग्यारह वैगन कोयला दिया गया। उपरोक्त वर्षों में संघ आर्थिक कठिनाइयों के कारण भट्ठा नहीं चला सका। इसलिये कोई ईंट न बन पाई।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो कोयला पड़ा हुआ है उसे क्या किसी प्राइवेट भट्ठे वाले या सोसाइटी को दिलाने के लिये वह तैयार है ?

श्री मोहनलाल गौतम---कोआपरेटिव संस्थायें कैसे चल रही हैं, यह समझाने में मैं बहुत कुछ असमर्थ रहा हूं। कोआपरेटिव फेडरेशन कोयला बांटता है। उसे सरकार हुकुम नहीं दे सकती कि यह करो या ऐसे करो। या जैसा अभी गेंदा सिंह जी हंस रहे थे कि यह गबन है, तो इसमें डिसेंट्रेलाइजेशन हो रहा है और अगर सरपंच या खजान्ची गबन करते हैं, तो यह सरकार के काबू से बाहर की चीज है कि उसे कंट्रोल कर सके। हम यह कर सकते हैं और करते हैं कि मुरव्वत न करें और पुलिस को दे दें। लेकिन यू० पी० कोआपरेटिव बैंक की वर्किंग कैपिटल २५ करोड़ है और जिला बैंक और कोआपरेटिव सोसाइटीज उनके हाथ में हैं।

श्री होरीलाल यादव---जो कोयला इनायतपुर संघ के पास बेकार पड़ा हुआ है, क्या सरकार उसे किसी प्राइवेट भट्ठे वाले को दिलाने का आदेश देगी ताकि वहां ईंटें बनें और किसानों का विकास कार्य हो सकें ?

श्री मोहनलाल गौतम---अव्वल तो यह है कि कहां और कितना कोयला है और कौन-सा डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन इस्तेमाल करना चाहता है। सहकारी भट्ठे के कोयले को प्राइवेट आदमी को दिलाने में सरकार को दिक्कत है।

श्री गेंदा सिंह---जिन संस्थाओं में गबन हुआ है उनके संचालकों में कोई सरकार के नामजद भी हैं क्या ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---इसमें तो कोयले का प्रश्न है।

श्री गेंदा सिंह---संचालकों में कुछ सरकार के नामीनेशन्स हुए हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जहां तक मुझे याद है, कोई नहीं हुए।

ट्रैक्टरों से जोती गई भूमि

*५८---**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्रैक्टर द्वारा जोती हुई भूमि का योग गत ४ वर्ष में प्रति वर्ष कितना रहा ?

श्री मोहन लाल गौतम---जो सूचना प्राप्त की जा सकी है उसके अनुसार गत चार वर्षों में ट्रैक्टरों द्वारा प्रदेश में जोती गई भूमि का लगभग क्षेत्रफल इस प्रकार है:---

वर्ष	ट्रैक्टर द्वारा जोती गई भूमि एकड़
१९५६	.. ४,४३,०००
१९५७	.. ४,७४,०००
१९५८	.. ४,८८,०००
१९५९	.. ५,४६,०००

सहारनपुर जिले में फसलों पर लगे रोगों की रोकथाम

*५९---**श्री सईद अहमद अन्सारी** (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में किन-किन फसलों को कौन-कौन सी बीमारियां लगी थीं और उनके उपचार के लिये सरकार ने कौन-कौन उपाय किया है और इस उपचार में सरकार का कितना धन प्रत्येक साल में व्यय हुआ है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जिला सहारनपुर में सन् १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में गेहूं, पपीता तथा आम के रोगों एवं आलू और तम्बाकू आदि की फसलों पर बीमारियों का आक्रमण हुआ था, जिसकी रोकथाम का समुचित प्रबन्ध स्थानीय कृषि रक्षा सेवा उपकेन्द्र द्वारा किया गया। बीमारियों के नाम, उसके उपचार तथा उसमें व्यय हुए धन का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २०४-२०५ पर)

*६०---**श्री सईद अहमद अन्सारी**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त उपचार में कितना धन मोटरों के पैट्रोल आदि में और कितना धन टी० ए० आदि में खर्च हुआ है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---उपरोक्त उपचार में मोटरों के पैट्रोल आदि में कोई धन व्यय नहीं किया गया परन्तु स्थानीय कृषि रक्षा कर्मचारियों के भत्ते पर कथित तीन वर्षों में लगभग ३,२३८ रुपये व्यय हुए जिसका ब्यौरा संलग्न सूची में दिया हुआ है।

श्री सईद अहमद अन्सारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गेहूं, पौंडा, चावल के रोगों का भी कोई इलाज किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---जिसकी सूचना हमारे पास आती है उन सबका इलाज करने की कोशिश करते हैं।

श्री सईद अहमद अन्सारी---क्या सरकार को पता है कि मंगलौर में पौंडे की कोई स्पेशल वेराइटी थी जो रेड राट लगने से खराब हुई और बहुत से कर्मचारियों के वहां जाने पर भी ठीक नहीं हुई ? मैंने भी सरकार को दरख्वास्त दी थी ?

श्री अध्यक्ष---यह सूचना है।

फैजाबाद जिले में साधन सहकारी समितियों का निरीक्षण

*६१—श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि फैजाबाद जिले में रिजर्व बैंक की ओर से साधन सहकारी समितियों का जो निरीक्षण हुआ उसकी क्या रिपोर्ट आई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—३, ४ दिन हुए रिपोर्ट कार्यालय में आ चुकी है ।

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार उस रिपोर्ट का सारांश बताने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी वह देखी जा रही है कि उसमें क्या-क्या है। इसलिये बताना कठिन है ।

राजकीय कृषि फार्मों का आय-व्यय

*६२—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने सरकारी कृषि फार्म किस-किस जिले में इस वक्त चलाये जा रहे हैं ? उनमें सन् ५० से लेकर अब तक कितना व्यय तथा कितने की आय प्रतिवर्ष के हिसाब से हुई है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—आवश्यक सूचना †संलग्न तालिका में दी हुई है । अभी आंकड़े १९५७-५८ तक ही उपलब्ध हो सके हैं ।

श्री ऊदल—अध्यक्ष महोदय, इस लिस्ट में ३ के नम्बर २० पर जो दिया हुआ है, उसमें सन् १९५७-५८ में आय कम दिखायी गयी है और खर्च ज्यादा दिखाया गया है, उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह इतनी बड़ी फेहरिस्त है कि उसमें से हर एक के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन वे दे नहीं पायेंगे । जब आपने प्रश्न पूछा था तभी आप यह इशारा कर देते कि आप क्या-क्या पूछेंगे, तब तो यह मुमकिन हो सकता था । इतने ब्यौरे की मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह बतलाना मुमकिन है कि किस वर्ष में कितना मुनाफा और कितना घाटा हुआ ?

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फरमाया, यह बड़ी लंबी चौड़ी तालिका है । मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको माननीय सदस्य अच्छी प्रकार से देख लें और तब सप्लीमेंटरी करें तो ज्यादा ठीक होगा ।

श्री अध्यक्ष—इसमें जोड़ दिया हुआ नहीं है, इसलिये जोड़ना मुश्किल होगा ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी जोड़ इसलिये नहीं लगा रहे हैं कि चार साल से १२ लाख रुपया घाटा हो रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जो आंकड़े दिये हुए हैं, उनसे यह सब देखा जा सकता है ।

श्री गेंदा सिंह—मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि घाटा है या मुनाफा है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—घाटा भी है और मुनाफा भी है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी ने यह देखा है कि इन सरकारी फार्मों पर लगातार घाटा हो रहा है और क्या मंत्री जी ने इस बात को जानने का प्रयत्न किया है कि यह घाटा क्यों हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में काफी बताया जा चुका है । वे बता चुके हैं कि ये फार्म्स खाली प्राफिट के लिये ही नहीं बनाये गये हैं ।

---

†सूचना छापी नहीं गयी ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--यह जो घाटा हो रहा है उसके लिये क्या मंत्री जी सदन की कोई कमेटी बिठाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, चूंकि इन फार्मों के बारे में काफी चर्चा रहती है और माननीय सदस्य उनके बारे में जानकारी हासिल करते रहते हैं, इसलिये मैंने पहले ही यह फैसला कर लिया है कि एक कमेटी बैठायी जाय जिसमें अपोजीशन के भी सदस्य होंगे ।

श्री शिव प्रसाद नागर--मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि पिछले दस सालों में जो भी घाटा और मुनाफा इन फार्मों पर होता रहा है, उन सब को मिलाकर कुछ घाटा हुआ है अथवा मुनाफा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--यह आप उनके दफ्तर में जाकर पूछ लीजिये ।

विशनपुर कलां ग्राम का गोसदन

*६३--**श्री शीतला प्रसाद** (जिला गोंडा)--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा के परसपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत जो गो-सदन खोला गया है उसमें अब तक कुल कितने पशु वर्ष १९५८-५९ में भरती किये गये और उनमें कितने मर चुके और कितने जीवित हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--जिला गोसदन जो ग्राम विशनपुर कलां, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में स्थित है इमारतें बन जाने के पश्चात १५ जनवरी, १९५९ से चालू हुआ । वर्ष १९५८-५९ में ४२ पशुओं का प्रवेश हुआ जिनमें से ९ पशु प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हुए और ५ को नीलाम किया गया। वर्ष के अन्त में (३१ मार्च, १९५९) को गोसदन में २८ पशु शेष थे ।

श्री शीतला प्रसाद--क्या माननीय कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९५९ से लगायत दिसम्बर, ५९ तक कितने पशु दाखिल हुए और उसमें कितने मरे तथा कितने बाकी हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--यह जो हमने सूचना दी है, श्रीमन्, वह फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से दी। तो मार्च, ५९, तक २८ पशु गोसदन में थे, उसके बाद ४२ आये । जैसा कि मैंने बतलाया जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका पूरा ब्यौरा मेरे पास अभी नहीं है । जब पूरा ब्यौरा आ जायगा तो उसको हाउस के सामने यदि सदस्य चाहेंगे तो रख दिया जायगा ।

कानपुर जिले में राजकीय कृषि फार्म

*६४--**श्री मोतीलाल अवस्थी** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर में कितने सरकारी कृषि फार्म हैं और उनका निम्नलिखित विवरण सन् १९५२-५३ से सन् १९५७-५८ तक का क्या है :

(अ) उनकी वार्षिक आय,
(ब) उनका वार्षिक स्थापना व्यय,
(स) उत्पादित अन्नों की मात्रा।

श्री मोहन लाल गौतम--यह सूचना† संलग्न तालिका में दी हुई है ।

---

†सूचना छापी नहीं गयी ।

गोंडा जिले में साठ एकड़ के ऊपर वाले कृषि फार्म

*६५---**श्री गंगा प्रसाद** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में १५ अगस्त, १९५९ के पहिले कुल कितने ६० एकड़ के ऊपर कृषि फार्म थे, उन कृषि फार्म के मालिक कौन थे, उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २०६-२०८ पर)

*६७---**श्रीमती शकुन्तला देवी** (जिला सहारनपुर)---[१६ मई, १९६० के लिए स्थगित किया गया।)

*६८-६९---**श्री राजेन्द्र सिंह** (जिला हरदोई)---[१६ मई, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

*७०-७१---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---[१६ मई, १९६० के लिए स्थगित किये गये]

*७२-७४---**श्री विश्राम राय**---[१६ मई, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

*७५---**श्री अभयराम यादव** (जिला इटावा)---[१६ मई, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

अलीगढ़ सहकारी बैंक का बकाया ऋण

*७६---**श्री रामप्रसाद देशमुख**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ सहकारी बैंक का रुपया किन-किन लोगों पर ३ साल से बकाया है और वह क्यों नहीं अदा हो रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---उक्त बैंक का केवल अपने ९ सदस्य सहकारी समितियों पर ९,८५७ रु० ३७ न० पै० (नौ हजार आठ सौ सत्तावन रुपये सैंतिस नये पैसे) का कर्जा तीन साल से बकाया है। सदस्य समितियां अपने सदस्यों से कर्जा न वसूल हो सकने की स्थिति में बैंक का कर्जा अदा नहीं कर सकी हैं। समिति के सदस्यों के विरुद्ध डिग्री प्राप्त कर ली गयी है और वसूली की जा रही है। सदस्य समितियां वसूली करने के बाद बैंक का कर्ज अदा कर सकेंगी।

*७७---श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)---[१६ मई, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न ५६ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के शोधन के लिये प्रार्थना

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी के पूरक प्रश्न ५६ के उत्तर में मैंने कुछ आंकड़े दिये थे, उनको संशोधित करना चाहता हूं आप की आज्ञा से.....।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बाद में देंगे।

उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि-प्रवृत्ति) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिवीजन (विधि-प्रवृत्ति) विधेयक, १९६० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ८ अप्रैल, १९६० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ अप्रैल, १९६० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २८ अप्रैल, १९६० को प्राप्त हो गयी और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---पहले मैं माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना दे दूं।

(१) श्री टीकाराम (जिला बदायूं), सदस्य, विधान सभा, की गिरफ्तारी दिनांक १-५-६० को भारतीय दण्ड विधान की धारा ३५३ के अन्तर्गत की गयी, और जमानत पर जाने का आदेश दिया गया। सदस्य बदायूं जेल में रखे गये हैं।

(२) श्री जंगबहादुर वर्मा (बाराबंकी) सदस्य, विधान सभा, की गिरफ्तारी दिनांक १-५-६० को ९ बजे चन्दौली रेलवे स्टेशन पर एक बिना जमानत वाले वारन्ट द्वारा की गयी। यह वारन्ट एस० डी० एम०, नवाबगंज द्वारा जारी किया गया क्योंकि सदस्य धारा १०७/११७ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत इजलास में हाजिर न होने के अपराधी थे। श्री सदस्य, अभी मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की दशा में हैं और हेड क्वार्टर पर पहुंचते ही वह (मैजिस्ट्रेट) के सामने पेश किये जायेंगे।

(३) श्री राजनारायण, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी लखनऊ में दिनांक २-५-६० को १०.३० बजे भारतीय दण्ड विधान की धारा ११७ (Criminal law Amendment Act की धारा ७ के साथ पठित) के अन्तर्गत की गयी। इसकी सूचना जिलाधीश तथा एस० पी०, लखनऊ ने श्री अध्यक्ष को फोन द्वारा दी।

श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (क्रमागत)

श्री देवनारायण भारतीय---मैं आप की आज्ञा से यह सूचना देना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण घटना आज १०.२५ मिनट पर दारुलशफा में हुई। सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण जी अपने कमरे से विधान सभा की बैठक में आने के लिए लिफ्ट से नीचे उतरे और नीचे उतर करके जब वे सीढ़ियां उतर रहे थे तो रंग बहादुर सिंह, एस० ओ०, हजरतगंज

[श्री देवनारायण भारतीय]

ने उनको वहां पर रोका और कहा कि मैं आप को गिरफ्तार करता हूं। उनके साथ माननीय लाल बहादुर सिंह, वाराणसी के सदस्य और माननीय राम सुन्दर पांडेय जी भी उसी लिफ्ट से नीचे उतरे थे, उनके सामने की यह घटना है। मैंने स्वयं...

श्री अध्यक्ष---यह तो ठीक है। आप सूचना क्या देना चाहते हैं ?

श्री देवनारायण भारतीय---मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार से माननीय राजनारायण जी को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना की गयी है।

श्री अध्यक्ष---आप की सूचना हो गयी। आप नियम के अनुसार सचिव के सामने लिखित रूप में दे दें क्योंकि यह वाकया सदन के सम्मुख का नहीं है....

श्री देवनारायण भारतीय---मैं लिखकर भी आप के सामने अभी दे रहा हूं। यह निवेदन तो मैंने इसलिए किया कि आपको सूचना हो जाय।

श्री अध्यक्ष---ठीक है आपकी सूचना हो गयी।

श्री देवनारायण भारतीय---मैंने स्वयं उस थानेदार से पूछा कि आप के पास कोई वारन्ट है। उन्होंने कहा कोई वारन्ट नहीं है। मैंने यह भी पूछा कि आप किस धारा में गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ११७ सी० आर० पी० सी० के मातहत गिरफ्तार कर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष---आप इस तरह से सूचना नहीं दे सकते जब तक कि प्रश्न नहीं उठता और मैं इजाजत नहीं देता। आप को नियम ६५ के अनुसार इसकी लिखित सूचना सचिव के पास भेज देनी चाहिए।

श्री देवनारायण भारतीय---चूंकि समय नहीं था इसलिए लिखकर नहीं दे सका। अब लिखकर आप की सेवा में भेज रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आपने सूचना दे दी मैंने उसको स्वीकार कर लिया। आपकी सूचना टाइम-बार्ड नहीं होगी।

कार्यक्रम के संबंध में जानकारी की मांग

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी सदन का कार्यक्रम बता दें।

श्री अध्यक्ष---पहले और काम खत्म हों, जो सूचना देने के पहिले होते हैं। उसके बाद इसको लिया जायगा।

श्री जंग बहादुर वर्मा, एम० एल० ए०, की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का था जो सोशलिस्ट पार्टी द्वारा मांगें उपस्थित की गई हैं और उस के सम्बन्ध में जो सत्याग्रह चल रहा है उसी सिलसिले में था। तो मैंने उसको तो अस्वीकार कर दिया। एक उनका नियम ५२ के अन्तर्गत भी है और उनकी तरफ से श्री देवीप्रसाद मिश्र ने उस पर दस्तखत किये, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो गयी। इसलिये मैंने उसकी उपस्थिति की इजाजत दे दी है नियम ५२ के अन्तर्गत कहा गया है कि श्री जंगबहादुर जी को रास्ते में लोनी कटरा थाने के छोटे दरोगा ने करीब साढ़े ८ बजे दिन में गिरफ्तार कर लिया। उनको थाने में ले जाकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, उनको पानी तक नहीं दिया गया, पेशाब करना भी कठिन बना दिया गया, उनके हाथों में

हथकड़ी पहनायी गयी, उनकी तबीयत खराब थी, उनको अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में भी उनके हाथ में हथकड़ी पड़ी रही। डाक्टर ने उनको आराम करने की सलाह दी, चारपाई मंगवाई गयी तब भी हाथ में हथकड़ी डाले पुलिस रस्सी पकड़े रही। कचहरी में भी उनको हथकड़ी डाले लाया गया, चौराहों पर उनको घुमाया गया आदि-आदि शिकायतें इसमें हैं।

तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि वे इस विषय में वक्तव्य कब तक दे पायेंगे ?

*गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---आज्ञा हो तो अभी दे दूं।

श्री अध्यक्ष---आप दे दीजिये। जो कथन है उसे तो आपने पढ़ लिया होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। श्री जंग बहादुर, एम० एल० ए० दफा १०७/११७ के मातहत बाराबंकी में गिरफ्तार किये गये। उनके तथा उनके २४ साथियों के खिलाफ वारंट था। उनके खिलाफ २८ को तारीख पड़ी हुई थी। जिस समय अदालत में १०७ और ११७ की प्रोसीडिंग चलाई जाने वाली थी तो श्री जंगबहादुर जी वहां २८ को उपस्थित नहीं हुए और इस पर उनके विरुद्ध बिना जमानती वारंट ईश्यू किया गया और १ मई को वे लोनीकटरा थाने के सामने ९ बजे प्रातः काल जब वे बस से जा रहे थे गिरफ्तार किये गये और वहां से हैदरगढ़ ले जाये गये। जहां एस० डी० एम० मौजूद थे वहां श्री वर्मा ने यह कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें डाक्टर की दवा लेनी है। इस पर स्थानीय डिस्पेंसरी में उन्हें ले जाया गया और वहां उन्हें दवा मिली और ढाई बजे तक अस्पताल में वर्मा जी रखे गये और फिर सदर लिवा ले जाये गये और एस० डी० एम०, नवाबगंज के सामने पेश किये गये और वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

जिलाधीश की जो रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि शिकायतें जो हैं कि पेशाब करना कठिन कर दिया गया या पानी नहीं दिया गया यह सब तो सही नहीं है। गिरफ्तारी के बाद अस्पताल ले जाये गये। अस्पताल में १० बजे से ढाई बजे तक रखे गये और उनकी वहां दवा हुई और जब घाम कम हुई तो वहां से ले जाये गये। यह बात उनकी रिपोर्ट से साफ मालूम होती है और वर्मा जी के हाथों में हथकड़ी डाली गयी। पुलिस ने यह सोच कर हथकड़ी उन्हें डाली कि बिना जमानती वारंट उनकी गिरफ्तारी के लिये है। श्री राजनारायण जी ने कल ११ बजे मुझे इसकी सूचना दी थी। उसी वक्त मैंने जांच-पड़ताल की। लेकिन जहां तक सरकार का सम्बन्ध है ये आदेश जा चुके हैं बहुत शुरू में कि सत्याग्रह के सिलसिले में जो लोग गिरफ्तार किये जायं उन्हें हथकड़ी नहीं पहनानी चाहिये। बावजूद इस आदेश के श्री जंगबहादुर जी को हथकड़ी पहनाई गयी इसकी सूचना मेरे पास आ गयी है और सरकार ने यह निश्चय किया है कि बावजूद सरकारी आदेश के जिस कर्मचारी की ओर से यह गलती हुई उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और पुनः यह आदेश भेजे जा रहे हैं कि किसी सत्याग्रह के सिलसिले में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के हाथों में हथकड़ी न डाली जाय।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब जंगबहादुर जी वर्मा हैदरगढ़ के अस्पताल में रहे और डाक्टर ने भी यह कहा कि इनकी हथकड़ी खोल दी जाय, अस्पताल में हथकड़ी रखने की कोई जरूरत नहीं है तब भी हथकड़ी नहीं खोली गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी तो कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है लेकिन सम्भव है कि ऐसा हुआ हो। अगर ऐसा हुआ है तो अत्यन्त अनुचित हुआ है और उस व्यक्ति के विरुद्ध जो कुछ भी उचित कार्यवाही होगी की जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि वर्मा जी को प्रिवेन्टिव सेक्शन के अन्दर गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो हथकड़ी कितनी देर लगायी गयी और क्यों लगायी गयी ?

श्री अध्यक्ष---जब उन्होंने कह दिया कि उनकी हिदायतों के खिलाफ यह हुआ तो फिर प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि जो जुर्म वर्मा जी के ऊपर लगाये गये हैं सभी जमानती हैं ? तो ऐसे जुर्म में बिना जमानती वारंट क्यों जारी हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया, शायद माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया कि उनको २८ तारीख पड़ी हुई थी अदालत में और उस दिन वे अदालत में हाजिर नहीं हुए। फिर एस० डी० एम० ने दूसरी बार उनके लिये बिना जमानती वारंट जारी किया।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि २८ और २९ को इस माननीय सदन की बैठक थी और माननीय जंगबहादुर जी २८ और २९ को सदन में उपस्थित थे, तो सदन में उनकी उपस्थिति अधिक आवश्यक थी अथवा एक मैजिस्ट्रेट की नोटिस पर न्यायालय में जाना अधिक आवश्यक था ?

श्री अध्यक्ष---यह तो बहस है ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गिरफ्तारियां १०७/११७ के अन्दर हो रही हैं तो क्या पहले से कोई रिपोर्ट है कि नक्से अमन है, इसलिये उनको गिरफ्तार किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---माननीय गृह मंत्री जी, आपने सुन लिया हो तो बताइये, मैं तो सुन नहीं पाया हूं ।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, १०७ को नक्से अमन कहते हैं, खतरा होता है । तो सरकार के पास कोई ऐसी रिपोर्ट है कि कोई नक्से अमन है जो उनको गिरफ्तार किया गया ? यह कानूनी चीज है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष---(गृह मंत्री से) आपने सुन लिया हो तो जवाब दीजिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी तो कल ही पहली तारीख बीती है और आशा यही है कि अभी तक किसी प्रकार अमन को खतरा नहीं पहुंचा है लेकिन जिस प्रकार का कार्यक्रम सोशलिस्ट पार्टी का है उससे खतरा पैदा हो सकता है और ऐसी स्थिति में जहां खतरा पैदा होने का अन्देशा हो, १०७ में कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री टीकाराम पुजारी---नक्से अमन जब होता है तो जो राजनीतिक कैदी होते हैं उनका अपमान किया जाता है कि उनके हथकड़ी पड़े, ऐसा हो सकता है ? बगावती कैदी हो तो हथकड़ी पड़नी चाहिये, राजनीतिक कैदी हो तो अपमान नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---क्या आपकी सिफारिश यह है कि हथकड़ी पड़नी चाहिये ?

श्री टीकाराम पुजारी---राजनीतिक कैदी का अपमान नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---अच्छा, तो यह तो हो गया ।

सर्किट हाउस, कानपुर में, डाक्टर राममनोहर लोहिया तथा उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रवेश करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--अब एक नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय रामस्वरूप वर्मा जी द्वारा २९ अप्रैल को यह सूचना दी गयी थी कि डाक्टर राममनोहर लोहिया आदि के सर्किट हाउस, कानपुर में ठहरने पर ए० डी० एम०, कानपुर द्वारा डाक्टर लोहिया और उनके साथियों को सर्किट हाउस में प्राप्त सुविधाओं से वंचित किया गया, जिससे उत्पन्न परिस्थिति पर वह चाहते थे कि सरकार की ओर से कोई वक्तव्य दिया जाय।

***गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**—मान्यवर, मुझे जो सूचना मिली है वह आपकी आज्ञा से प्रस्तुत कर रहा हूं। सूचना यह मिली है कि १७ अप्रैल, १९६० को प्रायः प्रातःकाल साढ़े आठ बजे श्री जगदीश अवस्थी, सदस्य, लोक सभा ने कानपुर के ए०डी०एम० (सिटी) से यह अनुरोध किया कि वह डाक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके कुछ साथियों का सर्किट हाउस में कुछ दिन ठहरने का प्रबन्ध करें। ए०डी०एम० (सिटी) ने उनको सूचना दी कि सर्किट हाउस के जो नियम हैं उनके अनुसार डाक्टर लोहिया साहब सर्किट हाउस में टिक नहीं सकते हैं, इसलिये ऐसा करना कठिन है। उसी दिन १२ बजे दोपहर के करीब सर्किट हाउस के केयर-टेकर ने जो वहां की देख-रेख करते हैं, यह सूचना दी ए०डी०एम० (सिटी) को कि १२ बजे दोपहर को डाक्टर लोहिया और उनके ९/१० साथी सर्किट हाउस में आ गये हैं और उन्होंने नम्बर २ और ३ के जो सूट्स हैं उनमें बिला इजाजत जबरदस्ती प्रवेश कर लिया है और अब यह मांग कर रहे हैं कि सर्किट हाउस में टिकने वालों को जो सुविधायें दी जाती हैं वे सारी सुविधायें उनको भी प्रदान की जायं।

ए०डी०एम० (सिटी) ने केयर-टेकर से यह कहा कि यह अनधिकार प्रवेश है डाक्टर साहब का और नियम के विरुद्ध है लिहाजा सर्किट हाउस की सुविधाओं का लाभ वह नहीं उठा सकते हैं। इसके बाद केयर टेकर ने थाने में एक रिपोर्ट की इसी घटना की कि डाक्टर लोहिया साहब ९/१० आदमियों के साथ आ गये हैं और बिला इजाजत सर्किट हाउस में टिक गये हैं और हटने से भी इन्कार करते हैं। लिहाजा रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी। इधर रिपोर्ट से पता यह लगता है कि १७ तारीख को वह दिन भर और रात भर वहां पड़े रहे और १८ तारीख को ए०डी०एम० (सिटी) ने एक पत्र लिखा डाक्टर लोहिया साहब को और उन्होंने उसमें यह लिखा कि आपक इस प्रकार से सर्किट हाउस में प्रवेश कर जाना और टिकना नियम के विरुद्ध है, अनअथराइज्ड है। इसका कोई उत्तर डाक्टर साहब ने नहीं दिया। लेकिन रजनीकांत वर्मा जी की ओर से एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं डाक्टर साहब के आदेश से लिख रहा हूं और उन्होंने यह लिखा कि हमने जबरदस्ती प्रवेश नहीं किया है बल्कि केयर टे कर ने कमरे खोल दिये टिकने के लिये। खाली कमरे उन्होंने खोल दिये और उसमें डाक्टरमसाहब और उनकी सारी पार्टी टिक गई है और हमारा अधिकार है, एम०एल०एज० और ए० पीज० का अधिकार है कि इसमें टिकें और ऐसी दशा में आपने जो यहां की सुविधायें बन्दकर दीं हैं, यह अनुचित किया है और १८ तारीख को वह वहां मौजूद रहे। सर्किट हाउस से कुछ ट्रंक-काल बुक करने की चेष्टा की गई जिसका पता लगा ए०डी० एम० को तो उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर टेलीफोन से कहा कि यह अपने यहां दर्ज न करें और फिर १९ तारीख को डाक्टर लोहिया साहब सर्किट हाउस से चले गये। उनके साथी श्री रामस्वरूप वर्मा १८ को थे, श्री तातारी एम०एल० सी० थे और भी कई आदमी थे यानी ८/९ आदमी थे। जहां तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सुविधायें देने का सवाल है, बार-बार उनके मांगने पर कि हम को चाय दी जाय, खाना दिया जाय, उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने अन धिकृत प्रवेश किया था। जहां तक पानी का संबंध है, पानी पर रुकावट नहीं लायी गयी। नहाने और पीने का सारा पानी मिलता रहा। केयरटेकर की रिपोर्ट पर धारा ४४८ आई०पी०सी० के अन्तर्गत ट्रेसपास का केस कायम हुआ। उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है। डाक्टर लोहिया साहब स्वयं बदायूं में गिरफ्तार किये गये, जो जमानत दे कर छूट चुके हैं यही है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय गृह मंत्री उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे, जिनकी वजह से ऐसा नियम बनाना पड़ा कि गैरसरकारी सदस्य सर्किट हाउस में नहीं ठहर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—यह इससे उठता नहीं। यह तो नियम के अनुसार काम हुआ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि ३०–३१ अगस्त, १९४९ को कांग्रेस की प्राविशल एग्जिक्यूटिव काउंसिल के सदस्य वहां ठहरे थे, जब कि वहां पर बैठक हो रही थी, उस वक्त नान-आफिशल सदस्य जो थे, वह ठहरे थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री सुरथबहादुर शाह—आप स्वयं थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आप प्रश्न कर देंगे तो सूचना मंगा ली जायगी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि माननीय डाक्टर लोहिया जैसे पब्लिक स्टैंडिंग के आदमी का वी०आई०पी० में नाम सम्मिलित कर लिया जाय ताकि यह झगड़ा आइंदा न रहे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गवर्नमेंट के आर्डर से उसके लिये नियम बने हुये हैं। उन नियमों के अनुसार काम होता है। अगर उनमें माननीय सदस्य कोई संशोधन करवाना चाहें तो प्रस्ताव वगैरह करें, तो संशोधन करने की बात पर विचार किया जाय।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर लोहिया के साथ जो ८–९ व्यक्ति और थे उनमें कुछ लोक सभा और विधान सभा तथा विधान परिषद् के भी सदस्य थे? क्या उन विधान परिषद, विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों को सर्किट हाउस में ठहरने का अधिकार है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। मैंने निवेदन किया कि उनके साथ तातारी जी और रामस्वरूप वर्मा जी—ये लोग उनके साथ थे। और भी कुछ लोग शायद रहे। उनको नियमतः अधिकार नहीं है। जो नियम हैं और जिनको उनमें अधिकार है, उसका बड़ा स्पष्ट विवेचन है। उनके अलावा और किसी को ठहरने का अधिकार नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि सर्किट हाउस में ठहरने के नियम अंग्रेजों के जमाने में बने थे, जबकि केवल अंग्रेजों को ही उन में ठहरने की इजाजत थी, क्या उन्हीं नियमों के मातहत डाक्टर लोहिया को ठहरने की इजाजत नहीं दी गयी और अगर इजाजत है तो किन लोगों को ठहरने की इजाजत है, इसक स्पष्ट करने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इजाजत है, राष्ट्रपति को, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश और किसी दूसरे राज्य के भी राज्यपाल को, मेम्बर्स आफ गवर्नमेंट आन टूर, यानी शासन परिषद् के सदस्य, यदि यात्रा इत्यादि में जायं। इनके अलावा नीचे लिखे मिलिटरी और सिविल

आफिसर्स अगर पूरा नोटिस दे कर कलेक्टर की इजाजत से रहें, तो रह सकते हैं और उतने दिनों के लिये रह सकते हैं जितने दिनों के लिये कलेक्टर इजाजत दे। जिन अधिकारियों को इसमें रहने की इजाजत है, वह हैं:

आनरेबिल चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, जजेज हाई कोर्ट, चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल, आनरेबिल स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेम्बली, ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू, बिशप बिशप आफ लखनऊ, कमिश्नर किसी डिवीजन के अगर वह सर्किट हाउस उनके डिवीजन में है तो, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज, हेड्स आफ दी डिपार्टमेंट्स, डी०आई०जी० पुलिस, भारत सरकार के बड़े अफसरान, पोस्टमास्टर जनरल, यू० पी०, डाइरेक्टर टेलीग्राफ, कंट्रोलर; इमीग्रेंट लेबर .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं इतना काफी है, इस तरह की लिस्ट है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लिस्ट उन्होंने अभी बतायी और उसमें यह बताया कि बिशप आफ लखनऊ सर्किट हाउस में ठहर सकते हैं, तो क्या बिशप आफ लखनऊ राजकीय अधिकारी हैं या जिस तरह से बिशप को यह अधिकार है उसी तरह क्या अन्यान्य पन्थावलम्बियों के मुख्य-मुख्य गुरू भी वहां ठहर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहस कर रहे हैं।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे—मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो नियम बता दिया।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे—उसी नियम के बारे में जानकारी चाहता हूं कि क्या बिशप आफ लखनऊ के लिये खास तौर से है या और किसी के लिये भी?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिशप आफ लखनऊ की परिभाषा में जगद्गुरू शंकराचार्य भी शामिल हैं?

(श्री अध्यक्ष द्वारा उपरोक्त प्रश्न की अनुमति नहीं दी गई।)

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नियम अभी उन्होंने पढ़कर के सुनाया यह कब बने थे और इनमें वर्तमान सरकार कोई संशोधन करने जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वर्तमान सरकार ने तो संशोधन किया है क्योंकि पुराने जमाने में राज्यपाल नहीं होते थे, गवर्नर होते थे। उसी से मालूम होता है कि पुराने नियमों में सरकार ने संशोधन किये हैं। सन् ५४ में भी किये हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि एम्बेसेडस, कौंसेल्स और दूसरे फारेन मिशन्स के हेड्स आवें, हाई कमिश्नर्स आवें तो उनको भी टिकने का अधिकार मिल सकता है। सम्प्रति जो नियम है वह यही है। नियमों में संशोधन होते रहते हैं, हो सकते हैं, लेकिन जब तक ये नियम हैं तब तक उनका पालन करना ही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह संशोधन जो उन्होंने पढ़कर के सुनाये ये नियमों में कब किये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने आपसे निवेदन किया कि जो० ओ० है इसमें डेट दी हुई है जुलाई २३, १९४८, एक, और दूसरी जो मैंने अभी पढ़ के सुनायी वह है २९ सितम्बर, ५४।

श्री अध्यक्ष—अब यह समाप्त होता है।

कार्यक्रम के संबंध में जानकारी की मांग

श्री जगवीर सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह का प्रोग्राम क्या रहेगा यह माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें तो अच्छा है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इस समय यह कुमायूं जमींदारी विनाश का विधेयक लिया जायगा और ऐसा विचार है कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद यह सदन गर्मी के लिये उठ जायगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—यह स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिर सरकार ने कब तक तय किया है कि हाउस कब तक बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये १६ घंटे तय हुए थे कार्य-परामर्शदात्री समिति से, तो वह समाप्त होते ही सत्र समाप्त किया जायगा।

श्री गेंदा सिंह—तो मैं यह जानना चाहता था कि सीलिंग का जो बिल है उसकी क्या गति होने वाली है ?

श्री अध्यक्ष—गर्मी के बाद आयेगा। इस वक्त तो नहीं लिया जायगा।

सोशलिस्ट पार्टी के १२ सदस्यों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार* (क्रमागत)

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बैठक में यह अर्ज कर रहा था कि इस सदन का गौरव हमारा गौरव है और हमारे प्रदेश का गौरव है। इस गौरव के लिये कुछ मान्यतायें हैं, कुछ प्रथायें हैं, कुछ परम्परायें हैं और हमने कुछ नियम भी उसके लिये बना रखे हैं। इन परम्पराओं और नियमों का उल्लंघन करना हमारे लिये शोभनीय नहीं है। यदि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम इस सदन का अपमान करते हैं और हम ऐसा कोई उच्च आदर्श, जैसा कि हमको रखना चाहिये, हम उन लोगों के सामने, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, नहीं रख रहे हैं। इस सदन में जो कुछ हुआ वह सब ने देखा है और इस समिति की रिपोर्ट में उसका वर्णन है। हम सब लोग, जो सब जगह से चुन कर यहां आये हैं, दो लाख से कम के प्रतिनिधि नहीं हैं। जैसा व्यवहार हमने यहां पर किया है वह हमारे लिये बहुत ही लज्जा की चीज थी। जब हम लोग यहां से वापस गये तब लोगों ने इस कदर प्रश्न हमसे किये जिनको सुनकर हमको अपना सिर लज्जा से नीचा करना पड़ता था।

एक चीज मैं जानने की कोशिश करूंगा और वह यह है कि हमारे साथियों ने बड़े-बड़े लम्बे वक्तव्य देकर, बड़ी-बड़ी किताबें दिखाकर और बहुत-सी चीजें कह कर इस बात को साबित करने की कोशिश की कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सदन में ऐसी स्थिति पैदा हो जाय, जब सदन में इस तरह का वातावरण पैदा हो जाय जैसा कि कुंजड़ों के बाजार में या फिश मारकेट में हुआ करता है तो उस समय हमारा कर्त्तव्य क्या होगा? मैं समझता हूं कि हरएक माननीय सदस्य इस बात को तसलीम करेगा और मानेगा कि हमको

---

*२९ अप्रैल, १९६० को कार्यवाही से।

इस सदन के अन्दर व्यवस्था रखने की जरूरत है। हमको इस सदन के अन्दर ऐसी व्यवस्था रखने की जरूरत है जिससे हम उन महान समस्याओं पर, जो हमारे देश के सामने हैं, जनता के सामने हैं, उन पर सोच सकें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम उन कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते जो कि हमको पालन करना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था में माननीय सदस्य, जिन्होंने लम्बी-चौड़ी बहस की है, वह क्या चीज बतलाते हैं और वह स्वयं क्या करेंगे? इसके साथ-साथ एक चीज और जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वह यह है कि पहली मर्तबा भी एक बार ऐसा हुआ था जबकि हमने उसका ध्यान नहीं किया लेकिन ऐसा न करने से दूसरी दफा इस तरह की चीज और लम्बी-चौड़ी हो गई। एक बार कुछ न कुछ ध्यान करना पड़ेगा और यदि ध्यान नहीं करते हैं तो आइन्दा सदन की कार्यवाही नहीं चला पायेंगे। सवाल यह पैदा होता है कि क्या सजा दी जाय? हमको महात्मा गांधी जी ने एक चीज सिखाई है और वह यह है कि "we hate the sin, not the sinner" जो अपकृत्य है उससे हमको घृणा करनी है न कि जो उसका करने वाला है, उससे घृणा करनी है। उसके साथ हमको कोई घृणा नहीं होनी चाहिये। ऐसी हालत में मैं आशा करता हूं कि हमको बहुत नरम राय कायम रखनी चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि उनको नरम राय रखते हुए भर्त्सना देकर रहने दिया जाय और कोई चीज ज्यादा न की जाय तो उचित होगा।

Prince's act is pardon राजा का कर्त्तव्य तो माफ करना ही होता है। ऐसी हालत में सदन का मान रखने के लिये केवल भर्त्सना की जरूरत है और इसके अलावा और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर बहस हो रही है उसके मोटे तौर पर दो पहलू हैं। एक तो यह है कि सदन का अवमान हुआ या नहीं और दूसरा यह कि यदि सदन का अवमान हुआ है तो उसका दंड मिलना चाहिये या नहीं और अगर दंड मिलना चाहिये तो कितना मिलना चाहिये? मैं समझता हूं कि इस संबंध में ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। हम यहां पर किसी प्रकार का अदालती वायु-मंडल न पैदा करें तो अच्छा है। कानूनी बहस करने से और बाल की खाल निकालने से अवमान की समस्यायें और मान मर्यादाओं की समस्यायें हल नहीं हुआ करतीं हैं, ऐसा मेरा निश्चित मत है। मेरा यह भी मत है कि उस दिन जो कुछ हुआ वह सदन की मान-मर्यादा के अनुकूल नहीं था, वह इसके विरुद्ध था और उससे सदन का निश्चित रूप से अवमान हुआ। इस सम्बन्ध में मुझे कोई संदेह नहीं है और मुझे इस बात का दुख भी है और मैं इस पर खेद प्रकट करता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निश्चित मत है कि सदैव अपराधों का दंड देने से ही अपराध समाप्त नहीं हो जाते और इसके विपरीत क्षमाशीलता आदि से काम लेने से अधिक लाभ हुआ करता है और अपराधों में अधिक कमी होती है। इसलिये, जैसा कि माननीय हरिश्चन्द्र जी ने कहा है, मेरी भी यह प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में केवल भर्त्सना करके ही छोड़ देना चाहिये। भर्त्सना ही इसके लिये काफी दंड होगा। बस यही मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करना है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह जो घटना हुई यह दुखद है और सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, परन्तु यह भी ठीक है कि इस दुखद घटना के संबंध में जितनी बहस की जाय उतना ही उससे कष्ट होता है। यह सही है कि सदन का अवमान हुआ क्योंकि यह घटना सदन के सामने की है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। किन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि इन सभी दृष्टिकोणों से इस पर विचार करके इसको यहीं समाप्त कर दिया जाय। अवमान का प्रश्न मान लिया जाय और रेप्रिमांड करके, भर्त्सना करके इसको यहीं खत्म किया जाय क्योंकि जैसा पालीवाल जी ने कहा कभी-कभी अपराध दंड देने से भी बढ़ जाया करते हैं और उन पर सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने से उनका दमन हो सकता है। हरिश्चन्द्र जी ने भी जो कुछ कहा मैं उससे भी

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

सहमत हूं । नियम पालन करने के लिये बनते हैं, उनकी अवहेलना करने के लिये नहीं । अगर हम सदन के लोग ही उनकी अवहेलना करें तो उससे सदन की मर्यादा ही खत्म हो जायेगी । हमको नियमों का पालन करना चाहिये, यह सब ठीक है । अत : मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर विचार करके यदि सरकार हम लोगों का सुझाव मानले तो उचित होगा ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)---अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अत्यन्त अनुगृहीत हूं कि इन दो दिनों में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई और इससे दो बातें बहुत स्पष्ट हुईं । सभी सदन के सदस्यों ने आम तौर पर यह स्वीकार किया कि सदन का अवमान हुआ । दूसरे कुछ थोड़ी-सी शंकायें उठायी गईं प्रतिवेदन के संबंध में । मैं सचमुच इस तर्क से सहमत हूं कि इस विषय में बहुत ज्यादा कोई अदालती वातावरण हो या कोई लम्बी-चौड़ी बहस हो या तर्क उपस्थित किये जायं, या कानून की पुस्तकों को सदन के सामने रखा जाय, यह उचित नहीं है । बहुत स्पष्ट और छोटी-सी घटना है । सौभाग्यवश इसी घटना से मिलती हुई एक घटना मैकगवर्न की हमारे पास मौजूद भी है । उसमें न बहुत संदेह की आवश्यकता है और न तर्कों की ही आवश्यकता है और जैसा कि अभी माननीय पालीवाल जी ने कहा और दुबे जी ने कहा कि यह अवमान का प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिस पर तर्क करने की बात हो । सभी घटना सदन के सामने हुई । सदन के किसी भी माननीय सदस्य से तमाम घटना छिपी हुई नहीं है ।

कुछ थोड़ी-सी बातें नैनीताल के सदस्य, माननीय नारायणदत्त जी ने उस दिन सदन के सामने रख दी थीं । आज वह दुर्भाग्यवश सदन के सामने मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं अपना कर्तव्य समझूंगा कि उसके सम्बन्ध में बहुत ही संक्षिप्त-सी चर्चा कर दूं । उन्होंने कुछ जिक्र किया था कि दो सजाएं नहीं दी जानी चाहिए । मैं समझ भी नहीं पाया कि दो सजाएं किस प्रकार से हैं, जैसा कि कार्यवृत्त से स्पष्ट है । इसमें बताया गया है कि यह जो १२ सदस्यगण थे उनको भी सदन की सीमाओं के बाहर उस समय निकालने की आज्ञा दी गयी और आदेश उस समय दिया गया जब कि यह स्पष्ट हो गया कि वह माननीय राजनारायण जी के बाहर निकालने में सक्रिय बाधा उपस्थित कर रहे थे । तो सक्रिय बाधा अगर कोई किसी नियमित कार्य के सम्पादन में करे और उस नियमित कार्य को चलाने के लिए कुछ काम करना पड़े तो वह दंड नहीं होता । श्रीमान् का आदेश सदन का आदेश होता है और सदन का प्रतिरूप और प्रतिविम्ब होता है । अगर सदन आदेश दे कि किसी माननीय सदस्य को मार्शल गिरफ्तार कर ले और उसके गिरफ्तार करने में हम में से या दीर्घाओं में से कोई व्यक्ति उसको छुड़ाने के लिए मार्शल से बल प्रयोग करें या खींचकर ले जाने की चेष्टा करे तो अगर उन सभी व्यक्तियों को अलग किया जाय और अलग खड़ा किया जाय तो दण्ड यह किसी भी रूप से नहीं माना जासकता । कार्य संपादन करने के लिए जो कार्य किया जायगा वह दंड की सीमा में कभी भी नहीं आयेगा और मैं यद्यपि चाहता नहीं था कि इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहने की चेष्टा करूं, लेकिन जैसा कि मैकगवर्न के केस में हुआ, एक बहुत बड़ा तर्क यह उपस्थित किया गया था कि राजनारायण जी को भी दोषी करार क्यों नहीं किया गया या उनको समिति ने क्यों नहीं बुलाया ? मैंने उस दिन भी सेवा में निवेदन किया था कि समिति ने बहुत आवश्यक नहीं समझा, कोई आवश्यकता थी भी नहीं, वह सदन में मौजूद रहे । उन्हें जो कुछ कहना था वह यहां भी उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक बात नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि श्री राजनारायण के ऊपर इस सारे कार्य का उत्तरदायित्व रखा गया है प्रतिवेदन में, लेकिन उनको कोई दूसरा दण्ड देने की व्यवस्था इस प्रतिवेदन में नहीं की गयी । मैं सदन से इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि मैकगवर्न साहबको इस घटना के लिए दंड दिय गया । मैकगवर्न साहब जिस प्रकार दोषी थे उनके सम्बन्ध में भी वहां यही आदेश हुआ अध्यक्ष का

कि दोषी हैं और इसके लिए दंड दिया गया, जिस प्रकार कि राजनारायण जी के सम्बन्ध में प्रस्ताव हो गया था कि सदन की सेवाओं से १५ दिन के लिए निलंबित किया जा रहा है। ऐसा ही प्रस्ताव मैकगवर्न के सम्बन्ध में पास हुआ और उनको सदन की सेवाओं से निलंबित किया गया। उसकी अवहेलना में जब वह बाहर नहीं गये तब उनको जबरदस्ती बाहर निकाला गया। जैसे ही स्पीकर साहब दोबारा आकर बैठे और उन्होंने इस घटना का जिक्र किया तो उन्होंने दोबारा दंड दिया और इसलिए दिया कि बाधा उपस्थित की मार्शल के कार्य में। मैं केवल दो पंक्ति उस सम्बन्ध में पढ़ कर सुना देना चाहता हूं जिससे यह बात स्पष्ट हो जाय . . .

"मुझे सदन को सूचित करना है कि शेटिलस्टन के माननीय सदस्य को सदन से हटाने के लिए बल प्रयोग करने की आवश्यकता हुई है, इसलिए उन्हें शेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जाता है"। यही नहीं, उस दिन जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें यह था कि उनको शेष सत्र के लिये सदन की सेवाओं से निलंबित किया जाय। आज इस समय नारायणदत्त जी यहां पर नहीं हैं इसलिये उनके सम्बन्ध में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं राजनारायण जी तिवारी के तर्क का उत्तर देना चाहता हूं कि यदि राजनारायण जी को हमने सेव किया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनारायण जी के उत्तरदायित्व को हटा दिया। उन पर सब से ज्यादा उत्तरदायित्व है। जितने और माननीय सदस्य थे वह उनके दल से सम्बन्धित थे इसलिये उनके पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि वह उनके कार्य में सम्मिलित हों और वह सम्मिलित हुये।

माननीय नारायणदत्त जी ने एक बात यह रखी कि वहां पर सार्जेन्ट ऐट आर्म्स पर हमला हुआ, उसके चोटें लगीं। आज वह दुर्भाग्य से यहां पर उपस्थित नहीं हैं, मैं उनसे पूछता कि कहां से उनको इस बात का स्वप्न हो गया, कौन-सी कार्यवाही उनके सामने ऐसी आई जिससे उनको यह पता लगा। इसके बिलकुल विपरीत तीन जुलाई की कार्यवाही में इसका जिक्र है :—

"I have the honour to report that, this afternoon, when carrying out your instructions to remove the honourable member for Shettleston, the messengers of the House who were acting under my orders, were forcibly obstructed in the execution of their duty by certain members of Parliament".

"फोर्सिबली आब्सट्रक्टेड" यह शब्द हैं। इस सदन में भी जो आपके सचिव द्वारा शब्द दिये गये वह भी "बाधा डालने" के ही शब्द हैं, दूसरे शब्द नहीं हैं।

एक चीज यहां पर और कही गई जो कि मैं समझता हूं गलत कही गई और वह प्रोसीडिंग्ज के सम्बन्ध में कि वह प्रोसीडिंग्स आफ दि हाउस नहीं था। यानी उस समय सदन बैठा हुआ नहीं था। वैसे तो जो प्रतिवेदन है उसमें इसका जिक्र है कि यह सदन किस प्रकार बैठा हुआ था लेकिन मैं उसकी एक अंतिम पंक्ति पढ़ देना चाहता हूं—

"During the suspension of a sitting, the Speaker, the mace being left upon the table, retires from the House, and returns at the appointed hour, when business is resumed without counting the House, as, technically, the House continues sitting, these occurrences are not noted in the journal".

यानी "ड्यूरिंग दिसस्पेंशन आफ ए सिटिंग" जब कि अध्यक्ष महोदय सिटिंग को रोक दें तो उस दौरान में भी हाउस बैठा रहता है।

इसके अतिरिक्त मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का बहुत जिक्र किया गया। उसमें इस प्रकार से है कि यदि यहां कोई घटना हो जाय जिसमें एक आदमी दूसरे पर आक्रमण कर दे तो इतना देखना पड़ेगा कि सदन को वह घटना सदन के कार्य के सम्बन्ध में कोई या किसी दूसरे सम्बन्ध में, इसके अतिरिक्त और कुछ देखने की आवश्यकता

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

नहीं है । यह सदन का कार्य किस समय होता है और कैसे होता है इसका भी जिक्र पेज ६२ पर है, उसकी केवल एक पंक्ति में पढ़ कर सुना देना चाहता हूं :

"Officer of the House takes part in its proceedings principally by carrying out its order, general or particular".

तो यह तो जब यहां के आफिसर आप की एक आज्ञा का पालन करवा रहे थे तब सिटिंग चल रही थी, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । मैकगवर्न का केस मौजूद है और उसको छोड़कर के भी मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के पृष्ठ १२७ पर इसका जिक्र है :

"1. Resisting the Serjeant at Arms, or his officers.
2. Rescuing out of the custody of an officer of either House."

इस प्रकार की सारी घटनायें जिसमें सार्जेन्ट ऐट आर्म्स के कार्य में बाधा डाली जाय उन सबको सदन अवमान की दृष्टि से देखता है और उसको अवमान समझता है । मैं इस सम्बन्ध में बहुत चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा खयाल है कि इस बारे में बहुत बातें हुईं, अन्त में केवल एक बात निवेदन कर दूं ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । मुझे थोड़ा-सा दुःख हुआ जब राज नारायण जी ने यह कहा कि भारतीय जी बराबर में उस वक्त खड़े हुए थे और उनको पुलिस ने धक्का दे दिया तथा एक और सदस्य ने कहा कि उनको भी पुलिस ने धक्का दिया, लेकिन यह जो कार्यवृत्त इस प्रतिवेदन का है उसकी रिपोर्ट में देव नारायण जी का जो वक्तव्य है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है--"मैं बैठा हुआ था, तब तक हमने शृंखला नहीं बांधी थी, उस समय मुझको बाहर निकाल दिया ।" इस तरह की बात उन्होंने कही है । तो मुझे केवल यह कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है और किसी रूप में सदन के कार्य में बाधा पहुंचाता है तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा । जहां तक पुलिस के आदमियों की बात कही गयी, उनको किसी से दुश्मनी या शत्रुता नहीं थी । उनकी कैसे हिम्मत हो सकती है किसी माननीय सदस्य को बाहर निकालने की । जब तक वे बाधा नहीं पहुंचा रहे थे तो क्यों निकाले गये ? यदि वे निकाले गये तो वे बाधा पहुंचा रहे थे, अगर वे बाधक थे तो उन्होंने सदन का अवमान किया था । इसलिये सदन की प्रतिष्ठा को देखते हुए, मैकगवर्न केस की तरह से यदि माननीय सदस्य ऊपर उठ पाये तो बहुत अच्छा है । जहां तक दंड का प्रश्न है, मेरा प्रस्ताव सदन के समक्ष है, उसके बारे में सदन की इच्छा ही अन्तिम होगी ।

श्री अध्यक्ष--मैं इस प्रस्ताव को राय लेने के हेतु दो हिस्सों में बांटता हूं । पहला तो यह कि सदन का अवमान हुआ है या नहीं । और अगर अवमान हुआ है तो कोई दंड देना उचित है या नहीं । क्योंकि भाषणों में कई तरह की रायें दी गयीं । कुछ लोगों का कहना यह था कि दंड नहीं देना चाहिये, कुछ लोगों का कहना था, जैसा कि शुक्ल जी ने कहा एक रोज का दंड दिया जाय तथा कुछ लोगों का कहना है कि केवल भर्त्सना की जाय । इसलिये दंड के बारे में मैं दूसरा प्रश्न रखूंगा ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करवाना चाहूंगा । आपने कहा कि इस प्रस्ताव को मैं दो हिस्सों में लूंगा । उसका एक हिस्सा यह बताया कि सदन का अवमान हुआ या नहीं । मैं चाहूंगा कि उसके भी दो भाग कर दिये जायं--(१) इन १२ सदस्यों ने अवमान किया या नहीं ? (२) राज नारायण जी ने अवमान किया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--राजनारायण जी का प्रश्न इस समय सदन के सामने नहीं है । उनको तो यह सदन दंड दे चुका है । इसीलिये इस प्रतिवेदन में उनके बारे में कोई प्रश्न

ही नहीं उठाया गया, उनके बारे में कोई कार्यवाही करना समिति ने उचित नहीं समझा। उन्होंने १२ सदस्यों के बारे में कार्यवाही करने की लिये सदन को सुझाव दिया है। वही हमारे सामने है ।

अब मैं माननीय लक्ष्मीरमण जी के प्रस्ताव को पढ़े देता हूं :—

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ७३ के अन्तर्गत, यह सदन उक्त समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करता है तथा यह सदन समिति के इस मत से सहमत है कि सचिव, विधान सभा की शिकायत में उल्लिखित १२ सोशलिस्ट सदस्य अवमान के दोषी हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—इसका दूसरा अंग इस प्रकार है :—

"यह सदन निश्चित करता है कि समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार दोषारोपित १२ सदस्यों को सदन की सेवा से एक सप्ताह के लिये निलम्बित किया जाय।"

क्योंकि इस संबंध में कुछ संशोधन हैं, इसलिये मैं पहले संशोधनों को लूंगा ।

(राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे से) आपका संशोधन है कि भर्त्सना करके मामला खतम कर दिया जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—रिप्रेमंड करके समाप्त कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—रिप्रेमंड दूसरी चीज है । सदन को हर तरह की चीज करने का अधिकार है । रिप्रेमैंड में हमें उनको अपने सामने बुलाना पड़ेगा और यहां पर बुला कर कठघरे में खड़ा कर आपकी तरफ से रिप्रेमंड करना होगा। वह चीज ऐसी होगी कि जो मैं समझता हूं कि उसमें ग्रेस कम हो जायगी । जो आपने उदारता दिखलायी है वह कम हो जायगी ।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, सदन के मान-अवमान का सवाल किसी एक दल या पार्टी के मान-अवमान का सवाल नहीं है और यह बड़ी खुशी की बात है कि सदन के सभी पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया कि जो दुखद घटना हो गयी उस दिन, वह सदन के अवमान की बात थी । अब प्रश्न यह है कि दंड क्या हो। दंड स्वयं किसी का लक्ष्य नहीं होता, कोई साध्य नहीं होता, वह तो साधन है, उपाय है किसी काम को करने के लिये। मेरा तो ऐसा विचार है और मेरा अनुरोध है कि जो दो-तीन और प्रस्ताव यहां रखे गये हैं वे सब हटा लिये जायं और केवल वही प्रस्ताव सामने रखना चाहिये जो हमारे सामने माननीय पालीवाल जी, और राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे जी ने रखा है। यह किसी और को दंड देने का सवाल नहीं है बल्कि यह सदन प्रस्ताव करता है और हम यह आशा करते हैं कि जिन माननीय सदस्यों ने ऐसी गलती की है वे इससे सबक सीखेंगे और आयन्दा इस तरह का व्यवहार करेंगे जिससे सदन की और स्वयं उनकी मर्यादा में वृद्धि हो सके ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अभी जिन शब्दों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह संशोधन रखा, उसको सदन सर्वसम्मति से स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ (Kumaun Zamindari Abolition and Land Reforms Bill, 1957) जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

इस सम्बन्ध में श्रीमन्, मुझे कोई लम्बी-चौड़ी तकरीर नहीं करनी है। यह विधेयक बहुत दिनों से इस सदन के सामने आती रही है और जैसा कि इसके स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स से साफ जाहिर है कि.....

श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---प्वाइंट आफ आर्डर, सर। यह तो व्यपगत हो गया था, फिर यह बिल पुरः स्थापित कब हुआ ?

श्री अध्यक्ष---यह व्यपगत नहीं हुआ है। जो वापस ले लिया गया था वह दूसरा बिल था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---उस समय दूसरे मंत्री थे और छगा भी किसी दूसरे के नाम था।

श्री अध्यक्ष---यह दूसरी बात है।

श्री हुकुम सिंह विसेन---इन तमाम बातों से अब यह रुकेगी नहीं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस सदन में जिस वक्त यह विधेयक लायी गयी थी साफ तौर पर कहा गया है जहां तक जमींदारी उन्मूलन का प्रश्न है यह सिद्धान्त इस सदन ने १९५० में मान लिया था और इसकी पुष्टि में अगर उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि-व्यवस्था ऐक्ट की धारा २ (१) की तरफ तवज्जह दें तो उससे साफ जाहिर हो जायगा। उस धारा में यह लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो विधान है वह कुमायूं डिवीजन में भी लागू होगा कुछ माडिफिकेशन अल्टरेशन और एक्सेप्शन के बाद बशर्ते कि उसकी वजह से कोई सामान्य तब्दीली न हो। उसी वक्त से विचार होता रहा कि किस तरह से इसको लागू करें, क्या-क्या संशोधन करें और क्या-क्या एक्सेप्शन करें क्या-क्या तरमीम करें जिससे कोई सब्स्टैंसिव चेंज न हो और लागू कर दिया जाय। लेकिन तजुर्बे ने यह बताया कि बिना सब्सटैंशियल तब्दीली के यह सम्भव न होगा और इसी वजह से यह बिल यहां लाया गया। इसके उद्देश्य और कारणों में यह दिया हुआ है कि हम यह चाहते हैं कि हिस्सेदारों के हकूक खायकरी एक्वायर किये जायं और जिस तरह का मैदानी इलाके में टेन्योर है वैसा ही पहाड़ों में भी हो जाय। पहाड़ों में जो गरीब तबका है, जिस की टेनेन्सी जमीन पर अभी सीक्योर नहीं है उनको सिक्योरिटी देने के लिये और उनकी माली हालत सुधारने के लिये यह बिल लाया गया था। इस के जरिये से वह भी एक अच्छे तरीके से अपनी जिन्दगी बसर कर सकेंगे। यही इसका उद्देश्य है। इस सदन ने काफी बहस-मुबाहिसे के बाद इस को ज्वाइंट प्रवर समिति के सुपुर्द किया था। सितम्बर सन् ५७ में या ५ मई सन् ५८ को उस की पहली बैठक हुई और उस के बाद उस की कई बैठकें हुईं और उस में वहां संशोधन भी किया गया और जो मुख्य-मुख्य संशोधन किये गये हैं वे संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट में उद्धृत किये गये हैं। मैं उन को दोहराना नहीं चाहता। एक अरसे से यह रिपोर्ट सदन के सामने है और उसको काफी गौर से माननीय सदस्यों ने पढ़ भी लिया होगा इसलिये उसे दोहरा कर मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता और केवल इतना कह कर ही खत्म करता हूं। आशा करता हूं कि सदन इस बिल पर विचार करेगा जैसा कि वह सेलेक्ट कमेटी से आया है और इस बात का मौका देगा कि यह बिल पास किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस से पहले कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं मैं आप से इजाजत चाहूंगा कि इसमें कई जगह ऐसा दिया हुआ है जैस धारा ४३ में है कि यह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा फलां से धारा फलां तक आवश्यक परिवर्तनों सहित उस क्षेत्र पर भी लागू होगा। इसमें कुछ नियम कोट किये हैं वे परिवर्तनों सहित लागू होंगे। जब तक वह हमारे सामने न हों तो हम किस चीज को समझें। मैं अर्ज करूंगा कि वह परिवर्तन और डाकुमेंट्स हमें मोहय्या करा दिये जायं और जो डाकुमेंट्स....

श्री अध्यक्ष---मैंने तो आप को संशोधन पेश करने के लिये बुलाया था.....

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---वह तो मैं कर ही रहा हूं लेकिन यह बता दिया जाय कि वह परिवर्तित डाकुमेंट्स क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---यदि कागजात कोई हों तो मंत्री जी उन्हें बाद में उपस्थित कर दें।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "उपरोक्त विधेयक को जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिस को इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।"

(इस समय १ बज कर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए।)

जहां तक जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रश्न है उस के विषय में मेरी जाती राय भी है और जिस जनसंघ दल को मैं बिलांग करता हूं उस की भी यही नीति है कि जमींदारी का उन्मूलन होना चाहिये, इस में कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन हमें देखना यह है कि कुमायूं में वाकई जमींदारी है या नहीं। मैं सदन के सामने कुछ आंकड़े पेश करूंगा जो इस सरकार ने स्वयं मोहय्या किये हैं। जिस वक्त यू० पी० जमींदारी एबालिशन ऐक्ट बना था उस समय एक सेलेक्ट कमेटी भी बनी और लोगों के खयालातों का भी रिकार्ड हुआ, एवीडेंस ली गई, कमेटी जगह-जगह पर गई। उस समय हम क्या देखते हैं। २५ रु० या कम लगान देने वाले १७,१०,५३० लोग थे और उनके द्वारा दी जाने वाली मालगुजारी थी। एक करोड़ ४९ हजार ७२५ रु० और २५० रु० से ज्यादा देने वाले थे ३०,१४२, लोग जिनकी मालगुजारी थी ३,९३,५२,०८५ रुपये। १० हजार से ऊपर के लोग १ करोड़ ५६ लाख २६ हजार ६७९ रु० देते थे जिनकी संख्या ३९० थी। इसमें यह भी दिया हुआ है कि रकबे के हिसाब से आधे एकड़ तक जमीन जिनके पास थी उनकी तादाद २६,४३,४३१ थी। और उसका रकबा था ९,२५,४५७ एकड़। तो इतने ज्यादा आदमी और रकबा इतना कम। आदमियों का प्रतिशत आता है २१.५ जब कि रकबे का प्रतिशत है केवल २.२। इसी प्रकार ५ एकड़ तक की अधिकतम जोत वाले ८१.२ परसेन्ट लोगों के पास कुल ३६.८ परसेन्ट जमीन थी।

कुछ आंकड़े हमारी मौजूदा सरकार के भूतपूर्व मंत्री श्री चरण सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। उनको अगर देखें---तो नक्शा पहले के विपरीत बैठता है। मगर मेरी एक परेशानी है। श्रीमन्, आजकल कुछ थोड़े ऐसे शब्द हो गये हैं जो इस युग में कुछ लोगों को जरा आकर्षक लगते हैं जैसे प्रोलीटेरियट या बुर्जुआ या अपने आपको प्रगतिशील और अग्रगामी कहना तथा दूसरों को रिऐक्शनरी कहना। कुछ ऐसे कैचवर्ड रूप से आ गये हैं। दुर्भाग्यवश जिनके आका के यहां से यह आये हैं वह तो उन्हें मानते ही हैं लेकिन जो लोग सिद्धान्ततः उनके खिलाफ है वह भी उनका प्रयोग करते हैं। तो आजकल किसी को कंडेम करना हो, चाहे वह जमींदार या महाजन या जनद्रोही न भी हो, तो उसको बुरा बनाने हेतु कह दिया जाय कि यह रिऐक्शनरी हैं।

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

सदन में बड़े-बड़े विद्वान और बुजुर्ग मंत्री हैं। उन्हीं के आंकड़ों के मुताबिक, जो ५७२ गांव नैनीताल में, ३५२ अल्मोड़े में ७०२ गढ़वाल में तथा ३६९ टेहरी-गढ़वाल में सर्वे किये गये। उन आंकड़ों को देखकर मैं सोचता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को हैरत होगी कि क्या नक्शा वहां का और यहां का है। वहां आधे एकड़ से कम जिनके पास होल्डिग है उन लोगों की संख्या ६०.०४ प्रतिशत नैनीताल में है, अल्मोड़े में ६४ प्रतिशत, गढ़वाल में ५८.६ प्रतिशत व टेहरी में ३० प्रतिशत है। एक एकड़ तक के ऐसे लोग अल्मोड़े में ८२ प्रतिशत, नैनीताल में ७४.९६ प्रतिशत, गढ़वाल में ७९.२ प्रतिशत और टेहरी में ५० प्रतिशत हैं। ३ एकड़ तक की अधिकतम जोत वाले ऐसे लोग अल्मोड़े में ९४ प्रतिशत, नैनीताल में ९१.६४ प्रतिशत, गढ़वाल में ९५.१ प्रतिशत और टेहरी में ८१ प्रतिशत हैं। और ५ एकड़ या उससे कम जोत वाले अल्मोड़े में ११ प्रतिशत, नैनीताल में ९८.५२ प्रतिशत, गढ़वाल में ११.३ प्रतिशत तथा टेहरी में १७ प्रतिशत है।

तो श्रीमन्, जिनका इतना शोर होता है वह बहुत बड़े जमींदार कितने बड़े हैं, इस तालिका को देखकर उनकी वास्तविकता का पता चलता है कि वे कितने बड़े हैं? नगण्य लोगों को छोड़कर वहां पर ऐसे ही लोग हैं जिनकी काश्त ५ एकड़ से कम की है। जिस माने में जमींदारी शब्द यहां मैदान में प्रयोग होता है उस माने में वहां नहीं होता। श्रीमन्, स्टावैल के लैंड टैन्योर आफ दि कुमायूं डिवीजन में कहा गया है कि वहां के लोगों की और वहां की प्रथा को जमींदारी कहना Mischievous होगा। यह उन्हीं के शब्द हैं, यानी शैतानी से पूर्ण होगा। तो मैं कह रहा था, इस तरीके से अगर देखा जाय या लैंड रेवेन्यू के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ढाई रुपये तक जो लगान देते हैं उनकी तादाद ८२ परसेंट है नैनीताल में, अल्मोड़ा में ८५ परसेंट में ऐसे हैं जो ढाई रुपया या उससे कम लगान देते हैं जिनको जमींदारी कहा जाता है। गढ़वाल में ९७ परसेंट हैं जो ढाई रुपये से कम लगान देते हैं ५ रुपये से कम लगान देने वाले नैनीताल में ९३ फीसदी, अल्मोड़ा में ९६ फीसदी, गढ़वाल में ९९.५ फीसदी और १० रुपये से नीचे तो प्रायः सेंट परसेंट हैं। ५ ही रुपये में लगान वालों की तादाद केवल पूरी आबादी में से करीब ४ परसेंट बाकी रहती है। अल्मोड़ा में और गढ़वाल में आधे परसेंट ही बाकी रहते हैं जो लगान ५ रुपये से कम देते हैं यानी सारे के सारे लोग प्रायः ५ रुपए तक ही लगान देते हैं। एक जमींदर अलबत्ता वहां पर है सातों जिलों में जो अस्कोट के रजवार हैं और २,००० रुपये से ज्यादा रकम देते हैं मगर उनके लिये विशेष व्यवस्था सरकार कर चुकी है। मेरे यह आंकड़े भूतपूर्व माल मंत्री श्री चरण सिंह के दिये हुए हैं जो अपने विषय के विशेषज्ञ थे और जिन आंकड़ों के इकट्ठा करने में काफी रुपया सर्फ भी हुआ था। पहाड़ों पर की काश्तकारी समस्या पर २० मई, १९५३ के पायनियर के हिल सप्लीमेंट में उनका एक आर्टिकिल निकला था और करीब करीब उन्हीं तारीखों में जहां तक मुझे याद है नेशनल हैराल्ड में भी निकला था जिसमें उन्होंने कहा था:

"The system of land tenure in Kumaon has little in common with the Zemindari system as it existed in the plains. It is as different from the latter system as is the terrain and the topography of the Hills. Naturally the peculiar tenures obtaining in Kumaon and the local customs governing different classes of people inhabiting this division are such as involve many difficulties."

इससे स्पष्ट होता है कि कुमायूं में जमींदारी प्रथा है ही नहीं। जिस तरह से यहां की प्राकृतिक बनावट और वहां की प्राकृतिक बनावट में धरती और आसमान का अन्तर है उसी तरह से लैंड टेन्योर भूमि सम्बन्धी कानूनों में भी फर्क है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस सदन में हम पर्वतीय लोग माइक्रोस्कोपिक मानइनारिटी में हैं और यहां के लोग जानते नहीं कि वहां क्या हालात हैं क्योंकि आने-जाने के साधन कम व बेहद कष्टदायक हैं। अगर मैदान के किसी एक माननीय सदस्य को वहां जाना पड़ा तो दोबारा शायद न जाय। तो ऐसी कष्ट की जिन्दगी हम वहां बिताते हैं।

वहां के लैंड टेन्योर के बारे में थोड़ा-सा बताऊंगा। वहां के हिस्सेदार को जिसे (Cosharer in land) कहा जा सकता है ऐलाइनेबिल राइट को हस्तान्तरणीय अधिकार होता है, यानी अपनी जमीन का पूरा मालिक जिसे कहा जा सकता है....

श्री हुकुम सिंह विसेन—Just as Zamindar.

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—जो जमींदार नहीं। जमींदार तो कभी हल जोतता नहीं था, ऐश आराम करता था, उसने कभी काश्त नहीं की, न उसने खेत स्वयं बनाये। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोप्राइटर कौन लोग हुआ करते थे। जमींदारों की आदत ऐसी है कि आप खत्म हो गये और ऐंठ न गई। और खत्म होने पर भी कुछ खुराफात करते रहत ह, तो यह कैफियत यहां की हो मगर पर्वतों के सीधे-साधे कृषक हिस्सेदार की दूसरी हालत है। पेज ३४ पर स्टवल मैनुअल में इस तरह हिस्सेदार का वर्णन किया गया है कि उन्हें कैसे बनाया गया और कैसे उनको हिस्सेदार की संज्ञा दी गई।"from being found as the actual original cultivators of the soil"

ऐसे लोग उंगली पर गिनने लायक थे जो कि काश्तकार न रहा हो और जमींदार की तरह केवल ग्रांट पाने से हिस्सेदार बनाया गया हो। ऐसे लोग ५० से ज्यादा इन ७ जिलों में नहीं होंगे जिनको उन्होंने बख्शीश के तौर पर हिस्सेदार बना दिया हो। ज्यादातर ९९ प्रतिशत से अधिक ऐसे लोग हैं जो उस जमीन को खुद कमाया करते थे। आज कल के जमाने में "In more recent times the clearing and cultivation of waste, forest land and nayabad grants have been means of acquiring proprietary right, and of course new proprietors have in places obtained rights by purchase." तात्पर्य यह कि सन् १८७२ ई० के बाद जिनसे नई बंजर या जंगल वाली जमीन साफ की, तोड़ी व जोती उसे उस जमीन का मालिक याने हिस्सेदार बना दिया और कुछ लोग दूसरों से जमीन खरीदने पर हिस्सेदार करार दिए गए।

श्रीमन्, आगे मैं यह अर्ज कर रहा था बेटन साहब का बन्दोबस्त हुआ। उस सेटिलमेंट आफिसर ने क्या कहा है यह स्टवल में इस प्रकार उद्धृत है :

"Mr. Batten in his Kumaun settlement report, paragraphs 20 and 21, discussed this point and gave a comparison of the hill proprietary interests with the pattidari and zamindari of the plains, remarking that the application of these classifications to Kumaun would be unnecessary and even mischievous."

हिस्सेदारों का अन्यत्र भी थोड़ा-सा वर्णन इस कानून की पुस्तक में कई जगह आया है—

"The land in the interior seldom changed proprietors. The greater part of the present occupants there derive their claims to the soil solely from the prescription of long established and undisturbed possession."

यानी जमीन के वर्तमान मालिकों में से अधिकांश ने भूमि पर के अपने हक उस पर अपने दीर्घकालीन कब्जे से, जिसमें किसी अन्य ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया प्रेस्क्रिप्शन के बतौर पाये हैं।

हिस्सेदार जो बने वे कोई खैरात की वजह से नहीं बने। ९९फी सदी हिस्सेदार ऐसे हैं जो खुद कमाते रहे हैं जमीन को।

वहां पर हिस्सेदार किस तरह से हुआ। कोई चौरस जमीन वहां न थी और न है। वहां तो बड़े-बड़े ऊंचे पहाड़ हैं। उन पहाड़ों को काट-काट कर बालिश्त, बालिश्त या हाथ-हाथ या दस-बीस हाथ चौड़े खेत बनाये और एक खेत दूसरे खेत में न टूट जाय उसके लिये दीवारें लगाईं। बरसात में ये दीवारें टूट जाती हैं और उनकी मरम्मत की जाती है। पुश्त दर पुश्त लोग इस तरह से इन खेतों को कमाते रहे। तो बार-बार दीवार चुननी पड़ी। मैदान

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

में बाढ़ आती है तो पानी भर जाता है लेकिन पहाड़ पर जब बाढ़ आती है तो पानी अपने साथ खेतों को तोड़ कर ले जाता है और फिर दीवार चुननी पड़ती है ।

इस तरह से हिस्सेदार व जमींदार में जमीन व आसमान का फर्क होता है । वे हिस्सेदार खुद जोतते रहे हैं, खुद काश्त करते रहे हैं। तो आज यह कहना कि थोड़े समय बाहर रहने या जमीन सौंपने पर उसकी हिस्सेदारी नहीं रहेगी यह कहां तक उचित है ? इस ऐक्ट का नाम भी गलत है। जब से आजादी आई तब से ऐसे ऐक्टों के बिल का नाम रखा गया जमींदारी विनाश ऐक्ट। पहले भी ऐसा विनाश के नाम वाला आया था और काफी विनाश हो गया। दूसरा विनाश वाला अब आ रहा है। इसका नाम यह हो सकता था "कृषक अधिकार बिल" या "कृषक सुधार बिल" लेकिन निर्माण की बात तो हमारी सरकार की अक्ल में नहीं आती। "विनाशकाले विपरीत बुद्धि", नाम भी विनाश से ही होगा। अंग्रेजों के जमाने से हमें विनाश करने की आदत पड़ गयी है। इस सरकार के आने पर इस देश की शिक्षा का विनाश हुआ है। पहले कम से कम एक स्टैन्डर्ड तो होता था शिक्षा का, स्टुडेन्ट्स में डिसिप्लिन भी होती थी। वह प्रथा खत्म हो गयी, उसका विनाश कर दिया लेकिन नयी मर्यादा हम नहीं बना सके। उसी तरह से एक Administrative structure जो अंग्रेज यहां पर छोड़ गये थे उसका भी विनाश करने में हम लगे हुए हैं और नया बना नहीं सके हैं। यानी नवसृजन कुछ नहीं हुआ, विनाश की भावना इस सरकार में बहुत है।

गढ़वाल में भी हिस्सेदार की Original cultivator से मन्शा थी। श्रीमन्, यह वही स्टावल साहब की किताब है और कुछ थोड़े से रूल्स हैं जो वहां के सारे लैंड टेन्योर के ला को कवर करते हैं। इसमें हिस्सेदारों के बारे में लिखा है—

"So in Garhwal it was conferred on the occupant cultivators. The cultivators were then termed hissedars or co-sharers in the estate, and were allowed full rights of transfer in the cultivated land of the village".

तो वास्तव में जमींदारी के तरह की कोई चीज वहां एग्जिस्ट करती नहीं। इसलिये यह कहना कि हम वहां के हिस्सेदारों को खत्म करेंगे, इन्होंने बड़ा अत्याचार किया है, सरासर गलत है। अभी जो थोड़े से भू-अभिलेख हमें प्राप्त हुये हैं उनके अनुसार ८.३ प्रतिशत जमीन सिरतानों के पास है नैनीताल में और अल्मोड़ा में ऐसी भूमि केवल ३.३ प्रति शत है। गढ़वाल में ४.४ प्रतिशत हैं और टेहरी में भी ४.४ प्रतिशत है। माननीय चरणसिंह जी ने अपने आर्टिकिल में कोट किया है कि कुमायूं में ३.२४ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो असल में दूसरों की जमीन कमाते हैं और १.४७ प्रतिशत दूसरे किस्म के लोग हैं और .५६ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के सिरतान कहे जाते हैं। श्रीमन्, की आज्ञा से मैं थोड़ा-सा उनकी बात को (quote) कर दूं—

"This shows that 72 per cent of the land is held by the hissedars as khud kashts in their own cultivation, 21 per cent of the land is held by Khaikars and 1.76 per cent is goonth land held by office bearers and servants of temples, which leaves us only with 5.24 per cent of the land under the sirtans. It is these persons who though tillers of the land, can be said not to be the masters and thus it will be seen that the problem of abolition of zamindari in the Hills resolved itself into the question of properly defining the rights of those people who hold this 5.24 per cent of the total cultivated land in the Division. These are people regarding whom there are no proper records, for whom these are no reliable statistics and in whose cases, even if possession is verified the question of fixation of rent is a problem.

The average size of the holding in Kumaon is one bissi 18 nalis as compared to about 3.4 acres in the rest of the State. 93 per cent of the total number of persons hold land not exceeding 5 acres.

The application of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act to Kumaon as it stands, would be difficult in view of the fact that it is not possible to prepare the elaborate and complex statements arising out of the provisions of Section 39 and 44 of the said Act for the records are sketchy and altogether different from those prevailing in the plains. Besides, even if it were possible to prepare these statements, it would involve mere waste of labour so far as 72 per cent of the land held by hissedars is concerned. Therefore an entirely new legislation for these regions would appear to be necessary, not only to give relief to the 5.24 per cent of the tillers of soil (sirtans) but also to codify the agrarian law in Kumaon for which efforts have been made from time to time."

कुमायूं में चल रहे नए बंदोवस्त से पता चला है कि वहां औसतन हिस्सेदार की भूमि इस प्रकार है—नैनीताल में २२ नाली (१.१ एकड़), अल्मोड़ा में १९ नाली (०.९५ एकड़), गढ़वाल में २५ नाली (१.२५ एकड़) तथा टेहरी में ३४ नाली (१.७ एकड़)।

श्रीमन्, चरणसिंह जी के कथनानुसार यानी जमींदारी अबालिशन बिल यू० पी० में प्लेन्स के लिये बनाया गया था जिस के खास आर्किटेक्ट चौधरी चरण सिंह जी थे...

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न यह उपस्थित कर रहा हूं कि हमारे सदन की भाषा हिन्दी है और अभी तक यह परम्परा रही है कि अगर किसी माननीय सदस्य को विदेशी भाषा में कोई कोटेशन देना पड़ता है तो एक सेंटेंस के बाद वह उसका हिन्दी में अनुवाद कर देते हैं। लेकिन यहां देखा जा रहा है कि श्री विष्ट बराबर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अनुवाद भी नहीं करते हैं। श्रीमन्, यह क्या बात है?

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं स्वयं इसमें माफी मांगता हूं। इसका अर्थ मैं हिन्दी में बतला दूंगा। लेकिन श्रीमन्, मैंने सोचा था कि अंग्रेजी न जानने वाले सदस्य कुछ पहले खाना खाने या आराम करने के लिये सदन से चले गए हैं और वहां पर पढ़े-लिखे लोग ही बैठे हैं। अब मुझे पता चला कि यहां पर वैसे लोग भी बैठे हैं। मैं इसका हिन्दी में अनुवाद करूंगा। चरणसिंह जी समस्या इस तरह की बताते हैं कि कुमायूं में ७२ प्रतिशत जमीन हिस्सेदारों के कब्जे में है और उनकी खुदकाश्त है। २१ प्रतिशत खायकरों के पास है। १.७६ प्रतिशत ऐसी जमीन है जो मंदिरों के पुजारी या अन्य नौकर लोगों के पास है। इस तरह से हमारे पास केवल ५.२४ प्रतिशत जमीन ऐसी रह जाती है जो सिरतानों के कब्जे में है। इसमें से १.७६.....

श्री अधिष्ठाता—यह बिल सिलेक्ट कमेटी से आया है इसलिये इस मौके पर आप जनरल डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट से जो चीजें आई हैं उन पर ही कहिये या नये सुझाव दीजिये। ऐसी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, जनरल डिस्कशन नहीं कर सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—श्रीमन् की आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन मैं अर्ज करूं कि जिस समय यह बिल आया था तो हम नहीं बोल सके थे और इसमें यह रूलिंग हो चुकी है कि उसमें बोला जा सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय ने ऐसी रूलिंग देदी है।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि ऐसी चीज नहीं है।

श्रीगोविन्द सिंह विष्ट—श्रीमन्, बात यह है कि वहां की बातें मैदान का कोई व्यक्ति जानता नहीं है, समझता नहीं है, इसलिये मैं कह रहा हूं वरना मैं बैठ जाऊं। जमीन लोगों की जाय और उनके प्रतिनिधियों को उनका दुखड़ा रोने का भी मौका न दिया जाय यह ठीक नहीं है। यह ऐसा बिल है कि जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक और बातें कहना बेकार है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, क्या यह कहना ठीक होगा कि कोई समझता नहीं है, कोई जानता नहीं है? आप यह सोचते हैं कि और कोई जानता ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को नये सुझाव देने चाहिये या वह उन बातों का जिक्र करें जिनसे यह मालूम हो कि यह बिल दुबारा सिलेक्ट कमेटी क पास क्यों भेजा जाय। जो बातें सदन स्वीकार कर चुका है उनको दुबारा न उठायें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे पढ़ दूं। उनमें सारी बाते हैं। आप आज्ञा दें तो मैं सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ दूं वरना मैं बैठ जाऊं। लेकिन यह है कि रिपोर्ट में जो बातें हैं उनको तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---जी हां।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, यह रिपोर्ट वर्तमान उपमंत्री श्री नरेंद्र सिंह बिष्ट न लिखी ह। उन्होंने लिखा है कि "मैं इस समस्त विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के संशोधनों सहित कुमायूं में लागू करने के अनुपयुक्त समझता हूं क्योंकि इससे वहां की राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा। अतः मेरे प्रस्तुत विधेयक से मौलिक मतभेद है।"

मेरे विचार से इसकी धाराओं के अन्तर्गत जो दो प्रकार के (खायकर व सीरतान) मुख्य काश्तकार होते हैं उनके द्वारा उचित मुआविजा देने के पश्चात उन्हें हिस्सेदार बनना चाहिये और हिस्सेदारी प्रथा पूर्ववत् बनी रहनी चाहिये। खायकरों की सूची तो कागजातों में बनी हुई है और सीरतानों की भी कुछ जिलों में बनी हुई है, जहां पर नहीं है, वहां के लिये सीरतान की परिभाषा निम्नलिखित रूप से की जा सकती है:—

"सीरतान" वह काश्तकार होगा जो कि वर्तमान बन्दोबस्ती कागजातों में दर्ज है और जो इस विधेयक के लागू होने से ५ वष पूर्व से निरन्तर उस हसियत से उस भूमि पर काबिज है और काश्त करता आया है ।

इसमें सारी बातें आ गयीं। मैं अपनी बहस से बाहर कतई नहीं जा रहा हूं। मैं आपकी आज्ञा से लहरी जी वाले अंग्रेजी शब्दों का उल्था कर दू चौधरी चरण सिंह जी ने जो कहा था कि "It is these persons" वगैरह उसके संक्षेप में अर्थ हैं कि कुल ५.२४ प्रतिशत ऐसे लोग कुमायूं में हैं जो विशुद्ध सीरतान हैं। उनके लिये नया कानून बनाने की जरूरत पड़ी, जमींदारी अबालिशन का। इसमें १.४ अन्य भी शामिल हैं और .५६ गवर्नमेंट के सीरतान हैं। शेष ३.२४ रहे।

श्री इन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)---अधिष्ठाता महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर। क्या यह रिपीटीशन नहीं हो रहा है ? इतने खायकर हैं, इतने सीरतान हैं, उनका परसेंटेज दिया जा रहा है, कम से कम एक घंटे से बराबर वही फीगर्स सदन में कोट किये जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---मैं तो संक्षेप में अनुवाद कर रहा हूं। अगर अनुवाद न करूं तो भी मुश्किल है।

श्री अधिष्ठाता---अनुवाद कर दें लेकिन संक्षेप में और जो प्वाइंट्स आप कह चुके हैं उनको मत दोहराइये।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---अनुवाद तो वही होगा जो अंग्रेजी में लिखा है।

श्री अधिष्ठाता---लेकिन जो कह चुके हैं उसको न दोहरायें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---अनुवाद इस तरह है कुमायूं में हिस्सेदार की १ एकड़ १८ नाली औसत जोत है, जब कि नैपाल में वह ३.४ एकड़ है। इस प्रकार कुमायूं में ९३ फीसदी लोग ऐसे हैं जो ५ एकड़ से कम जोत वाले हैं। "यू० पी० जमींदारी अबालीशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट "को कुमायूं में लागू करना कठिन होगा क्योंकि धारा ३९ और ४४

के अन्तर्गत विस्तृत स्टेटमेंट्स बनाना संभव नहीं होगा। यह, यदि संभव भी हो तो भी यह केवल श्रम का अपव्यय होगा, जहां तक ७२ प्रतिशत जमीन जो हिस्सेदारों के पास है उस का सम्बन्ध है। इसलिये कुमायूं के लिये एक दम नया कानून बनाने की जरूरत है ताकि ५.२४ फीसदी जो Tillers of the soil हैं उनके हकों को कोडीफाई किया जा सके, यह कहा चरणसिंह जी ने।

ये सारे सिद्धांत हैं जिन्हें भूतपूर्व मंत्री स्वयं मान चुके हैं, जिनके नाम से यह विधेयक भी प्रस्तुत हुआ है उन्होंने ही कहा था कि जमींदारी विनाश वाला कानून वहां लागू नहीं होना चाहिये बल्कि नये किस्म का कानून वहां की परिस्थिति के मुताबिक बनना चाहिये। यह मूल सिद्धांत उसमें निहित है।

अब आप देखें कि जो मौजूदा बिल आया है वह कैसा है। आज तक जो सिद्धांत इस सदन में प्रतिपादित होते आये यह उनके मुताबिक है या नहीं?

हम खायकर को एक किस्म का अंडर प्रोप्राइटर कह सकते हैं। उसका Heritable interest होता है। वह कच्चा और पक्का दो किस्म का होता है वह अपने जीवन काल तक अपनी जमीन को पट्टे पर भी उठा सकता है। इतना ही नहीं पक्के खायकर को अधिकार है कि अपने साथ के पंच खायकरों को वह जमीन हस्तांतरित भी कर सकता है, कच्चे खायकर ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी नजीरें आनरेबिल रेवेन्यू बोर्ड और हाई कोर्ट की हो चुकी हैं।

सीरतान एक टिनेंट ऐट विल होता है। यह वेरियस रिपोर्ट्स में है कि जिनके पास दूसरे की जमीन हो, वहां ऐसे भी हिस्सेदार हैं जो दूसरे हिस्सेदार की जमीन कमाते हैं, कुछ Purely सीरतान हैं, यानी टिनेंट ऐसे कुछ लोगों की जमीन ६ प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। वहां पर १९५१ का विनाश वाला अधिनियम जान बूझ कर लागू नहीं किया गया था। लेकिन उसकी एक बिलकुल भद्दी नकल की गयी है। वह ऐसी, जैसी मैं बताऊंगा, ऐसा लगता है कि जिन माननीय सदस्यों ने या जिस आफिसर ने यह नियम बनाया है उसको वहां की बातों का कतई ज्ञान नहीं था। इसमें व्यवस्था ऐसी थी गोया सेलेक्ट कमेटी में वह डिलीट की गई है कि पहाड़ में कुंए की व्यवस्था कैसे होगी? मैं आदरणीय सदन के सदस्यों को इत्तला देना चाहता हूं कि पहाड़ में कुएं होते ही नहीं और सिंघाड़े वाली जमीन का भी जिक्र था जब कि पहाड़ में सिंघाड़ा नाम की कोई चीज होती ही नहीं। (व्यवधान) तो यह बनाने वाले के दिमाग की तारीफ है। मैं यह कहता हूं कि माननीय मंत्री जी शायद इसके दोषी नहीं हैं लेकिन जिन्होंने यह बनाया है उनका दिमाग किस तरह का है उसके उदाहरण मैंने दिये। जिन चीजों का वहां पर कोई एलिजस्टेंस ही नहीं उनको भी व्यवस्था इसमें मौजूद है। तो यह तो ऐसी चीज हो गई जैसे अगर कोई कहे कि यहां गरमी है, लू लग रही है तो उसके सिर पर बर्फ, रख दिया और उसे आराम पहुंचाया। मगर उसकी देखा देखी हमने किसी मरीज के लिये थोड़ी-सी बरफ पहाड़ पर भी भेज दी जबकि वहां पर तो ऐसे ही गरमियों में भी बरफ १० हजार फुट की ऊंचाई से पड़ने लगती है। और उस मरीज को बर्फ पर लिटाया तो वह तो न्यूमोनिया से मर जायगा। इसी तरह यहां का मलमल का कपड़ा यहां के लिये चाहे भले ही फायदेमन्द हो, मगर पहाड़ वाले तो उसको जाड़े या ठंडक में पहन कर मर ही जायेंगे। अगर वहां पर जमींदारी होती तो हम आपसे आगे जाते और कहते कि खत्म करो इसे। लेकिन जब वहां जमींदारी है ही नहीं तो खवाहमखवाह के लिये मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात उचित नहीं है। इस बिल के उद्देश्य और कारण में यह लिखा हुआ है--"इस विधेयक में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:--

१--प्रतिकर अदा करने पर हिस्सेदारों के अधिकारों की अध्याप्ति,

२--कुमायूं में ऐसे भौमिक अधिकारों को पुरःस्थापित करना जो १९५० ई० के जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, राज्य के शेष भागों में पुरःस्थापित भौमिक अधिकारों के यथासंभव अनुरूप हों, और

३--अन्ततः सबसे कमजोर श्रेणी के कृषकों को स्थायी अधिकारों का प्रदान।"

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

तो श्रीमन्, हम देखें कि इन्होंने दिया क्या? हिस्सेदार को भूमिधर बना दिया। उसको पहले हस्तांतरण की ताकत थी, जिसको चाहे अपनी जमीन सौंप सकते थे। गरीब लोग हैं वहां पर, कोई रुपया-पैसा नहीं है उनके पास, किसी को लड़का पढ़ाना होता है तो जमीन गिरों रख लेता है, यह सब अधिकार उसको थे। लेकिन अब वह क्या करे? साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा वालों को वह अब बेच भी नहीं सकता। जमीन बंधक भी नहीं रख सकता। इस तरह से उसके सारे अधिकार खत्म हो गये।

एक चीज बड़े मजे की यह है कि यहां के भूमिधर की जो अधिकार हैं पहाड़ पर जो नये भूमिधर बनाये गये हैं वह अधिकार भी उसको नहीं हैं। यहां पर आमद होने वाली उसकी लायबिलिटीज सारी की सारी होंगी लेकिन दफा १४५ जो यहां की एबालिशन ऐक्ट की है वह वहां लागू नहीं होगी। उसमें है कि औद्योगिक कार्य के लिये या घर बनाने के लिये जमीन का उपयोग भूमिधर कर सकता है। असिस्टेंट कलेक्टर की इजाजत से यहां पर डिक्लेरेशन करा सकते हैं। मगर पहाड़ के भूमिधर को इस अधिकार से वंचित रक्खा गया है। तो पहाड़ों पर जहां वैसे ही खेत कम हैं और औद्योगीकरण लम्बे पैमाने पर करने की आवश्यकता है; जहां पर चीन का खतरा सिर पर खड़ा हुआ है वहां अगर यह औद्योगीकरण नहीं होता है और वहां की गरीबी से त्रस्त जनता चीन का आलिंगन करती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। भूखों के कंधों पर चढ़कर ही कम्यूनिज्म आता है। कम्यूनिस्टों को अगर भगाना है और चाऊ-एन-लाई को खत्म करना है तो जरूरत इस बात की है कि इस तरीके के कानून जिससे वहां की गरीब जनता का नाश होगा वहां नहीं लागू किये जाने चाहिये।

आखिर वहां खायकर को आप बनायेंगे क्या? कैसे उसका भला करेंगे? भले के नाम पर उसका सर्वनाश किया जा रहा है। खायकर को यह फायदे पहले मुहय्या थे कि सरकारी मालगुजारी की अदायगी में या किसी का कर्जा न दे सके तो भी उसकी जमीन कुर्क नहीं हो सकती। लेकिन अब सरकारी लगान न देने पर उसकी जमीन कुर्क हो सकेगी और पंच खायकरों को हस्तांतरण जो वह पहले कर सकता था, वह अब नहीं कर सकेगा। लीज पर नहीं दे सकेगा जो कि पहले दे सकता था। और मालिकाने का जहां तक सवाल है, मालिकाना होता ही कितना है? जो टेनेंट खायकर कहे जाते हैं उनको रुपये में चार आने साधारणतया मालिकाना देना होता है। वहां की मामूली रकम जो सरकार को अदा होती है वह फी एकड़ करीब सवा रुपया है। तो एक एकड़ के जोत पर के लगान १। रुपये में खायकर को केवल ५ आना अलग से हिस्सेदार को देना। वह किसी तरह से चेंज नहीं होता है। वह सेटिलमेंट तक ऐसा ही बना रहेगा। उसको कोई बेदखल नहीं कर सकता है। पहले वह जमीन बंधक रख सकता था और अपने मन मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकता था। आज उस खायकर को ऐसा करने का हक नहीं है। अगर उस खायकर को आप भूमिधर बना देते हैं तो उसके ऊपर कितनी लायबिलिटी आ जाती है। आप उसके लिये भला करने के नाम पर बोझा लाद रहे हैं। उसकी जमीन का ३० गुना तक प्रतिकर दिया जायगा और दूसरी तरफ यह तमाशा होगा कि उसको भूमिधर बनाया जायगा लेकिन उसके लिये सरकारी लगान जिसमें मालिकाना शामिल है एक पाई भी कम नहीं किया जायगा। सरकार ने पहले बड़ी घोषणा की थी कि लोगों का लगान कम किया जायगा लेकिन हम देखते हैं कि लगान कम नहीं हुआ है बल्कि उसमें इजाफा हुआ है। आज वह बेचारा किसान बदतर हालत में है। हमारी पार्टी ने भी आधा लगान किसानों का करने के लिये कहा था लेकिन कांग्रेसी सरकार द्वारा लगान बढ़ाकर उसके विरुद्ध किया जाता है, तब किस तरह से आप किसानों के लिये लाभ पहुंचाने की बात करते हैं, यह मैं समझ नहीं पाता हूं।

जो संशोधन इसमें किये गये हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत से संशोधन ऐसे हैं जो कि किसानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि केवल डिसेबिल्ड भूमिधर या सीरदार लीज कर सकता है, लेकिन खायकर के लिये ऐसा नहीं है चाहे वह

डिसेबिल हो या न हो वह अपनी जिन्दगी में जमीन सौंप सकता है। पहाड़ों पर स्थिति ऐसी है कि वहां पर ९९ फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास ५ एकड़ से कम जमीन है। लामुहाला उनको अपने खेत नमक, दाल, तेल और दियासलाई का खर्चा जुटाने के लिये छोड़ने पड़ते हैं। वह शौक के लिये बाहर नहीं जाते हैं। वहां किसी-किसी के पास आधे एकड़ जमीन है तो किसी के पास कुछ और है। उनको इससे गुजर नहीं होती है। उनके लिये सरकार ने किसी नौकरी का इन्तजाम नहीं किया है। मंत्री जी को यह नहीं समझना चाहिये कि ये चन्द नौकरी पेशा लोग जिन बेचारों से यह सरकार चिढ़ती है, वे जोशी, पंत, पांडे और तिवारी ही पहाड़ों की जनता हैं। उनमें से अधिकांश लोग विवश होकर वहां से आ गये हैं और अब पहाड़ के लिये कोई मुहब्बत नहीं रखते हैं। पहाड़ के रहने वालों में ज्यादा गरीब लोग ही हैं जिनके पास आधा और सवा एकड़ तक जमीन है और इतनी ही जमीन को जोतकर वह अपनी गुजर करते हैं। वे हिस्सेदार लोग हैं लेकिन सरकार ने उनको जमींदार की संज्ञा भी दी है। जब वहां पर उनकी गुजर नहीं होती है तो वह नमक और तेल के लिये बाहर आते हैं। पहाड़ों के इन छोटे हिस्सेदारों के बच्चे क्या करते हैं, वह बाहर आकर बर्तन मलते हैं। आज इस सरकार को शर्म आनी चाहिये कि घर घर वही पहाड़ी बच्चे बर्तन मलते दिखाई देते हैं। कोई घर या होटल उनसे खाली नहीं है जहां पर वे लोग काम न करते हों। आज तक यह था कि पलटन की वजह से लोग अपनी गुजर बसर करते थे क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ इस तरह की बातें कर रखी थीं कि लोगों के लिये कुछ सुविधा मिल जाती थी। आज वह सुविधा उन पहाड़ के लोगों के लिये नहीं है। अंग्रेजों ने पहाड़ के लोगों को मार्शल रेस की संज्ञा दे रखी थी। पहले उनको ही फौज में लिया जाता था और बाद को मद्रासी या बंगाली को लिया जाता था। वे लोग जाकर अपने देश की रक्षा करते थे। पहले वह पलटन में भरती हो सकते थे लेकिन आज वह मार्शल और नानमार्शल का अन्तर समाप्त हो गया है। पहाड़ की यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जिसमें वहां के लोग भरती होकर गुजरबसर करते थे। उसकी एवज में सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो वह लोग कहां जायं? उनकी समस्या बहुत बड़ी है। एकाध वहां का कोई बड़ा अफसर हो गया तो एक अपवादस्वरूप है मगर वहां के ज्यादा लोग बेकार ही रहते हैं। कुछ चपरासी भी हो जाते हैं, लेकिन बाकी लोग तो बर्तन ही मलते हैं। आप किसी भी होटल में जाइये लखनऊ में या मद्रास में या दिल्ली में सब जगह आपको पहाड़ी बर्तन मलते ही मिलेंगे। हमारे हैल्थ मिनिस्टर एक तरफ इशारा कर रहे हैं लेकिन यह तो एक्सेप्शन हुआ करता है तो श्रीमन्, ऐसी परिस्थिति में अब उन बर्तन मलने वाले सिपाही, तथा चपरासियों की जमीन छीनना और उन के ऊपर यह सारी बातें करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और इससे इन लोगों को परेशानी होगी। कल जब ये नौकर न रहेंगे तो इनको वापस अपने घर पर लौटने की भी गुंजाइश नहीं रहेगी।

अब इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया है "ठेकेदार" का। कहीं पर "ठेकेदार" की परिभाषा नहीं दी है। जैसे सीरतान के लिये बिल में कई जगह जिक्र है लेकिन उसकी कहीं भी परिभाषा नहीं दी है। यह उसी तरह है कि सारी रामायण बन जाये और यह पता नहीं हो कि रावण कौन था और राम कौन थे? इसलिये जब आप यह रामायण लिखने जा रहे हैं तो कम से कम उसमें उसकी कोई परिभाषा तो दी जानी चाहिये।

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे उतावली में इस विधेयक पर विचार न करें वरन् ठंडे दिल से जरा सोचें। आज की नई व्यवस्था वहां के गरीब लोगों को परेशान करने के लिये ही है। इससे उन लोगों को कोई राहत मिलने वाली नहीं। श्रीमन्, जब तक वहां के लोगों में अपने पूर्वजों के लहू का एक कतरा भी मौजूद रहेगा, तब तक वे इसका प्रतिरोध करेंगे, यह मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं। श्रीमन्, वहां के लोगों के पास बहुत थोड़ी-सी करीब डेढ एकड़, सवा एकड़ के जमीन होती है और जब वे मजदूरी करने के लिये घर छोड़कर कुछ काल के लिये मजबूर होकर बाहर जाते हैं तो वे उसे अपने पड़ोसी को दे जाते हैं। उन्होंने उस जमीन को बड़ी मेहनत के साथ चट्टानों व पहाड़ों को काटकर तैयार

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

किया। उसके बाप दादा अपनी मेहनत से उसे तैयार करते हैं, उस खेत को बनाते हैं, उसमें मेहनत करके दीवार बनाते हैं, आज उसका पुश्तों का कब्जा आप खत्म कर रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—He is repeating the same arguments.

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, रावत जी अपनी काबलियत से मेरी नाकाबलियत पर बोलते हैं। मेरा निवेदन है सुना तो कर—पहले सुनना काबलियत की पहली परख है। तो मैं यह कह रहा था पहाड़ के ये कृषक हिस्सेदार मेहनत से जमीन बनाते हैं या तैयार करते हैं।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां सरकार का प्रतिकर बढ़ाने का मौका होता है वहां उसका कोई प्राविजन नहीं होता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें जो १०७ से ११२ तक धारायें हैं वे लागू क्यों नहीं होतीं?

अब इसमें गांव सभा की स्थापना की बात कही गयी है। इसमें एक तमाशे की बात यह है कि धारा ३७ को पढ़ा जाय—इसमें लिखा है—"जब धारा ३० के अधीन कोई गांव सभा किसी क्षेत्र की भूमियों तथा वस्तुओं के सामान्य अधीक्षण, प्रबंध संरक्षण तथा नियंत्रण से पारित की जाय, तो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११८ की उपधारा (२) तथा धारा ११९ से १२८ तक के, और उक्त अधिनियम की धारा १२८ के अधीन निर्मित तत्संबंधी नियमों के उपबन्ध सम्बद्ध क्षेत्र पर लागू होंगे किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे अनकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हों तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी भी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी। तो इस तरह से आप देखें कि गांवसभा की बात आप ले आयें। गांव समाज बनने के बाद की जो यहां के ऐक्ट १९५१ में धारायें हैं वे तो लागू होंगीं लेकिन गांव समाज कैसे बनेंगे और कैसे होंगे, उनका संगठन कैसा होगा, उनका फंड कैसे इकट्ठा होगा, और तमाम आवश्यक बातें हैं जिनका कोई समावेश नए बिल में आप नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि इसको सैलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि इन कमियों पर विचार हो सके।

फिर आज की नई व्यवस्था अधिवासी नाम की भी कोई चीज नहीं है न ऐसी कोई धारा है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि जब अधिवासी वहां होंगे नहीं, तो उनको अपने कब्जे में जमीन पाने के लिए जो व्यवस्था की गई है वह कैसे लागू होगी? माननीय मंत्री जी जरा गौर करें, इसे जरा वहां ले जांय तब देख लें कि ऐसी और भी कितनी खामियां हैं।

इसी तरह से आगे देखें। पुराने ऐक्ट में जितनी खराबियां हैं वह तो सब यहां पर लागू की गई हैं और जहां पर थोड़ी-सी राहत पुराने कानून में दी गई है वह नई व्यवस्था में पब्लिक को मिल सकती है वह नहीं है। जमींदारी उन्मूलन का जो यहां पर कानून लागू हैं उसमें ४८ दफा के अनुसार सिविल कोर्ट को अधिकार होगा और और ४९-५० के मातहत अपील होगी जजेज कोर्ट में और हाई कोर्ट में और वहां क्या रखा गया कि जब प्रतिकर का सवाल हो तो सिविल कोर्ट में मामला ही नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा जायगा तो असिस्टेंट कलक्टर के यहां और बहुत हुआ तो कमिश्नर के यहां। उसकी फिर किसी अपील में कोई चर्चा नहीं हो सकेगी। यहां सरकार द्वारा सेपरेशन आफ एक्जिक्यूटिव और जुडीशियरी की बात कही जाती है और वहां कलक्टर के चंगुल में प्रतिकर निर्धारण उसे रख दिया गया है। यह तो सभी पर विदित है कि जहां स्टेट का सवाल हो और दूसरी तरफ जनता का सवाल हो तो कलेक्टर लोग क्या फैसला करते रहे हैं—यह आदरणीय सदन

से छिपा नहीं है । एक तरफ जहां यह कार्य जज के पास हो और दूसरे में उस कलक्टर को यह अधिकार देना यह (Inequality before law) है । एक तरफ एक कानून में अधिकार दे रहे हैं हाई कोर्ट और जज के सामने जाने का और उसी प्रकार के दूसरे अधिनियम में वह छीन रहे हैं, यह कहां का न्याय है ?

अब एक चीज और है, पब्लिकेशन आफ दि रोल । जैसी व्यवस्था यू० पी० जमींदारी अबालीशन कानून की धफा २३ में है, वह वहां पर नहीं रखी गयी । वहां का हिस्सेदार अनपढ़ बहुत गरीब आदमी है उसे बाध्य होकर बाहर जाना पड़ता है । चाहे भूमिधर ही आपने उसे अब कर दिया, लेकिन घर छोड़कर कुछ कमाने को उसे जाना पड़ेगा । खेती से उसकी पूरी गुजर नहीं होती । हम यह तो प्रिजम्पशन मानकर चलते हैं क्योंकि उसकी होल्डिंग ऐसी नहीं है जो प्राफिटेबिल हो जिससे उसका गुजारा हो सके । तो उसको भूमि अन्यत्र सौंप सकने की मौजूदा बिल में व्यवस्था होनी चाहिए, वर्तमान तरह का कानून वहां लागू नहीं होना चाहिए ।

पहाड़ के हिस्सेदार के पास थोड़ी सी जमीन है, ज्योंही धफा ४ में एक नोटिफिकेशन निकाला गया, उसके बाद वह उस भूमि की बाबत एक पैसा नहीं वसूल कर सकता और अगर करता है तो बाद को सरकार वह रुपया उससे वसूल कर सकती है, वह तो ले नहीं सकता जहांपर नोटिफिकेशन हो गया । तो मैदान में जहां बड़े बड़े जमींदार थे जिनको माननीय मंत्री जी खत्म करने की बात कहते हैं, जिनके पास मालगुजारियां १० हजार और उससे ऊपर थीं, करोड़पति और लखपति थे उनको तो इंटेरिम प्रतिकर मिल सकता था, लेकिन चूंकि पहाड़ के हिस्सेधार था आधा एकड़ भी उससे ले लिया जायगा मगर उसके लिये इंटेरिम प्रतिकर की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जब कि मूल ऐक्ट की धारा २९ में यह प्रावीजन मौजूद है जिसे आज सरकार ने छोड़ दिया है ।

इसी तरह से अन्य फायदे जो मैदान में हैं वह पहाड़ पर मुहय्या नहीं होंगे । जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में धारा ३७ के मातहत हिन्दू और Joint Family में हर इंटरमीजरी व उसके Male Lineal Discendent लीनियल डिसेंडेंट जो उसके साथ रहते हों उनको एक यूनिट माना गया है व हर इंटरमीडियरी को अलग यूनिट माना गया है । लेकिन मौजूदा बिल में आज ऐसा नहीं है । मुआवजा देने के लिए इस बिल में स्पेशल प्रावीजन व सिद्धान्त होना चाहिए था जिसपर मूल्य आंका जाता मगर उसके लिए कहा गया है कि हम बाद को डिटरमिन करेंगे उन सारे सिद्धान्तों को जो नियत किये जायेंगे । तमाशे की बात तो यह है कि जो परिवर्तन होंगे वह भी यही इक्जीक्यूटिव के लोग Determine करेंगे । कम्पेंनसेशन रोल जो है उसका यहां उपयोग किया जा सकता है साक्ष्य के रूप में लेकिन वहां यह भी नहीं है । यही नहीं उन पहाड़ी आदमियों के लिये, जिनको कि यहां अकसर पिछड़ा हुआ और जंगली कहा जाता है, हर नियमों का प्रकाशन (पब्लिकेशन) नहीं होगा । लेकिन यहां के पढ़े लिखे और आला दिमाग के लोग जोकि बुद्धि के मामले में अफलातून के भी चचा बनते हैं, उनके लिये पब्लिकेशन होगा और दिनांक की सूचना भी दी जायगी । यहां के जमींदारी विनाश अधिनियम में ऐसा प्राविजन है । वहां पहाड़ के जो वे पढ़े लिखे और जाहिल लोग हैं उनको शायद अपने आप पता लग जायगा या सपना होगा ? यहां पर तो क्लैरिकल मिस्टेक भी शुद्ध हो जायगी लेकिन वहां वह भी नहीं होगी । यहां इन्जंक्शन आफ सिविल कोर्ट कुछ मामलों में बार्ड होगा लेकिन वहां नहीं होगा । मेरी समझ में यह चीजें नहीं आ रही हैं । श्रीमन्, दुर्भाग्य से सेलेक्ट कमेटी का मैं भी एक सदस्य था । उसकी शुरू में एक मीटिंग ५ तारीख को हुई और फिर एक २० को उसके बाद जून, जुलाई व अगस्त में कोई मीटिंग नहीं की गई । मई में सरकारी पक्ष के कमेटी में हार जाने पर जानबूझ कर सलेक्ट कमेटी की मीटिंगें तब की गईं जब विरोधी पक्ष के लोग अन्न सत्याग्रह के कारण सदन में न थे तथा कमेटी में नहीं जा सकते थे । श्रीमन्, वहां पर जब

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

तक हम लोग थे कमेटी में सरकार के खिलाफ राय बहुमत से पास हुई थी। माननीय मन्त्री जी का पक्ष हारा था। मुझे दुख है कि एक माननीय कांग्रेसी सदस्य उस बीच जब तत्कालीन माननीय मंत्री जी के घर पर गये तो उन माल मंत्री जी ने उनको बड़ी डांट पिलाई थी। उसके बाद उन्होंने भी सरकार के खिलाफ और न्याय के पक्ष में वोट देना छोड़ दिया। श्रीमन्, मैंने एक डिसेंटिंग नोट दिया था। जिसे भू० पू० मंत्री जी ने चेयरमैन की हैसियत से छापा तक नहीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—फिर कहीं दूसरा डिसेंटिंग नोट न हो।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अगर आप एक बार भेज दें तो ऐसा शायद नहीं भी होगा। तो श्रीमन्, तीन-तीन महीनें मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद अपने बहुमत के बल पर हमारी अनुपस्थिति में उल्टा बिल पास कर दिया। जिस तरह से नगर महापालिका अधिनियम पास करने में हुआ उसी तरह से इसमें भी जल्दी की गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सेलेक्ट कमेटी में क्या हुआ उसको यहां कह सकते हैं?

श्री अधिष्ठाता—मेरे खयाल में सेलेक्ट कमेटी की प्रोसीडिंग्ज को आप यहां पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपका भाषण अभी तक जनरल प्रिंसिपुल्स पर हुआ है। अब आप इसके अलावा जो कहना चाहते हों वह कहें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—इसमें प्रतिकर की भी बात आई है। सेलेक्ट कमेटी में कई बातें जोड़ी गई हैं। धारा १८ इस प्रकार से है :—"धारा ११ के अधीन हिस्सेदार को देय प्रतिकर उस धनराशि का तीस गुना होगा जो धारा १७ में अभिदिष्ट लगानी आय में से हिस्सेदार की खायकरी भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय मालगुजारी को घटाकर निकली"। यह तो खायकर के लिये है। सिरतान के लिए जहां तक मुझे खयाल है २० व २५ गुना है यह सब नयी धारायें हैं। प्रतिकर के लिये मेरा कहना है कि ३.२४ परसेन्ट जैसा कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है लोगों की जमीन Involved है। सरकार को कोई बड़ी रकम नहीं देनी है। यह छोटी जगह है यानी आबादी बहुत कम है। मंत्रीजी के पास कोई रेकार्ड नहीं है न कोई आधार हो उन्होंने बनाया है कि इस हिसाब से प्रतिकर निर्धारित होगा या किया जायगा, क्योंकि निर्धारण के लिये वह कहते हैं कि यदि लगान नकदी में देय न हो तो नियत रीति से तय होगा। यह नियत रीति अभी अनिश्चित है। अगर उन लोगों की जमीन लेने से भला होता है तो ली जाय। लेकिन कम से कम उन लोगों को प्रतिकर तो ऐसा देना चाहिये जिसका बाजारभाव से कुछ तारतम्य हो।

श्री अधिष्ठाता—आप बैठें, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने के उपरान्त सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं प्रतिकर की बात अर्ज कर रहा हूं। प्रतिकर की कोई ज्यादा रकम नहीं आवेगी क्योंकि थोड़े से रकबे का सवाल है। सबसे अच्छा यह होगा कि वह जमीन के बाजार भाव पर रखा जाय और भाव साबित करने की जिम्मेदारी उस हिस्सेदार पर हो। इससे वहां के लोगों की बहुत बड़ी ग्रीवांस मिट जायगी।

जब वहां छोटे-छोटे काश्तकार हैं तो उनको मुआवजा देने में विद्वेष (डिस्क्रिमिनेशन) नहीं किया जाना चाहिये। यहां धनी लोगों को भी रिहैबिलीटेशन ग्रान्ट दी गई? १०,००० रुपये

से जो कम लगान देते हैं, उन सबको मिली । एक टेबिल भी उसकी दी हुई है कि अगर लैन्ड रेवेन्यू २५ रुपये तक हो तो वह शुद्ध आय का २० गुना होगा । १०,००० पर १ गुना इत्यादि । तो यहां तो १०,००० लगान देने वाले को भी वह सुविधा मिली और यहां पहाड़ में जो ५ रुपये या कम लगान देता है उसे भी न मिले । यह कितना वैषम्य है । उनको भी रिहैबिलीटेशन ग्रान्ट जरूर दी जानी चाहिये नहीं तो एक ही सरकार की दो रियायाओं में डिस्क्रिमिनेशन हो जायगा । खायकर की जमीन का तो केवल ९।।।) प्रतिकर एकड़ में बैठता है । स्टाबल मैनुअल में भी दिया है और ऐसा माना जाता है कि खायकर बनने के लिये बाजार भाव का करीब आधा रुपया दिया है । सीरतान ने तो एक पैसा भी नहीं पहले जमीन की कीमत का दिया । यहां तो हो रहा है उल्टा । खायकर जो भूमिधर बनना चाहें तो उसे तो दिया जाय ३० गुना, खायकरी में पूरे राइट्स नहीं हैं । हिस्सेदार स्वयं सीरतान है और स्वयं खायकर है । खायकर अपना खायकर और सीरतान है । तो खायकरी का बन्डल बड़ा है सीरतानी के बन्डल से । राइट का ज्यादा हिस्सा खायकर में ही निहित है । तो खायकरी लेने में कम मुआवजा दिया जाना चाहिये और हिस्सेदार बनाने या समिति को भूमिधरी देने में ज्यादा होना चाहिये क्योंकि उसका कुछ भी उसमें नहीं लगा हुआ है और उसे ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं । लेकिन यहां ठीक उलटा हो रहा है । सीरितान से भूमिधर बनने में हिस्सेदार को कम गुना मुआवजा मिलेगा लेकिन खायकर से बनने में ज्यादा गुना रखा गया है । माननीय मंत्री जी इस पर गौर करें । खायकर बनते वक्त अवसर बाजारभाव का करीब आधा रुपया दिया जाता रहा है । सीरतान ने एक पैसा नहीं दिया ।

गूंठ व सदावृत की भूमि छीने जाने की बिल में बात आई है । आंकड़ों के मुताबिक यह भूमि कुल जमीन का १·७६ फीसदी बतायी गयी है । अब सदावृत वाली जमीन सरकार ने ले ली है । बद्रीनाथ और केदारनाथ भारतवर्ष के खासकर हिन्दू कहे जाने वाले लोगों के आदर के स्थल हैं । इन गांवों को कुमायूं के पुराने राजाओं ने मंदिर को चढ़ाया था । ये गूंठ के गांव इन तथा अन्य मंदिरों के हैं, अथवा इनसे गरीब यात्रियों की सेवा होती है ।

पहले तो सब भूमि गोपाल की, मानी जाती थी लेकिन बृटिशर्स के आने के बाद भूमि के अधिपत्य का (conception) कुछ बदला । जो लोग इन गांवों में काश्त करते थे उन्हीं को हिस्सेदार बना दिया गया । वहां १८७२ में पहले बन्दोबस्त हुआ था और दूसरा गूंज का १९०२ में हुआ । माननीय मंत्री जी समझें कि उन काश्तकारों को भी हक दिया जा चुका है । क्योंकि मन्दिरों की जमीन में वे पहले से ही हिस्सेदार दर्ज हो चुके हैं । अब सरकार कहती है कि वह हिस्सेदारी हक हम में निहित हो जाय तो यह न केवल इम्मारेल होगा बल्कि कुछ डिस्क्रिमनेशन भी हो जायगा क्योंकि कसबार परगना में जब यह अधिनियम (यू० पी० वाला) लागू किया गया तो उसमें यह छूट दी गई थी "कृष्णार्पण" वाले गांवों को ।

इससे तो वक्फ के बारे में आपने जो छूट दी है वह बहुत ज्यादा दी है । फिर मेरी समझ में नहीं आता कि हिन्दू मंदिरों के बारे में माननीय मंत्री जी का प्रकोप क्यों है ?

एक बात और है । वहां पर जो बंदोबस्त हुए । पहले में ९९ प्रतिशत और दूसरे में ९५ प्रतिशत अगर आप कागजात को देखें तो देखेंगे ऐसे छोटे-हिस्सेदार काबिज थे जो हैं । यह जमीन उनकी सीर या खुदकाश्त मानी जानी चाहिए । सीर के बारे में एक तो अगरा टैनेंसी ऐक्ट में लिखा हुआ है :

AGRA TENANCY ACT, 1926

Sir means—(*a*) Land recorded as *sir* of a landlord or of a permanent tenure-holder on in the last record-of-rights framed before the first day of January, 1902 and continuously so recorded since, or which but for errors or omission would have been so continuously recorded ;

[श्री गोविंदसिंह बिष्ट]

(*b*) land cultivated continuously for twelve years before the first day of January, 1902 by the landlord or by the permanent tenure-holder himself with his own stock, or by his servants or by hired labour ;

(*c*) land recognised by village custom as the special holding of a co-sharer, and treated as such in the distribution of profits or charged among the co-sharers.

(*d*) land which at the commencement of this Act was being cultivated by the landlord or permanent tenure-holder himself with his own stock or by his servants, or by hired labour and which was recorded as the KHUDKHASHT of the land lord or permanent tenure-holder in the agricultural year immediately preceding the agricultural year in which this Act came into force :

(*e*) land which has been continuously cultivated by the landlord or permanent tenure-holder himself with his own stock, or by his servants, or by hired labour for a period of ten years, commencing at any time after the commencement of this Act, and has, on the application of the landlord or permanent tenure-holder, as the case may be, been declared and demarcated as applicant',s SIR by the Collector.

यानी इस की धारा ४ (चार) में कहा गया है कि १९०२ में जो लैंड सीर रिकार्डेड हो या १२ साल पहले से जो जमीदार उसमें काश्त करता हो, अपने नौकरों या मजदूरों से कमवाता हो । इसके अलावा अगर वहां पर कोई लोकल कस्टम हो तो उसके भी अनुसार वह जमीन यहां पर सीर मान ली गई । ऐक्ट लागू होने के पहले या बाद में १० वर्ष तो खुद खेत कमाता हो, नौकरों के जरिये से कमवाता हो, या मजदूरों के जरिये कमवाता हो । वह उसकी सीर मानी जायगी यह मैदानों के लिये अवध रेन्सी ऐक्ट में ऐसा लिखा हुआ है ।

अब अवध रेंट ऐक्ट के मुताबिक देखिये । उसमें लिखा है :

AVADH RENT ACT SECTION 3 (17)

Sir means—

(*a*) land which for the seven years immediately preceding the passing of the Act has been continuously dealt with as *SIR* in the distribution of proprietary or under-proprietary profits and charges ;

(*b*) land which for the seven years immediately preceding the passing of this Act had beeen continuously cultivated by the proprietor or under-proprietor himself, or by his servants or by hired labour ;

(*c*) land which at the commencemtnt of the Avadh Rent (Amendment) Act, 1921 was being cultivated by the proprietor or under-propraietor himself, or by his servant or by hired labour, and which was recorded as the KHUDKASHT of the proprietor or under-proprietor in the agricultural years immediately preceding year in which the Avadh Rent (Amendment) Act, 1921 came into force ;

(*d*) land which has been continuously cultivated by the proprietor or under-proprietor himself, or by his servants or by hired labour for a period of ten years commencing at any time after the commencement of the Avadh Rent (Amendment) Act, 1921."

यानी उस अधिनियम के पारित होने से ७ वर्ष तक उस तरह से जो जमीन सीर मानी जाती रही हो या जो व्यक्ति ७ वर्ष पहले से उसे खुद काश्त करता हो या नौकरों द्वारा कराता हो या हायर्ड लेबर द्वारा कराता हो, वह उसकी सीर समझी जायगी ।

इसके अलावा भी १९२१ से पहले १० साल तक खुद काम करता हो, नौकरों द्वारा कराता हो या हायर्ड लेबर द्वारा कराता हो, वह भी सीर मानी जायगी इत्यादि। यह अबध रेंट ऐक्ट में है।

लेकिन यहां संशोधन आया हुआ है उसमें सीर का कहीं नाम नहीं है। यहां मैदानों में तो आपने इस प्रकार से सीर रखी है लेकिन पहाड़ में जहां लोगों ने जमीन को खुद तोड़ी, उसको स्वयं कमाया फिर भी उनके लिये सीर की व्यवस्था नहीं है यह अन्याय है। जिनके बाप दादों ने पहाड़ों को तोड़ा उसको भी इन मंत्री जी के राज्य में वहां कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उसका कसूर यही है कि वह पहाड़ों पर पैदा हुआ। अगर वह मैदान में पैदा हुआ होता तो अवश्य ही उसका नाम सीरदारों में दर्ज होता। मैदान में सीर का हक दिया गया है। २५० रुपये से कम लगान देने वाले को अपनी जमीन पर सीर का पूरा अधिकार प्राप्त है, मौजूदा कानून के मुताबिक इसके अलावा और भी बेदखली आदि के कई हक प्राप्त हैं जब कि पहाड़ी इलाके के लिये आपने इस तरह का कोई अधिकार छोटे से छोटे हिस्सेदार को जो चार आने लगान देता है उसे भी नहीं दे रखा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---बर्तन मांजने वाले बहुत ज्यादा हैं इसलिये उनको जमीन देनी है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---माननीय मंत्री जी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, वे इसको लाइटली ले रहे हैं। मैं बर्त्तन मांजने वालों के ही पक्ष का समर्थन कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी इस बात को याद रखें कि लोग इससे तबाह हो जायेंगे। इससे लोगों में बड़ी बेचैनी फैलेगी। अगर माननीय मंत्री जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो उनकी तरफ बैठने वाले जो नए उपमंत्री हैं, जो हाल ही में इस रिपोर्ट लिखने के बाद बना दिये गये उनकी ही बात मान लें। इसको न मानने से लोगों का बड़ा अहित होगा।

यह बिल इतनी जल्दी में आया कि हम इसकी ठीक से तैयारी नहीं कर पाये। हमें तो आशा थी कि सरकार ने २३ मई तक असेम्बली चलने की बात कही है तो जैसा कि वह वादा करने के बाद भी पहले ही उठ जाती है फिर भी ८,१० मई तक तो असेम्बली चलेगी ही और इसी वजह से मैं उसके लिये पूरा तैयार नहीं हो पाया। यही कारण है कि मैं अपनी अल्प बुद्धि से आपको समझा नहीं पाया हूं लेकिन फिर भी मैंने चेष्टा की है कि जहां तक हो सके आपको समझा सकूं।

जो यू० पी० का अधिनियम है और यह जो नया बिल बना है इन दोनों में बड़ा अन्तर है। सारे पुराने पेचीदे मामले तो इसमें लिख दिये गये हैं यानी जो कड़ुवी कड़ुवी चीजें थीं वे सब तो इसमें रख दी गयी हैं लेकिन मीठी-मीठी चीजें जिनसे कुछ फायदा जनता का होता था उनको नहीं रखा गया है। इसी कराण से मैं समझता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाना बहुत आवश्यक है।

भूमिधरी को ही लीजिये। पुरानी दफा ४४ को आज संशोधित कर या अन्यथा रखा गया है लेकिन दफा २४५ को लिख दिया गया है। मूल अधिनियम की धारा २४५ में है 'Amount of land revenue payable by Bhumidhars"

किस तरह से कितना लेना है 'कितना देना है' क्या देना है, ये सारी बातें उसमें हैं। इसी तरह से उसमें है कि Net Assets किस तरह से आधारित होता है। श्रीमन् यह ताज्जुब की बात है कि किसी धारा का पहला हिस्सा ले लिया गया है तो बाद वाला दूसरा हिस्सा नहीं लिया गया है और किसी का दूसरा हिस्सा ले लिया गया है तो पहला हिस्सा नहीं लिया गया है। तो इस तरह की श्रीमन्, और दूसरी बहुत-सी खामियां हैं। जैसे लैंड मैनेजमेंट कमेटी वेस्टिंग इन गांव समाज, इसमें और तो नहीं लिया गया है लेकिन बाकी १२८ धारा को ले लिया गया है। तो इससे सारी बात गलत हो जाती है। अगर वाकई में मंत्री जी यह चाहते हैं कि वहां के लोगों का भी थोड़ा-सा भला हो तो वह इस में भूमिधरी न

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

बनायें, सीधे जिस को हक देना है उन को हिस्सेदार बना दीजिये और पूरे राइट्स उन को दे दीजिये। यहां मैदान के भूमिधरों और वहां के हिस्सेदारों का एक साम्य हो, यह ठीक नहीं है। पहाड़ मैदान नहीं हो सकता, न वहां का रहन-सहन यहां का सा है, न वहां का भूगोल ऐसा है, वहां की आवश्यकतायें और हालत सर्वथा भिन्न हैं। अगर आप को तरक्की बनाना ही है तो आप खायकर को बिना मुआवजा उससे लिये हिस्सेदार बना दीजिये, मुआवजा जो भी आपने सरकार द्वारा दिये जाने को कहा है निर्धारित किया है वह ठीक है, वह उचित दर पर आप दीजिये।

जहां तक सीरतान की बात है उसकी परिभाषा आप पूरी कीजिये। वहां के तमाम लोगों की यही राय है, पहले सेलेक्ट कमेटी में भी यही तय हुआ था जब जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पास हुआ था तो कई हजार आदमियों को शहादतें हुईं लेकिन उस समय जान बूझकर यह ठीक नहीं समझा गया। यह कानून पहाड़ के लिये ठीक नहीं है। इसके लिये भी जरूरत थी कि सेलेक्ट कमेटी में वह तमाम बातें होतीं, जैसे कि २५० लोगों के प्रस्ताव इस बिल के संबंध में आये लेकिन एक आदमी का भी एक प्रस्ताव नहीं माना गया। वहां की जनता के प्रतिनिधि क्या कहते हैं? वहां के बार असोसियेशन की क्या राय है? वहां गांव सभाओं और गांव समाजों की क्या राय है? वहां के कानून के जो ज्ञाता लोग हैं उनकी क्या राय है? यह सब बातें सरकार ने नहीं सुनीं और उन की राय को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। यह प्रजातंत्र कहने वाली गवर्नमेंट की कौन-सी नीति है? हम पर्वतियों की यह कमजोरी रही है कि हमने कभी भी यह मांग नहीं की कि हमारी भाषा अलग है, हमारा प्रांत अलग होना चाहिये और हम इस सूबे से या देश में अलग हैं, शायद सरकार इन्हीं बातों से समझती है कि हम कमजोर हैं। मातृभाषा उस भाषा को कहा जाता है कि जो मां अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने बच्चे से बोलती है। श्रीमन्, हमारे यहां यह नहीं बोली जाती। लेकिन हमारा कसूर यह है कि हम ने कभी भी इस की मांग नहीं की कि हमारी भाषा दूसरी है। हमें भी अपना अलग तेलगू प्रदेश या आंध्र चाहिये या महा गुजरात चाहिये या महा महाराष्ट्र चाहिये। यही हमारा कसूर है कि हम आप में अपने को मिलाये रहे। वहां के २२ लाख लोगों की मांग है, हो सकता है उधर के दो चार सदस्य उधर वालों को खुश करने के लिये कुछ और राय जाहिर करते हों लेकिन मैं उनका कायल नहीं हूं। अगर गवर्नमेंट अपनी पापुलेरिटी के लिये कोई गलत काम करती है उसका भी मैं कायल नहीं हूं। मैं यहां पर वहां के लोगों की सही भावनाओं का प्रतिपादन करता हूं, गलती हमारी यही रही है कि हमने प्रथक होने की भावना को कभी महत्व नहीं दिया लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह का सौतेली मां का व्यवहार पहाड़ के लोगों के प्रति सरकार का होगा तो याद रखिये कि एक दिन ज्वालामुखी का विस्फोट होगा और उसके न मालूम क्या-क्या परिणाम होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह किसी प्रकार का डिसक्रिमिनेशन पहाड़ वालों के लिये न करें और इस बिल को अभी प्रवर समिति में ले जायं। जहां तक जमींदारी उन्मूलन की बात है, सीलिंग चाहे ३० एकड़ की रखें या यह रखें कि १५ एकड़ से अधिक जमीन जिसके पास होगी वह ले ली जाय और बिना मुआवजे के ली जाय। 'न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी"। अगर वह संविधान में ऐसा संशोधन करा लेते कि बिना एक पैसा मुआवजा दिये अधिक भूमि सब से ली जायेगी तो मैं मंत्री जी से पीछे न रहता लेकिन होता यह है कि सरकार पर जो बड़े लोग हावी हैं। पता लगा है सीलिंग का कानून अभी नहीं आवेगा, ताकि बड़े लोग उसका लाभ उठा सकें। उसमें जमीन हस्तान्तरण निरोध की पहले १५ अगस्त रखी गई थी फिर वह तारीख और बढ़ा दी गई और मंत्री जी माफ करें मुझे, जहां तक उन्हीं की तरफ के लोगों से मालूम हुआ है कि लोगों को पूरा मौका दिया गया है कि वह अपने खाते अलग-अलग कर लें और बटवारे करा लें ताकि उन पर सीलिंग लागू न हो सके। मैं मांग करता हूं कि पहाड़ में सीलिंग अभी लागू की जाय और अगर मैदान में ३० एकड़ पर की जाय तो पहाड़ में १५ एकड़ रखें, इस के ऊपर जिसके पास जमीन हो वह मुफ्त ले ली

जाय लेकिन जो गरीब बर्तन मलने वाले या सिपाही या यतीम या बेवायें हैं उनकी जमीन लेने से कोई लाभ न होगा। जहांतक जमींदारी अबालिशन की बात है हम खुद चाहते हैं कि मोटे आदमी छांटे जायं। जिसके मांस ज्यादा हो। गरीब के गले पर छुरा डालकर ज्यादा गोश्त नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके गरीबों के लिये यह बिल न लाकर नया बिल लाया जाय जिससे गरीबों का भला हो।

श्री चन्द्रसिंह रावत—अधिष्ठाता महोदय, माननीय गोविन्दसिंह जी ने जो तर्क दिया है मुझे अफसोस है कि मैं उससे तनिक भी प्रभावित नहीं हो पाया। माननीय गोविन्दसिंह जी एक प्रैक्टिसिंग लायर होने के नाते अपने तर्क को सदन के सामने इस प्रकार से रखते कि उसके जजमेंट को प्रभावित कर सकते और जो आज तक राय बनी हुई है उसमें तब्दीली कर सकते, लेकिन यह नहीं हुआ।

मुझे महान खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार का प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि कोई भी वकील जो कानून की अदालत में प्रैक्टिस करता है वह इस प्रकार का प्रस्ताव कभी किसी सदन में पेश नहीं कर सकता। उसमें एक बात का बड़ा भारी दोष है कि एक विधेयक जो पहले ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश हुआ है और वहां से पास होकर आया है उसे वह चाहते हैं कि फिर से एक सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय जो इस सदन के सदस्यों की हो। मैं समझता हूं कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के बाद केवल इस सदन के सदस्यों की सेलेक्ट कमेटी में किसी विधेयक को भेजना बुद्धि के बाहर की बात है। यह तो कानूनन भी नाजायज है, फैंडेस्टिक है, एक्स्ट्रावेगेंट है। जिस प्रस्ताव के पांव नहीं आंख नहीं और बुद्धि नहीं और जो एक मरे हुए बच्चे की तरह सदन में पेश किया जाता है, इस प्रकार की लाश को सदन के सामने रखना सदन का अपमान है। इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय गोविन्दसिंह ने जो तर्क रखा और अपनी वकालत का परिचय दिया वह कोई सुन्दर चीज नहीं है।

आपको पता होगा कि पहले भी उन्होंने यह तर्क दिया है कि पहाड़ों पर कतई जमींदारी नहीं है जैसा कि आज भी उन्होंने कहा कि वहां कोई जमींदारी नहीं है लिहाजा जमींदारी उन्मूलन का तो प्रश्न उठता ही नहीं। तो एक तर्क तो यह है कि लिहाजा उनको प्रोटेस्ट है कि यह बिल कतई इस सदन में पेश नहीं होना चाहिये। ठीक है, आपका यह तर्क है, आपको उस पर बड़ी फर्मली स्टैंड करने की जरूरत है। आपने यह प्रस्ताव पेश कर दिया कि इस विधेयक को एक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। जिस वक्त आपका यह प्रस्ताव आता है उस वक्त आप यह कबूल करते हैं कि जमींदारी उन्मूलन हो। तो आपके तर्क में विरोध है। आप एक बार कहते हैं कि जमींदारी नहीं है और फिर कहते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। आप खुद हमारी बात को एडमिट करते हैं और स्वीकार करते हैं कि जमींदारी एबालीशन होना चाहिये। आपने चन्द दिन पहले इस बात को इस सदन में कहा कि जमींदारी एबालीशन नहीं होना चाहिये और उसके बाद खुद ब खुद इस सदन में खड़े होकर इस बात को कबूल किया है कि मेरा मतलब यह नहीं था कि जमींदारी उन्मूलन पहाड़ पर न हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी बुद्धिजीवी इंसान जो तर्क में विश्वास रखता है और जिसने तर्क को सीखा है वह कभी इस बात को कबूल नहीं कर सकता कि आपके तर्क में कोई तथ्य है। इस प्रकार की बातों से सदन का सम्मान कम होता है। अगर माननीय गोबिन्द सिंह बिष्ट जी इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना ही चाहते थे तो उनको सीरियसली बताना चाहिये था कि बिल में यह यह चीजें छूट गई हैं जो संशोधन के द्वारा इसमें इनकारपोरेट नहीं हो सकतीं तब तो उनका प्रस्ताव कोई मतलब रखता था। पर उन्होंने कोई इस प्रकार का आर्गूमेंट नहीं दिया। अगर वह बताते कि इसमें वह प्रावीजन्स नहीं हैं जो होने चाहिये और अमेंडमेंट के द्वारा उनको बिल में इनकारपोरेट नहीं किया जा सकता तब तो उनका केस मजबूत हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया। जो बातें उन्होंने बतायी हैं वे सब संशोधन के द्वारा बिल में शामिल की जा सकती हैं। इसलिये उन्होंने अपने केस को शून्य बनाकर यह साबित किया है कि कोई

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

चीज इस बिल के अन्दर नहीं छूटी है जिसको नये सिरे से सेलेक्ट कमेटी में भेज कर वह शामिल कराना चाहते हों। कोई प्लाजिबिल आर्गूमेंट्स देकर उन्होंने सदस्यों को कनविंस करने की कोशिश नहीं की।

जहां तक उन्होंने माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट के नोट आफ डिसेंट की तरफ ध्यान आकर्षित किया, मुझे कतई हिचक नहीं यह कहने में क्योंकि पहली बार भी नरेन्द्रसिंह विष्ट जी ने १९५४ में जब कि एक इंजेक्शन के बतौर एक टेम्पोरेरी ऐक्ट बना था ताकि लोग अपनी जमीन ऐलीनेट न कर सकें और जब तक वह कानून नहीं बन जाता तब तक जो कोई भी नाजायज हो लोगों को समरी रिलीफ और रेमिडी मिल सके, तो उन्होंने एक सुझाव रखा था कि ६०० एकड़ की सीलिंग पहाड़ में होनी चाहिये। मुझे अफसोस है कि क्या पहाड़ में किसी के पास ६०० एकड़ भूमि भी है ? मैंने उसी समय सदन में कहा कि जो बात माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जी कह रहे हैं वह व्यक्तिगत तौर पर कह रहे हैं, जनता की आवाज नहीं है। अगर टी स्टेट भी हो तो उसमें भी आबादी है, लोग बसते हैं। आज हम एक नये हिन्दुस्तान का निर्माण करने जा रहे हैं। हम उन पुरानी परम्पराओं को जो हमारे देश को तबाह किये हुये थीं उनको आज दूर करने जा रहे हैं और एक नई व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं और पुरानी जहनियत को हमें खत्म करना है। अंग्रेजों की उदारता देखिये कि वे हिन्दुस्तान पर कब्जा किये हुये थे लेकिन जब वक्त का तकाजा हुआ तो छोड़ कर चले गये। एक्स-प्रोप्रायटरी टेनेंट्स जिनको पक्का खायकर कहा जाता था उनकी गरीबी के कारण कोई भी दोष न होते हुए उनको जबरदस्ती खायकर बनाया गया और उनकी हिस्सेदारी को हड़पा गया और उनकी मिल्कियत को खत्म किया गया। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं जिस तरह से अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को छोड़ दिया उसी तरह से जिन्होंने हिस्सेदारों को खायकर बनाया वे भी रिटायर हो जायं और उनको स्वतः इस बात को आफर करना चाहिये कि हम उस डकैती को वापस करना चाहते हैं और बिना किसी कम्पेनसेशन के उन्हें इस तरह की जायदादों को वापस कर देना चाहिये।

इससे पहले कि मैं इस बिल पर बहस करूं मैं थोड़ी-सी चन्द बातें इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह बिल लागू होगा उत्तराखंड और कुमायूं डिवीजन पर। उत्तराखंड डिवीजन पर तो पूरा लागू होगा लेकिन कुमायूं डिवीजन के ३/४ हिस्से से अधिक पर यह बिल लागू होगा। १/४ हिस्सा कुमायूं डिवीजन का जिस पर यह लागू नहीं होगा वह है गढ़वाल में खास स्टेट और कुमायूं में तराई भाबर और यहां पर जमींदारी खत्म करने के लिये एक सेपरेट बिल हमारी सरकार की ओर से बाद में पेश किया जायगा जहां कि जमींदार हैं सरकार और दूसरे लोग टेनेंट्स हैं।

हमारे पहाड़ में एक लैन्ड सिस्टम था रायतवाड़ी सिस्टम जैसे कि मध्य प्रदेश में प्रिवेल करता है। वहां जो हिस्सेदार होते हैं वह फुल प्रोप्राइटर्स होते हैं और जागीरदार होते हैं। जो जागीरें कि उनको बतौर इनाम के मिली होती है। अंग्रेजी सरकार को खुश करके अपनी नौकरी के दौरान में या भाई बिरादरी के दौरान में अगर किसी ने अंग्रेजी हुकूमत को सपोर्ट किया तो उनको वे जागीरें दी गयीं और वे जागीरदार कहलाये।

तीसरे हैं माफीदार। जमीन एसेस्ड होती है और उस पर टेनेंट्स होते हैं, लेकिन जितना लैन्ड रेवेन्यू होता है वह माफीदार को माफी होता है। वह माफीदार खुद ले लेता है, सरकार में वह जमा नहीं होता। सरकार की तरफ से लैन्ड रेवेन्यू माफीदार को दिया जाता है।

इसके बाद गूंट लैंड हैं। कुछ जमीनें मंदिर व मठों को चढ़ा दी जाती हैं वे गूंट लैन्ड्स कहलाती हैं। इनमें टेनेंट्स होते हैं और जो इन जमीनों पर लगान होता है वह पूजा के लिये खर्च किया जाता है और वह पुजारी को दिया जाता है। और उसकी पूजा के लिये वह लैन्ड रेवेन्यू इस्तेमाल की जाती है। परन्तु ऐसी जमीनों में बहुत सी जगह टेनेंट्स हैं इसलिये मौका है।

चूंकि वही कई पुश्तों से टेनेंट्स हैं लिहाजा उनके ऊपर भी जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू होना चाहिये।

पहाड़ों में कुछ फ़्री सिम्पिल इस्टेट्स भी हैं और एक के मालिक हमारे माननीय नरेंद्रसिंह बिष्ट जी भी हैं। ऐसे इस्टेट्स के सब स्वायल के राइट्स गवर्नमेंट आफ इंडिया में वेस्ट होते हैं, यानी जमीन के नीचे अगर कोई खानें वगैरह होती हैं तो उनकी मालिक सरकार होती है, जमीन वाला उनका मालिक नहीं होता। इन फ़्री सिम्पिल इस्टेटस का एक इतिहास है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के जमाने में जिन अंग्रेजों ने इंग्लैंड में जुर्म किया होता था वे सजा से बचने के लिये इंग्लैंड छोड़कर भारतवर्ष में आ जाते थे। ऐसे लोगों के लिये बहुत सी जमीनें सरकार द्वारा हासिल की गयीं और उन जमींनों के मालिकों को एक नामिनल कीमत दे कर उसको बैकेट करा लेते थे। इस तरह से ये फ़्री सिम्पिल इस्टेट्स बनीं। इनके बारे में मेरा पहला आर्गूमेंट यह है कि चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी और उन्होंने बहुत ही नामिनल कीमत दे कर उन जमीनों के मालिकों को वहां से हटाया, उनको पूरी कीमत उन जमीनों की अदा नहीं हुई लिहाजा यह एक तरह का अन्याय और अत्याचार था। दूसरा मेरा तर्क इस संबंध में यह है कि इन फ़्री सिम्पिल इस्टेट्स के नजदीक जो गांव हैं वहां के रहने वालों को उसमें रास्ता घास, लकड़ी, आदि के एन्शिएन्ट कस्टमरी राइट्स आफ यूजर्स हासिल हैं। इसलिये उन राइट्स में सरकार कोई दखलन्दाजी नहीं कर सकती और ये राइट्स जैसे के तैसे उन जमीनों के ऊपर कायम रखने चाहिये। इसलिये इस फ़्री सिम्पिल इस्टेट को भी जैसे इस ऐक्ट में शामिल कर दिया गया है वह ठीक ही किया गया है।

अब मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि खायकर, पक्के खायकर, मौरूसी सिरतान और सिरतान ये टेनेंट्स की क्लासेज हैं जोकि पहाड़ में प्रचलित हैं। आक्यूपेंसी टेनेंट्स वह है जैसे कि प्लेंस में होते हैं जिनके राइट्स हैरिटेबिल है लेकिन ट्रांसफरेबिल नहीं है। उन्हीं को कच्चे खायकर कहा जाता है। लेकिन बहुत से कच्चे खायकर ऐसे हैं कि हिस्सेदारों ने किसी न किसी सैटिलमट में चोरी से, बेईमानी से पक्के खायकारी स्टेट्स को डिस्ट्राय करके कच्चे खायकर को बना दिया। उन्होंने जमीन को खुदकाश्त में दर्ज करा लिया और गांव के पक्के स्टेट्स को कच्चे स्टेटस में करा दिया। पक्के खायकारों की गांव में एक बाडी होती है वहां की जमीन ट्रांसफर हो सकती है। गांव वालों में और आउट- साइडर्स में ट्रांसफर नहीं हो सकती है। "The land of Pakka Khaikari Village in respect of an useless Khaikar or otherwise is transferable intereste but not to outsiders". बाहर वालों को वह नहीं बेची जा सकती है। जो वहां के रहने वाले हैं उनको बेंची जा सकती है, उसकी तिजारत हो सकती है। उनके राइट्स हैरीडिटेयेरी होते हैं। बिना हिस्सेदार की रजामन्दी के उन जमीनों को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बेऔलाद मर जाता है तो गांव के किसी व्यक्ति को वह जमीन दी जा सकती है। लेकिन कच्चे खायकारी गांव में अगर कोई मर जाता है उसकी जमीन हिस्सेदार को मिलती है और हिस्सेदार उस जमीन का मालिक हो जाता है। यही फर्क कच्चे खायकरी और पक्के खायकरी दोनों गांवों में है।

अब सिरतानों के मुताल्लिक बताना चाहता हूं कि किस तरह जमीनें हासिल की गई है। बहुत से लोग जो हिस्सेदार थे उन्होंने जो लोग बे पढ़े लिखे थे, गरीब थे और कमजोर थे उनसे बन्दोबस्त के समय जमीनें ले लीं और उनको कच्चे खायकर बना दिया क्योंकि उनकी खुदकाश्त जमीन थी। इसलिये मेरा सदन से निवेदन यह है कि ऐसी जमीनों को बिना किसी कम्पेंसेशन के वापस होना चाहिये।

इसके अलावा एक खायकर वह हैं जिन्होंने हिस्सेदारों की खुदकाश्त जमीन की कीमत अदा करके खरीदा है और इस बात का उनके पास सबूत मौजूद है। उन जमीनों का

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

सेल डीड हुआ है और रजिस्ट्रार के यहां बाकायदा रजिस्ट्री हुई है। ऐसी जमीनों के लिये मैं समझता हूं कि उनको नामिनल कम्पेंसेशन दिया जाय क्योंकि उस जमीन की वह कीमत पहले ही अदा कर चुके हैं। पहले तो उनको कोई कम्पेंसेशन दिया ही नहीं जाना चाहिये। अगर दिया भी जाय तो एक नामिनल कम्पेंसेशन दिया जाय।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि किस तरह जमीन हासिल की गई हैं जैसे कोई हिस्सेदार था उसके पास जमीन की कमी थी तो उसने कैसरेहिंद जमीन ले ली। इस जमीन का मालिक सिवाय सरकार के और कोई नहीं होता है। उस जमीन की मालिक हिन्दुस्तान की सरकार होती है। इस खायकर ने उस जमीन को आबाद किया। लेकिन वह जमीन गांव के हिस्सेदार के नाम दर्ज करा दी गई और जिस गरीब ने उस जमीन को आबाद किया था उसके नाम पर खायकरों में हो गई। मैं समझता हूं कि ऐसी जमीन को खायकर ने खुद अपनी कीमत पर आबाद की है।

श्री अधिष्ठाता------आप कृपया बैठ जायं। सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रसिंह रावत---इसलिये जो कैसरेहिन्द भूमि खायकरों ने अपनी कीमत पर ली है, मैं समझता हूं कि उस भूमि पर चाहे वह गांव के सारे हिस्सेदारों के नाम दर्ज की गयी हो, चाहे किसको खास व्यक्ति के नाम दर्ज की गयी हो बेईमानी से, कोई भी मुआवजा इस खायकरी होल्डिंग पर हिस्सेदारी हासिल करने के लिये नहीं होना चाहिए।

इसके बाद मौरूसी सीरतान हैं। ये वे लोग हैं, जिनकी होल्डिंग्स हेरिटेबिल हैं। अगर कोई सीरतान मर जाता है तो जमीन उसके बच्चों को जाती है। लेकिन वह ट्रांसफरेबिल नहीं है। इसकी ओरिजिन इस प्रकार है कि कभी हिस्सेदार गरीबों से अपना काम करवाते थे। उसके एवज में उन सीरतानों को कुछ जमीन दे दी कि तुम इस जमीन को खाना। लेकिन जब कई पुश्त गुजर गयीं तो कई मुकदमें सिविल और रेवेन्यु कोर्ट्स में पेश हुए, उस जमीन को वापस लेने के लिये लेकिन अदालतों ने यह फैसला किया कि चूंकि सीरतानों का कब्जा कई पुश्तों से चला आ रहा है, और उन्होंने हिस्सेदारों की सेवा की है लिहाजा इन जमीनों को हेरिटेबिल बनाएं और सीरतानों को न हटाया जाय। इस प्रकार मौरूसी सीरतान और खायकर के बीच बहुत कम फर्क है। दोनों का स्टेटस करीब-करीब एक है। दोनों हेरिटेबिल हैं लेकिन ट्रांसफरेबिल नहीं हैं।

अब दूसरे प्रकार के सीरतान हैं, जिनको टिनेंट्स ऐट विल कहते हैं। कुछ सीरतान ऐसे हैं जो दूसरे गांव में जमीन कमाते हैं। पांच-दस साल के लिये, उनका हिस्सेदार से ऐग्रीमेंट होता है। उस बेसिस पर उस जमीन को जोता जाता है। कुछ सीरतान ऐसे हैं, जो बहुत गरीब थे, ज्यादातर शिल्पकार थे। उनके पास कोई जमीन नहीं थी। वह सेवा करते थे। उनको कैसरेहिन्द जमीन बता दी गई कि उसमें तुम बस सकते हो,, मकान बना सकते हो, और खेती कर सकते हो। उस सीरतान ने कैसरे हिन्द जमीन को जोता और पैदा किया। उसका सबूत यह है कि तीन चार पुश्तों से उनके मकान मौजूद हैं, खलिहान हैं। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिस्सेदार लोगों ने उन गरीबों की बेबसी का फायदा उठा कर उस जमीन को खुदकाश्त अपने में दर्ज करवाया और उन गरीबों का कब्जा नहीं लिखा गया। न बन्दोबस्त के रेकार्ड्स में नाम है। अगर माननीय मंत्री जी मुल्क हिन्दुस्तान के अन्दर नयी व्यवस्था करने जा रहे हैं और उनको इस स्वतंत्र भारत का नागरिक समझते हैं तो ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी कीमत पर उन जमीनों को पैदा किया, उन जमीनों पर फ्री राइट मिलना चाहिये। डाक्यूमेंटरी एविडेंस उनके खिलाफ है। लेकिन बन्दोबस्त में उनके कब्जे में जमीने दर्ज

नहीं हैं। गांव का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये जमीनें उनकी नहीं हैं। रिवीजन आफ रेकार्ड्स यही मानी रखता है कि जहां कहीं गलतियां हुई हैं उनको रिवाइज कर दिया जाय। जो मालिक हैं, उनका नाम ही नहीं है यह बड़े अन्याय की बात है। यह अनजस्ट है। इस प्रकार के सीरतानों को फौरन हिस्सेदार बना देना चाहिये। क्योंकि उस जमीन के मालिक हिस्सेदार नहीं हैं। वह कैसरे हिन्द जमीन है जिसको मालिक सरकार हुआ करती है।

इसके बाद मैं यह चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर कुछ इस प्रकार का प्राविजन जरूर आना चाहिये, बहुत से गांवों में जहां पढ़े लिखे लोग जो नौकरियों में थे उससे बेकार होने के बाद गांवों में आये तो गांवों के लिये वह एक बला साबित हुए उन्होंने जमीन को दीवारों से घेर कर अपना जंगल कायम कर दिया और उस जमीन पर जो यूजर्स के राइट्स विलेज कम्यूनिटी के थे उनसे उनको वंचित कर दिया। इस प्रकार की जमीन गढ़वाल के इलाके में बहुत सी चारों ओर बिखरी हुई है। मैं समझता हूं कि इस तरह की दीवारों से घिरी हुई जो जमीन है जो कि सरकार की प्रापर्टी है उस पर सारे विलेजर्स के राइट्स हैं लेकिन प्रयोग में मैंने यह देखा है कि उन लोगों के जो यूजर्स राइट्स थे वह एक व्यक्ति ने हड़प कर लिये हैं। इस प्रकार के कई इंस्टांसेज जो सेटिलमेंट कमिश्नर साहब यहां तशरीफ रखते हैं उनके नोटिस में मैं लाया और मैंने कहा कि यह सारे राइट्स उनको मिलने चाहिये जिनको इनसे वंचित कर दिया गया है, यह उनको रिस्टोर होना चाहिए और जिस व्यक्ति ने बेईमानी से, अत्याचार से, अन्याय से उस विलेज कम्यूनिटी को उनके यूजर्स राइट्स से वंचित किया है उसकी मोनोपली को, उस कैसरेहिन्द जमीन से खत्म किया जाना चाहिये। उसका कोई भी अधिकार उस जमीन पर न तो कानूनन हो सकता है और न होना चाहिये। लेकिन मुझे डर है, ऐसा न हो कि इस बन्दोबस्त के दर्मियान उन जमीनों को उनकी प्राइवेट प्रापर्टी या उनका प्राइवेट जंगल बना दिया जाय। इसलिये मैं सरकार को सतर्क कर देना चाहता हूं कि उससे गांव के लोगों पर बड़ी हार्डशिप होगी, हो रही है और भविष्य में और भी अधिक होगी। इसलिये इस तरह का एक प्राविजन जरूर इस बिल के अन्दर आना चाहिये कि चूंकि वह जमीन कैसरे हिन्द है और उसको वह प्राइवेट फारेस्ट ट्रीट करते हैं (such private forests must be abolished) और गांव वालों के इस्तेमाल के लिये वह जमीन छोड़ दी जानी चाहिये।

अब मैं माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट के तर्कों के मुताल्लिक कुछ चन्द बातें पेश करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, न तो उन्होंने जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स को पढ़ा और न इस बिल के ऐम्स ऐंड आबजेक्ट्स को पढ़ा और न उसके प्रिंसिपुल्स को देखने की कोशिश की क्योंकि यह स्पष्ट बताया गया है कि जमींदारी एबालिशन जो है वह तो इंटरमीडियरीज को खत्म करने के लिये है। जो बीच का आदमी है---वह टेनेंट भी हो सकता है, कच्चा पक्का खायकर भी हो सकता है, एक सीरतान भी हो सकता है, एक ट्रेसपासर भी हो सकता है, तो हमारा जो मकसद है वह इंटरमीडिएरीज को खत्म करने का है। अगर वह इस परिभाषा को पढ़े होते और देखे होते और उसके ऊपर कुछ गौर फरमाये होते तो मैं समझता हूं कि उनकी बुद्धि में कुछ प्रकाश की रश्मियों ने प्रवेश किया होता और उनको स्पष्ट हो गया होता। वही परिस्थिति मौजूद है। वह छोटे पैमाने पर भले ही हो, लेकिन एक छोटे रूप में वही चीज है। एक बच्चा है और एक नबजवान है। एक बड़े शरीर का है और एक छोटे शरीर का। छोटे और बड़े एक समान हैं लेकिन मैं इन्सान की फितरत बताता हूं। छोटा आदमी बड़ा फितना होता है। बड़ा आदमी बड़ा अन्याय करता है लेकिन फिर भी उसका दिल बड़ा होता है, उसका व्यवहार बड़ा होता है। छोटे आदमी का व्यवहार बहुत छोटा होता है। समाज इन छोटी बातों में सफर न करे, समाज के अन्दर उजलतें पैदा न हों, इसलिये मैं यह समझता हूं कि इंटरमीडियरीज को खत्म करना ही चाहिये। आज जबकि हमारे जमींदारी एबालिशन बिल का एम और आब्जेक्ट इंटरमीडियरीज को खत्म करना है तो मैं नहीं समझता हूं कि यह कैसे कहा जाता है कि पहाड़ में जमींदारी एबालिशन की जरूरत नहीं।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मुझे खेद है कि यह बिल देर से आया। माननीय सदस्य इसको महसूस कर सकते हैं कि यह बिल इस सदन में बहुत पहले आना चाहिये था ताकि हमारी मुसीबतें कम हों। मैं यह समझता हूं कि जो हमारे लीडराने वतन हैं वे हमारे देश के हितैषी हैं और हमारी जनता के सच्चे नुमाइन्दे हैं, उन्हें उन हिस्सेदारों को खत्म कर देना चाहिये जिन्होंने नाजायज तरीके से जमीनों पर कब्जा कर लिया है। उन जमींदारों ने उन गरीबों की जमीनों को हड़पने की कोशिश की है। क्या कारण है कि हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तान की हकूमत मिल सकती है तो उन गरीबों को अपनी जमीन वापस नहीं मिलनी चाहिये? मुझे खेद है कि जिन गरीबों के साथ बहुत से वायदे किये गये थे उनको आज तक महरूम रखा गया है और उन गरीबों को आज तक हमने इस सम्मान का पात्र नहीं समझा है। मैं इन्सानियत के नाते, इन्साफ के नाते और स्वतंत्र भारत के नाते सरकार से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर इस प्रकार के प्राविजन होने चाहिये कि जितने ट्रान्जैक्शन कुमायूं के अन्दर इधर १० साल में हुए हैं उनको नल ऐंड वायड कर दिया जाय। इस बिल के जरिये से हमको बेईमानी करनेवालों को नहीं पनपने देना है जो गरीबों को तबाह करना चाहते हैं। अगर कोई आदमी इस प्रकार का दावा करे कि हम मुल्क के अन्दर रहने वालों को दबा करके रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के लिये हिन्दुस्तान के अन्दर रहने के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिये। वे ऐसे लोग हैं जो देश के हितैषी नहीं हैं। मैं कहता हूं कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान के साथ बहुत हमदर्दी का बरताव दिखाया था। वह देश के ऊपर हावी होना चाहते थे किसी के अधिकार छीनने की बात नहीं करते थे लेकिन आज जो अधिकार उनको दिया गया है उन अधिकारों को हड़पने की बात करना मैं समझता हूं यह हिमाकत की बात है। मैं समझता हूं उस व्यक्ति का देश के अन्दर रहना भलाई की बात नहीं है। अगर उनको पासपोर्ट की जरूरत हो तो उसका प्रबन्ध कर दिया जाना चाहिये। ऐसे लोगों को पासपोर्ट देकर बाहर कर देना चाहिए। हम इस देश के निवासी हैं, हमारा यह कर्तव्य है कि जनता के लाभ के लिये यहां पर बात करें। हमारा यह भी कर्तव्य होना चाहिये कि हम बेईमानी और बेइंसाफी की जड़ उखाड़कर इस देश से बाहर फेंक दें। हमको मानव की मानवता का सम्मान होना चाहिये। इस तरह से करने पर ही हम देश की रचना कर सकते हैं। माननीय सदस्यों को इस जमींदारी बिल का स्वागत करना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री माल को बधाई देता हूं क्योंकि वही वे पहले मंत्री थे जिनके मन्त्रित्व काल में जमींदारी अबालिशन की बात इस प्रान्त के अन्दर चली थी। मुझे वह दिन याद है जब कि वह कोटद्वारा गये थे और किसानों की मीटिंग में उनसे प्रश्न किया गया था कि हम किसान लोग हिस्सेदार कब होंगे? आपने फरमाया था कि वह आर्डर हो चुका है। अब वह चीज इस बिल के अन्दर रखी गई है। यह बड़े हर्ष की बात होगी कि आज वह दिन आया। अब यह इस सदन से बहुत जल्द पास होना चाहिये और जो गढ़वाल और भावर के टेनेन्ट्स हैं उनको हिस्सेदार का स्टेट्स बहुत जल्द दिया जाना चाहिये और जो आशा वहां की जनता को दिलाई गई थी वह एक सेपरेट बिल के द्वारा पूरी की जानी जरूरी है।

संसदीय विषयक उपमंत्री(श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)--मेरा प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन यह है कि अभी पूर्ववक्ता गढ़वाल के माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे। उन्होंने अभी ४, ५ साल पहले का जिक्र किया कि मैंने इस सदन में यह कहा था कि पहाड़ में ६०० एकड़ की सीलिंग निर्धारित की जाय। अगर मैंने कोई ऐसी बात कही होगी तो वह प्रोसीडिंग में मौजूद होगी और यदि प्रोसीडिंग में ऐसा है तो मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य उसको इस सदन के सामने रखेंगे अन्यथा वह अपने शब्दों को वापस लेंगे।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं अगर माननीय मंत्री जी यह कहते कि उन्होंने वह बातें नहीं कही हैं तो यह काफी होता।

*श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय माल मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका स्वागत करता हूं लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि सन् १९३७ में जब कि हमारे यहां हमारा राज्य नहीं था, कांग्रेस सरकार यह समझती थी कि कुमायूं के लिये अलग से कानून होना चाहिये। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सन् १९३७ के बाद सन् १९५७ में यह विधेयक आया, उसके फिर तीन साल बाद अब यह विधेयक आया है, खैर देर आयद दुरुस्त आयद, तो इससे कितना नुकसान हुआ है। सन् १९५७ में जब यह विधेयक आया था तो उसी समय चन्द लोगों को सरकार का इरादा मालूम हो गया था और तभी से उन लोगों ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया था। उसी समय से बड़े-बड़े जमींदार लोगों ने और चन्द होशियार लोगों ने उससे फायदा उठाना शुरू कर दिया था। यह जिम्मेदारी सरकार की थी कि जिस समय उसने इसकी रूपरेखा बना ली थी, उसी समय इसको पास करती ताकि चन्द पूंजीपतियों और जमींदारों को इससे लाभ न पहुंच पाता।

श्रीमन, इस बिल में जहां तक यह सिद्धान्त है कि जो जमीन जोत रहा है वही उसका मालिक होगा, उसी के पास वह जमीन रहेगी, यह उत्तर सिद्धांत है। जहां तक सीलिंग का प्रश्न है वह वहां उठ नहीं सकता क्योंकि वहां किसानों के पास बहुत कम जमीन है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो रिकार्डेड सीरतान हैं उनको कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं। उनको आज तक कोई हक नहीं मिला। जो हालत आज वहां के लोगों की है वह छिपी नहीं है। आज वहां ऐसे भी लोग हैं जो वकालत भी करते हैं, अपना पेशा भी करते हैं और यहां असेम्बली के सदस्य भी हैं। एक ओर समाजवाद का हम नारा लगाते हैं और दूसरी ओर एक-एक आदमी के पास तीन-तीन चार-चार पेशे हैं और कुछ के पास कुछ नहीं। समाजवाद का अर्थ यह नहीं है कि एक आदमी को कुछ भी फायदा न हो और एक के पास कई पेशे हों। उसको बराबरी का हक मिलना चाहिये। मेरे यहां से कुछ लोगों ने मुझको चिट्ठी लिखी कि आपकी जमीन पर लोगों नें कब्जा कर लिया है। मैंने उनको लिखा कि उनको कब्जा कर लेने दो जब हम उस जमीन को जोतते ही नहीं तो उस पर पर हमारा कब्जा कैसा? यह बात मैंने उनको लिखी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उन लोगों को भी बराबरी का हक होना चाहिये।

दूसरी बात श्रीमन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आज इस सदन में इस बिल की फर्स्ट रीडिंग तो नहीं हो रही है। लोगों ने आज अपना तमाम समय इसी में लगा दिया कि सीरतान क्या है। खायकर क्या है? उसी की परिभाषा बताने में लगा दिया। ३ सितम्बर, १९५७ को इस पर बहस हुई, फिर प्रवर समिति में जाने का जब प्रस्ताव आया उस समय बहस हुई, और इस बिल का समर्थन करते हुऐ हम लोगों ने अपने सुझाव दिये और कई बातों पर चर्चा हुई।

अब मैं एक आवश्यक विषय पर आता हूं। आपको, मान्यवर, मालूम है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड विधेयक पास हुआ है और उस समय यह कहा गया था कि इस सम्बन्ध में जो कानून बनेंगे वे इसमें भी लागू होंगे। आज उस विधेयक के पास होने के बाद यह विधेयक हमारे सामने आया है। इस विधेयक में कहीं पर भी उत्तराखंड का नाम नहीं है। जो उसके लीगल आस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन पर विचार ही नहीं किया गया है। तो मेरा कहना यह है कि इसको चैलेन्ज किया जा सकता है। लिहाजा मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस पर सोचें और विचार करें कि इसका क्या रूप होना चाहिये ताकि उत्तराखंड भी इसमें शामिल हो सके। अगर इसमें यह कमी रह गयी तो फिर माननीय मंत्री जी को एक विधेयक लाना होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रताप सिंह]

जहां तक इस बिल के सिद्धांतों का प्रश्न है, हम सिद्धांतों का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को भी उन्हें ध्यान में रखना चाहिये था। मैं आपकी आज्ञा से कुमायूं लाज कमेटी की रिपोर्ट पढ़ देना चाहता हूं :

"The Committee next considered the question of tenancy legislation for Kumaon and recommended that there should be a self contained Act for the hill portions of Kumaun Division and that the plains portions should be governed by the proposed United Provinces Tenancy Act".

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इससे वहां के लोगों को कोई रिलीफ मिलेगी? हमारे यहां एक-एक जिले में हजारों आदमी भूमिहीन हैं। श्री बलदेवसिंह आर्य जी ने फारेस्ट कमेटी के सिलसिले में वहां का दौरा किया था, उनको परिस्थिति मालूम है। चूंकि आपने इसका नाम भूमि व्यवस्था बिल भी रखा है इसलिये आपको वहां की भूमि व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिये। यह जमीन तो जो जोत रहे हैं उनकी रक्षा हो करेगा लेकिन जो भूमिहीन हैं उनका क्या है? मुझे उम्मीद है कि सीलिंग के बाद तराई भावर में जो जमीन बचेगी उसके लिये जो वहां पर ४० हजार भौंटिया हैं, जो बेरोजगार हैं उनको प्राथमिकता दी जायगी और दूसरे लोगों का ध्यान रखा जायगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह इस बिल में नहीं कवर होता है।

श्री प्रताप सिंह---दूसरी चीज श्रीमन, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर विधेयक तो पास हो जाते हैं लेकिन जिनके द्वारा उनका इम्प्लीमेन्टेशन होता है उनको भी समझना चाहिए कि किस तरह से इसको लागू किया जाय। सन् १९३७ से लोग कांग्रेस गवर्नमेन्ट से यह आशा लगाये थे कि अपनी सरकार आयेगी तो हमको जमीन मिलेगी। हमारे भाई गोविन्द सिंह जी चीप पापुलेरिटी चाहते हैं। विष्ट जी अपनी पार्टी के लिये इस बिल को एक कैपिटल बना सकते हैं लेकिन हम अपनी सीट को भी गरीबों को जमीन दिलाने में लूज कर सकते हैं।

आखिरी बात सेटिलमेन्ट की है। मैं मानता हूं कि सेटिलमेन्ट के अधिकारी काफी अनुभवी हैं लेकिन गढ़वाल के इलाके में बड़ी अव्यवस्था है। वहां पर खाने के नाम पर पैसा काट लिया जाता है और कहा जाता है कि लिख कर दे दो कि पैसा मिल गया। तो जहां हर डिपार्टमेन्ट में भ्रष्टाचार है उसी प्रकार से इसमें भी है, इस में कोई नयी बात नहीं है। तो मैं कमिश्नर साहब का और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप सेटिलमेन्ट कराने में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित कराने की कोशिश करते हैं उसी तरह से इस बिल के इम्प्लीमेन्टेशन में भी करें। इन शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि कुमायूं की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसपर विचार किया जायगा। आज वहां की एग्रीकल्चरल इकोनामी फेड कर रही है। टनकपुर से हरद्वार तक अगर १० हजार आदमियों को नहीं बसाया जायगा तो आर्थिक व्यवस्था हल नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं जहां तक इस बिल का सिद्धांत है उसका समर्थन करता हूं और माननीय गोविन्द सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बिल का जो असली नक्शा था वह इसे देर में इस सदन में लाने के कारण बहुत कुछ नष्ट हो गया है। कुमायूं में जमींदारी अबालिशन कानून देर में लाने के कारण वहां जो सरमायेदार लोग अथवा जो थोकदार और हिस्सेदार लोग थे उन को लूट करने को खुली छूट मिल गयी और उसका नतीजा यह हुआ कि जो वास्तव में कच्चे खायकर हैं, कटियां हैं, सिरतान अथवा पागास्त हैं, ऐसे जो लोग भूमि कमाने वाले हैं, जो खुद काश्त करते हैं उन को जो लाभ इस बिल से पहुंचना चाहिये था वह नहीं पहुंच सका। ठीक दस वर्ष के बाद मैदानी भाग में जमींदारी समाप्त होने के इतने विलम्ब के कारण यह लाभ नहीं पहुंच पाया है। जिन्होंने अपनी मेहनत

से जंगलों को काट कर और पहाड़ों को तोड़ कर भूमि को खेती के काबिल बनाया था वह किन्हीं कारणों से उन के नाम पर नहीं नापी जा सकी। ऐसी हालत में उन लोगों को उस जमीन से बेदखल कर दिया गया और थोकदार व हिस्सेदारों ने सिरतानों पर तरह-तरह की ज्यादतियां की हैं क्योंकि उन को यह भय हुआ कि जब वहां जमींदारी विनाश बिल लागू होगा तो जिस भूमि पर जिस का कब्जा होगा वह उस की मिल्कियत हो जायेगी। उस का नतीजा यह हुआ कि उन गरीब किसानों के साथ बड़ी ज्यादतियां हुईं और उनको अपने बाप-दादों के गांव से भी बेदखल होना पड़ा।

मान्यवर, १९५४ में एक बेदखली की रोक के लिये एक बिल इस सदन में लाया गया था, लेकिन उससे भी उन को कोई राहत नहीं मिली। यह कहना पड़ेगा कि पंजाब और बंगाल से आये हुए रिफ्युजियों को तो बहुत सी सुविधाएं दी गयीं हैं लेकिन इन घर के शरणार्थियों को जो कि बेदखल किये जा रहे थे कोई सुविधा नहीं मिली और इस बिल को इतने विलम्ब से लाकर मैं कहता हूं कि उनके साथ बड़ा भारी अन्याय किया गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसे वापस ले लें।

श्री रामप्रसाद नौटियाल---वापस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत तो इस की है कि जो इस बिल का मकसद था वह हो गया होता तो अच्छा था, अब तो केवल वर्गवाद ही मिट पायेगा और आज तो ऐसी बात है कि एक किस्म की खाई इन दोनों के बीच में पैदा हो गयी है कि जो उनके आपस में ताल्लुकात पूर्व थे वह नहीं रहे हैं। जो बड़े छोटे लोगों के बीच में प्रेम होता था और छोटे लोग बड़ों के लिये एक आदर रखते थे वह इस बिल के विलम्ब से पास कराने में लाभ के बजाय इन सिरतान और खायकर किसानों को बड़ी हानि पहुंची है और एक दूसरे के शत्रु बन गये हैं, राग द्वेष की भावनायें इन के बीच में अधिक जागृत हो गई हैं। जिस खाई को पाटना हमारे लिये कठिन हो रहा है लेकिन अब भी गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस बिल को पास करा देवे और कुमायूं में जो खायकर सिरतान पद्धति अपने राज्य चलाने के लिये अंग्रेजों ने कायम कर रखी थी वह आगे वर्गवाद मिटाने के सहायक होगी और कालान्तर में इस बिल के पास होने से द्वेष की भावना जाती रहेगी। एक दूसरे को हीनता की दृष्टि से नहीं देखा जा सकेगा।

मान्यवर, मुझे यह सुझाव देना है कि कुमायूं में हिस्सेदार ऐसा वर्ग है जो पूर्ण रूप से अपनी भूमि का मालिक है और अपनी भूमि को वह जिसे चाहे दान दे सकता है, गिरवी रख सकता है, बेच सकता है, रेहन रख सकता है और धार्मिक भाव से प्रेरित होकर दान भी दे सकता है। इसी प्रकार से पक्का खायकर अपनी जमीन को रेहन रख सकता है, बेच सकता है और धार्मिक भाव से प्रेरित होकर दान भी कर सकता है। औलाद मर जाय या न हो तो उस की लड़की या उसका कोई निकटतम सम्बन्धी उस का हकदार हो सकता है। दूसरे जो कच्चे खायकर होते हैं वह हिस्सेदार की राय के बिना अपनी जमीन को रेहन करना, दान देना अथवा बेऔलाद मर जाने से खाता अलग होने पर सगे भाई भतीजे को नहीं दे सकते हैं। तीसरा सिरतान मौरूसी को जो हक हुकूक हैं वह यह हैं कि उसे हिस्सेदार उस काश्त भूमि से अलग बेदखल नहीं कर सकता है। कहीं-कहीं हिस्सेदारों ने उन्हें बेदखल कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट इस बात को रोक नहीं सकी है।

मान्यवर, दरअसल कुमायूं के इतिहास को देखा जाय, वहां पर आदिवासी जाति इन्हीं लोगों की है जो हरिजन कहलाते हैं। दूसरे लोग अधिकतर बाहर से आये हैं। इनमें जोशी, पांडे, पन्त, पंवार, रजबार आदि हैं। ये लोग मुसलमानों के शासन काल में राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से आये बताये जाते हैं। सरदार लोग गढ़ियों में रहते थे, सिपाही तथा साधारण लोगों ने जंगलों को काटकर और पहाड़ों को तोड़ कर भूमि को खेती के योग्य और अपने रहने योग्य स्थानों को बनाया तथा इन सरदारों को गढ़ियों पर कमा कर अन्न आदि पहुंचाते रहे हैं। जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने उस जमीन को ठेके पर इन्हीं थोकदार

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

लोगों को दिया जो गढ़ियों पर निवास करते थे और दूसरे लोगों को जो स्वयं काश्त करते थे उनको इस प्रकार गुलाम बनवा दिया है । आज जमीन के मालिक वही लोग हैं जो लाभकर धंधों में लगे हुए हैं। लाभकर धंधों से मेरा मतलब यह है कि जिस का एक भाई थानेदार है, दूसरा कलेक्टर है, तीसरा पल्टन में कर्नल है तो एक वकील है और जमीन के भी यही लोग मालिक हैं। इनके अलावा उन के बंगले लैन्ड्सडाउन, नैनीताल, रामनगर में भी हैं। व्यापार भी उन के हाथ में है और मठ मन्दिरों के मठाधीश भी यही लोग हैं। इसलिये शोषण अब बन्द हो जाना चाहिये अथवा न्यूनतम रह जाना चाहिये तब ही समाजवाद को पनपने का अवसर मिलेगा। आज हम ने बड़े संघर्ष के पश्चात् अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाला है। आजादी के फल चखने का अवसर सब ही को मिलना चाहिये। इसके लिये सरकार के सामने कई दिक्कतें आवेंगी जिस का सरकार को दृढ़ता के साथ सामना करना चाहिये। श्रीमन्, एक ओर गवर्नमेंट तो इस प्रकार के कानून बना रही है कि जिस का जोत उसका खेत और दूसरी तरफ वह बड़े-बड़े फार्म भी कायम करा रही है। एक ओर बहुत से भूमिहीन किसान जमीन के लिये तरस रहे हैं और दूसरी ओर एक के पास हजारों एकड़ जमीन फार्मों के रूप में सरकार द्वारा दी गई है। देखा जाय तो हरिद्वार से ले कर टनकपुर तक हजारों एकड़ जमीन ऐसी हैं जो भूमिहीनों को दी जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं कर के असरदार लोगों को यह भूमि दी गयी है और इन भूमिहीनों के लिये अब तराई में भूमि रही ही नहीं बतलाई जाती है और जो वन की भूमि है उसको काटा जायेगा तो विनाश हो जायगा, आदि बातें विशेषज्ञ लोग कहते रहते हैं यदि वन खंडों के अन्दर की जमीन को भी उन को न दें तो वह जमीन तो दी जा सकती है जिस पर हजारों एकड़ के फार्म कुछ लोगों के बने हुए हैं और चन्द लोग ही उनसे लाभ उठाते आ रहे हैं। अथवा अलग-अलग सहकारिता के नाम पर हैं। सच तो यह है कि वह नाममात्र के सहकारी फार्म हैं और वह असल में एक ही परिवार के पास हैं।

एक ओर सरकार ने जमींदारी खत्म की दूसरी ओर हजारों बीघा और एकड़ के फार्मों को सरकार ने कायम किया। अब आप सीलिंग का बिल ला रहे हैं उस में आप रख रहे हैं कि एक परिवार, जिसके चार सदस्य होंगे, ४० एकड़ तक जमीन रख सकता है। सच्चाई और निर्भयता सदा साथ रहती है ? इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार जितने भी कानून बनाये, सोच समझ कर बनाये। इस प्रकार की चीजें बहुत दिनों तक बरदाश्त नहीं की जायेंगी। और उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। उससे लोगों में रोष पैदा होगा। इसके ऊपर गम्भीरता के साथ विचार करना होगा और फिर से सोचना होगा। यह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी का सवाल है कि जो दबे हुए आदमी हैं उन को हमें काम देना है और रोजी देना है तथा शिक्षा आदि देनी है। यह सही बात है कि केवल मात्र नाम का कानून पास हो जाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिये हृदय बदलना होगा और उसके लिये कोई विशेष उपाय करना होगा। जहां पर आवश्यक हो तो वहां तो मकसद को हासिल करने के लिये सख्ती भी बरतनी होगी।

अधिष्ठाता महोदय, खासतौर से मेरा निवेदन यह है कि तराई भावर में बहुत सी जमीन ऐसी है जहां पर सरकार की अपनी जमींदारी है तो वहां की जमींदारी का विनाश होना आवश्यक है और किसी व्यक्ति के पास १५ एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिये। और ऐसा होगा, तभी पहाड़ों के भूमिहीनों को जमीन मिल सकेगी। इस सदन में कई सदस्यों ने कहा कि जो लोग बाहर से आये उन्होंने हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस कानून के अनुसार उनका कब्जा बहाल नहीं होना चाहिये। नहीं तो वहां के आदिवासियों के साथ बड़ा अन्याय होगा—खास कर तो उन लोगों के साथ जो वर्षों से ही नहीं बल्कि पीढ़ियों से पहाड़ों पर भूमि हीन हैं और तराई भावर को अपना आंगन समझते हैं। उनके लिये ऐसा कानून बना चाहिये जिस से उन को कुछ सुख शान्ति व राहत मिल सके। ऐसा न हो कि जिस से वे परेशान हो जायं। उदाहरण के लिये सरकार ने १९५४ में बेदखली को रोकने का कानून बनाया लेकिन वह खाली कागज पर बना हुआ रह गया। उस से गरीब किसानों को

कोई फायदा नहीं हुआ। इन लोगों ने वकीलों से, डिप्टी से, डिप्टी कमिश्नर से कहा कि आखिर यह क्या हो रहा है जो हम लोगों को जबरन बेदखल किया जा रहा है। लेकिन किसी की भी मजाल नहीं पड़ी कि वे इन सरमायेदारों के विरुद्ध कोई रोक लगा सकें। कानून लेकर हम चाटते ही रह गये लेकिन उस से गरीबों का कोई फायदा नहीं हुआ। गरीब हमारे मुंह की ओर देखते थे और हम उन के मुंह की ओर देखते थे। अक्सर ऐसा हुआ कि इन गरीब सिरतान, पागास्त किसानों को मारपीट कर आधी रात में आग लगा कर घरों से निकाला जाता था और उस दृश्य को देख कर किसी भी हृदय रखने वाले का दिल भर जाता था। यह तो वही बात हुई कि "जिस की लाठी उस की भैंस"।

जहां तक मुआवजे का सवाल है कि किस को मिले, कितना मिले और किससे मिले तो पक्के खायकर से मुआवजा दिलाने का कोई सवाल ही नहीं रह जाता है, जैसे कि मैंने निवेदन किया था कि पक्के खायकर के साथ बड़ी ज्यादती होगी यदि उस से मुआवजा लिया जाय और उसे वहां के जमींदारों को दिया जाय। सब से पहले विकट बन्दोबस्त सन् १८८४ में हुआ था। उस समय ये खायकर अथवा सिरतान, पागास्त किसान के पास उदाहरण के लिये एक रुपये रकम की जमीन पर कब्जा मान लिया जाय तो बाद में बन्दोबस्त में यह जमीन किसान ने बढ़ा कर अपनी ही मेहनत दो रुपये रकमी पहाड़ और जंगलों को तोड़ कर बना ली और एवटसन बन्दोबस्त में तीन रुपये या चार रुपये रकमी बना दी है तो हिस्सेदार को विकट बन्दोबस्त वाली एक रुपये रकमी जमीन का मुआविजा मिलना चाहिये। यह खायकर, सिरतान किसान भेंट, मिठाई तथा बेगार के रूप में इन हिस्सेदारों को बेटी, बेटा के विवाह आदि शुभ, अशुभ कार्यों में भी भेंट पूजा देते थे और सम्मान में बकरा भी भेंट किया जाता था। इस तरह से तरह-तरह से रस्म रिवाज के नाम पर ये किसानों का कुछ न कुछ शोषण कर ही लिया करते थे। कहने का मतलब यह है कि थोकदारों ने किसानों से पहले ही बहुत कुछ ले लिया है इस लिये उन को मुआवजा देने का सवाल ही नहीं होना चाहिये।

मैं निहायत अदब के साथ आप के द्वारा इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार किसानों का कुछ भला करना चाहती है तो यह बड़ी ज्यादती होगी यदि उन से मुआवजा ले कर इन हिस्सेदार, थोकदारों को दिया जाय। यह बिल्कुल गलत है। अगर गवर्नमेंट उन को कुछ देना ही चाहती है तो उस के लिये सरकार अपना कोई अलग से फन्ड कायम करे, और उस से उन को दे देवे। लेकिन ऐसा न कर के किसानों से ले कर उनको दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह उन के साथ इन्साफ नहीं होगा क्योंकि पहाड़ का किसान देश के किसान की तरह नहीं था। उस ने अपने हाथ से ही पहाड़ को तोड़ा और जंगलों को काट कर खेती योग्य भूमि बनायी है। यदि उस से मुआवजा लिया गया तो वह भूमि उसे बहुत ही मंहगी पड़ेगी जिसको जोतने बोने का वह इन सरमायेदार लोगों को बेगार आदि अनेक रूप से जनश्रम आदि मुआवजा देता आया है। मैं समझता हूं कि यह उन के साथ इन्साफ नहीं होगा क्योंकि मैदान के किसानों की और इन खायकर, सिरतान किसानों की समता नहीं हो सकती है। वहां पर पहले से ही बहुत से अधिकार किसानों को मिले हुए हैं। इस बिल से ज्यादा राहत उन को नहीं मिल रही है, क्योंकि इस बिल में मुआवजा दिये जाने का प्रबन्ध किया गया है। इस वक्त तो इतनी सी राहत होती कि जो कब्जा उस के पास था वह नाप दिया गया होता और उस की बेदखली न होती लेकिन अगर उनसे मुआवजा लिया गया तो उस को लेने के देने पड़ जायेंगे, वह तो जमीन से भी गया और उस को कीमत भी देनी पड़ी। हिस्सेदार लोग उन को मार-पीट कर या तो भगा देंगे अगर कोई कमजोर होंगे, अगर कोई भागने वाला न हुआ तो उस को २० नाली जमीन में से ५ नाली दे कर कह देंगे कि इतनी जमीन तेरे नाम कर देंगे और तू १५ नाली जमीन छोड़ दे। वह ५ नाली पर ही जबरन राजी कर दिया जाता है। इस तरह के सुलह-समझौते के बाद २० नाली में से केवल ५ नाली जमीन ही उस गरीब के नाम पर लिखी जा रही है इसलिये मैं निहायत अदब के साथ कहूंगा कि जो बन्दोबस्त पहाड़ में हो रहा है वह भी विचित्र प्रकार का है।

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

इस विषय में मैं विशेष न कह कर माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वहां पर किस तरह से गांवों की सरहदों पर बाउन्डरी बन रही है। किस तरह से वहां इस बन्दोबस्त के द्वारा गरीबों को चूसा जा रहा है। हो सकता है कि कागजातों में वह चीज न हो लेकिन वहां के अमीन तथा आफिसरों का रवैया बहुत ही सोचनीय है। मुझे बड़ा अफसोस है कि जब सन् १९३८ में वहां पर एवटसन सेटिलमेंट हो रहा था उस समय मैं जिला कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन था। उस समय एक डिप्टी कमिश्नर और चार ए० आर० ओ० वहां पर थे। मैंने स्वयं कितने ही अमीनों को जो गड़बड़ करते थे, सजा दिलायी थी और यहां तक उन्हें रिश्वत आदि लेने में पीटा भी गया था और उनका खुले आम में ट्रायल किया गया था। इस में जो रुपया लिया गया था वह उन लोगों को लौटा दिया जाता था जिनसे लिया गया था। इस बात को गढ़वाल के सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ने किस तरह से उस समय वहां की जनता को चेतना और राहत दी थी, लेकिन आज तो और ही कुछ बात नजर आ रही है जिसके उपाय के लिये सरकार और जनता की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं इस समय एक विधायक हूं। ऐसी बातें अब मैं नहीं कर सकता हूं। इस समय जो बन्दोबस्त हमारे यहां हो रहा है उसके सेटिलमेंट कमिश्नर यहां पर बैठे हैं वे भी इस बात का ध्यान रखें कि क्या उन लोगों की दिक्कतें हैं और किस तरह से वहां के लोगों को राहत दिलायी जा सकती है।

श्री अधिष्ठाता—आप इधर सुनें, गैलरी में बैठे किसी व्यक्ति के बारे में आप यहां रेफरेन्स नहीं कर सकते।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, श्रीमन्।

श्री रामप्रसाद नौटियाल—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि...

श्री अधिष्ठाता—मैं यह कह रहा था कि जो व्यक्ति या आफिसर गैलरी में बैठे हैं उनका आप रेफरेन्स नहीं कर सकते। आपको जो कहना है, चेयर से कहें।

श्री रामप्रसाद नौटियाल—ठीक है, मैं उन शब्दों को वापस लिये लेता हूं। एक निवेदन मुझे यह करना है कि जो बन्दोवस्त इस समय गढ़वाल में हो रहा है उसमें बहुत से ऐसे गांव हैं जहां बहुत सी गोचर जमीन आसपास के गांवों की भी शामिल थी। लेकिन अब अलग-अलग बाउन्डरी कायम कर दी गयी हैं जिससे दीवारें गांव-गांव के बीच में कायम हो गयी हैं। जैसा कि अभी माननीय रावत जी ने भी कहा कि इन दीवारों से दूसरे गांवों के लोग बनों में अपने गाय बच्छियां नहीं चुगा पाते हैं और न काश्तकारी के लिये लकड़ी अथवा जानवरों के लिये घास प्राप्त कर सकते हैं। जब कि पुराने जमाने से ये गोचर आसपास के गांवों के साझे होते थे चाहे वे किसी भी गांव की सरहद में हो। सभी का गोचर भूमि पर अपने जानवरों को चराने का समान अधिकार होता था। जब से पंचायत बन यहां पर कायम हुये हैं उससे गांव के लोगों में मुकदमेबाजी बहुत बढ़ गयी है जिससे अधिकतर गांव बरबाद होते जा रहे हैं। अस्तु मेरा यह सुझाव है कि इन कम्युनल फारेस्ट्स को गांव पंचायतों के हवाले कर दिया जाय अथवा पंचायत विभाग के सुपुर्द कर दिया जाय। इसमें कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, जैसे कि पहले सभी गांवों के आस पास की जमीन साझी समझी जाती थी जो कि बंजर भूमि होती थी और सब लोग काश्तकारी की लकड़ी और जानवरों को चराया करते थे उनके लिये अब भी वही पुराने हक कायम रहने चाहिए। जो फारेस्ट पंचायती हैं यदि वे गांव सभा के अधिकार में आ जायं तो बड़ी सुविधा गांव के लोगों को मिल जायगी और गांव की मुकदमेबाजी भी बहुत कुछ कम हो जायेगी।

कुछ जमींनें ऐसी भी हैं जो फ्री सेम्पुल स्टेट के रूप में हैं। उनके आसपास भी गांव हैं। लेकिन उन गांवों के लोगों को भी इन स्टेटों के अन्दर जानवर चराने तथा दूसरे प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जब कि देश स्वतंत्र हो गया है, उस हालत में ऐसी स्टेटों का रहना किसी भी

हालत में ठीक नहीं है। अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के सम्मुख कुमायूं जमींदारी विनाश बिल जो प्रस्तुत किया गया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और आपके द्वारा मैं इस प्रदेश की सरकार को इस क्रान्तिकारी कदम के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। इस प्रदेश में २ जुलाई, १९५२ को जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई लेकिन जमींदारी के कुछ अवशेष पहाड़ों पर जीवित रह गये थे और आज सरकार ने इस बिल को पास करने के लिये जिस मुस्तैदी के साथ इसे पेश किया है मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि जिन बातों का इस बिल में कोई समावेश नहीं है उनको लेकर यहां वाद-विवाद क्यों किया जा रहा है। मैंने इस बिल को पढ़ा, उसमें यह लिखा है कि जिस दिन से प्रदेश की सरकार इस बात की घोषणा कर देगी कि इस क्षेत्र से यह जमींदारी प्रथा समाप्त होती है उसी दिन से समस्त खायकरों को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि कच्चे खायकर को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त होंगे या पक्के को होंगे। यह तो पहाड़ी जमींदारों की चालें हैं जो कि उन्होंने काश्तकारों को जो वहां पर खायकर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जमीनों से बेदखल करने के लिये या लावारिस मर जाने के बाद पुनः अपना अधिकार करने के लिये चली हैं। सरकार ने इस बिल में कच्चे और पक्के को कहीं मानन्यता नहीं दी है बल्कि इस बात की स्पष्ट घोषणा की है कि समस्त खायकरों को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त होंगे।

मैंने अभी कुछ समय पूर्व कहा था कि इस क्रान्तिकारी बिल को लाने के लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। २ जुलाई, १९५२ को जब इस प्रदेश में इस बात की घोषणा की गई कि आज से इस प्रदेश के समस्त काश्तकारों की जमीन पर से जमींदारों के अधिकार समाप्त किये जाते हैं तो इस बात की भी घोषणा की गई थी कि जो किसान अपने लगान का १० गुना सरकारी खजाने में जमा कर देगा उस किसान को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त होंगे और उसका लगान भी आधा कर दिया जायगा, लेकिन इस बिल में कहीं भी इस बात की घोषणा नहीं की गई कि जिस दिन से कुमायूं में जमींदारी खत्म हो जायगी उस दिन से खायकर को अपने लगान का कितने गुना देने के बाद भूमिधरी के अधिकार प्राप्त होंगे ? वरन् इस बात की घोषणा इसमें है कि जो व्यक्ति उस दिन जमीन जोत रहा होगा वह यदि खायकर हो तो उसकी जोत पर उन हिस्सेदारों के, जिन्हें पहाड़ में जमींदार न कह कर हिस्सेदार कहा जाता है, उनके अधिकार समाप्त हो जायंगे और समस्त खायकरों को, जो कि हमारे यहां पहले मौरूसी या सीरदार के रूप में थे जिनको १० गुना देने के बाद भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन कुमाऊं में बिना किसी एक पैसे के दिये भी भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यह सचमुच समाजवादी सरकार का पहला कदम है कि खायकर से बिना किसी तरह का पैसा लिये इस प्रदेश के पहाड़ी किसानों को इस प्रकार का अधिकार दिया है कि जो जोत रहा है उसको जमींदरी समाप्त होने के बाद भूमिधरी के अधिकार प्राप्त होंगे।

एक भाई ने कहा कि वहां अधिवासी तो होंगे ही नहीं लेकिन उनको वह सुविधायें क्यों दी जा रही हैं जो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की धारा २४० आदि में दी गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन्होंने क्या इस बिल के पृष्ठ १८ पर जो धारायें लिखी हुई हैं उनको पढ़ने का प्रयत्न किया है ? कुमायूं जमींदारी समाप्त हो जाने के बाद न खायकर रहेंगे, न सीरदार रहेंगे और न हिस्सेदार रहेंगे बल्कि वहां किसानों की एक नई श्रेणी बनायी जा रही है जो तीन श्रेणी में होंगे। खायकर, सीरदार और असामी, यही तीन श्रेणियां होंगी। तो खायकर को तो यों ही भूमिधर के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे और दूसरी और तीसरी किस्म के काश्तकारों को, जो सीरदार और असामी के नाम से पुकारे जायंगे, जिनको पहाड़ी भाषा में सीरतान कह लीजिये या कुछ भी कह लीजिये, उनके लिये धारा २७ में दिया हुआ है कि यदि सीरदार अपने लगान

[श्री जगन्नाथ लहरी]

का १५ गुना जमा कर देता है तो उसको भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और अगर असामी २५ गुना जमा कर देता है तो उसको भी भूमिधरी के अधिकार प्राप्त होंगे। तो आज मैदानी इलाके में जब कि एक अधिवासी को २० गुना जमा करने के बाद भूमिधरी के अधिकार प्राप्त होंगे उसी तरह से सीरतान और असामी को १५ गुना और २५ गुना दे कर भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो नामों का हेरफेर है और कुछ नहीं।

एक बात यह कही गई कि ३० गुना तक प्रतिकर दिया जायगा। मेरी समझ में नहीं आया कि बिल की किस धारा में लिखा हुआ है कि ३० गुना प्रतिकर दिया जायगा ? पृष्ठ ८ पर लिखा हुआ है कि खायकर का जो मौजूदा लगान होगा उस लगान का १२ गुना हिस्सेदार को मुआवजे के रूप में मिलेगा और या जो मालगुजारी वह देता है उसका अधिक से अधिक ३० गुना तक मिल सकता है। तो एक निश्चित रकम कर दी गई कि लगान का १२ गुना या सरकार को दी जाने वाली मालगुजारी का अधिक से अधिक ३० गुना मुआवजा मिलेगा। यह बात स्पष्ट है कि मैदानी इलाके में जहां जमींदारों को कम्पेन्सेशन दिया गया था जिसका रेट कम था, लेकिन उसके बाद कुछ जमींदारों को जो कि छोटे-बड़े जमींदार थे उनको जमींदारी समाप्त हो जाने के बाद उनके जीवन यापन के लिये पुनर्वास भत्ते के रूप में कुछ कम्पेन्सेशन और दिया गया है। लेकिन यहां पर १२ गुना लगान का, और ३० गुना मालगुजारी का दिया जा रहा है। फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि प्रतिकर के साथ पुनर्वास के भत्ते की मांग क्यों की जा रही है ? यह कहा जाता है कि छोटे-छोटे जमींदार थे। मैं बतलाता हूं कि मेरे एक रिश्तेदार थे। उनका एक जमींदार पर १० हजार रुपया चाहिये था। उन्होंने उस कर्जे की अदायगी के लिये थोड़ा सा खेत हमारे उन रिश्तेदार को दे दिया और वह उसका जमींदार हो गया, लेकिन वह जमींदार उनका काश्तकार बना रहा जिस दिन जमींदारी खत्म हुई हमारे रिश्तेदार को ८ रुपये मुआवजे के मिले और इस तरह से मैदानी इलाके में कितने ही ऐसे जमींदार थे जिनको कोई मुआवजा नहीं मिला। चन्द रुपये उनको दे दिये गये। लेकिन यहां पहाड़ी इलाके में ३००, ४०० रुपये जब मुआवजे के मिल रहे हैं तो उनको क्यों हिचक हो रही है। सांप चाहे छोटा हो या बड़ा, सांप का बच्चा सांप रहेगा। उसका काम है काटने का। सांप का विष एक-सा ही काम करेगा। इसलिये इस देश में समाजवादी समाज की स्थापना करनी है तो हमें छोटे और बड़े जमींदारों के जाल में नहीं फंसना चाहिये, बल्कि जमींदारी प्रथा को समूल नष्ट करके इस प्रदेश से समाप्त कर देना चाहिये। इसलिये हमें यह कतई नहीं सोचना चाहिये कि यह जमींदार छोटा है या बड़ा है। इस खाई को अब पाट देना चाहिये।

मैदानी इलाके में जमींदार और किसान कहते हैं कि इस प्रदेश के कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं और इसलिये पहाड़ों पर उनकी जमींदारियां समाप्त नहीं हुईं। लेकिन आज जब यह बिल पास करने जा रहे हैं और यह पास होकर ऐक्ट बन जायगा तो उन भाइयों का मुंह बन्द हो जायगा और वे यह कहने का दावा नहीं कर सकेंगे कि हमारे कुछ भाइयों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। बल्कि यह कहा जायगा कि इस प्रदेश की सरकार ने समता का व्यवहार किया और प्रदेश की समस्त भूमि से जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। अतः मैं इस कुमायूं जमींदारी अबालीशन बिल का स्वागत करता हूं और हमको इसे जल्दी से जल्दी पास करने की कोशिश करना चाहिये।

एक बात यह कही गयी कि लोगों को खान व जंगलों से महरूम कर दिया जायगा लेकिन इसका विधान इस बिल में कहीं नहीं है। पृष्ठ ८ पर लिखा है "इस अध्याय की कोई बात किसी भी व्यक्ति के निम्नलिखित किसी अधिकार पर किसी भी प्रकार से प्रभाव न डालेगी :

विज्ञापित क्षेत्र में स्थित किसी भी खान में, जो तत्समय प्रदत्त विधि द्वारा प्रशासित हो, काम करते रहने का अधिकार पर," तो इस बिल के द्वारा खानों में काम करने का पूरा अधिकार सरकार ने लोगों को दे रखा है। यह भी कहा गया कि प्राइवेट फारेस्ट्स सरकार छीनने जा रही

है। लेकिन यह सही नहीं है। हो सकता है मैं गलत कह रहा होऊं। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे धारा ६ को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे जिसमें लोगों को खान में काम करने के अधिकार बदस्तूर रहेंगे और लोगों के प्राइवेट फारेस्ट्स के अधिकार बदस्तूर रहेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं। इस बिल की धारा ४० और ४२ में व्याख्या कर दी गयी है कि कौन सा व्यक्ति सीरदार होगा और कौन सा असामी होगा। धारा ४२ में यह स्पष्ट लिखा हुआ है :

"(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ९ और ३३ के खंड (ख) के अधीन असामी बन जाता हो,

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका धारा ४१ के खंड (घ) में अभिदिष्ट भूमि पर काश्तकाराना कब्जा हो, और

ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे में बाग भूमि हो, किन्तु जो स्वयं बागदार न हो;

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमिधर या सीरदार ने अपने खाते के अन्तर्गत भूमि पट्टे पर उठा दी हो,

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे गांव सभा ने या ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसा करने का अधिकार हो, धारा ४१ में वर्णित भूमि पट्टे पर उठा दी हो, और

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी और रीति से अधिनियम अथवा अन्य किसी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार असामी के अधिकार प्राप्त कर ले।"

तो आज उत्तर प्रदेश के जमींदारी विनाश कानून में जो बहुत सी खामियां रह गयी थीं उन सबको दूर करते हुये एक ऐसा कदम उठाया गया है कि जो जमीन जिसके कब्जे में है उसका उसको मालिक करार दिया जा रहा है। जमींदारी एबालिशन के वक्त अगर कोई खायकर होगा तो उसे खायकर, और सिरतान होगा तो उसे सीरदार मान लिया जायगा। इसलिये हमें ऐसे बिल का विरोध न करके स्वागत ही करना चाहिये। लेकिन मैं बड़े विनम्र शब्दों में एक बात और कहना चाहता हूं कि यह तो ठीक है कि "देर आयद दुरुस्त आयद", सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो वह भूला नहीं कहलाता मगर इस प्रदेश के पहाड़ी अंचल से जमींदारी समाप्त करने में जहां आठ वर्ष की देरी हो गयी वहां कहीं ऐसा न हो कि इस कानून को अमल में लाने में अनावश्यक विलम्ब किया जाय। ८ अगस्त सन् १९४६ को इस प्रदेश से जमींदारी समाप्त करने का प्रस्ताव आया था, सन् १९५० तक जमींदारी विनाश कानून बनाया गया और २ जुलाई, १९५२ से इस प्रदेश के मैदानी इलाके में वह लागू हुआ। लेकिन इस बिल में कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जिससे यह पता चल सके कि किस तिथि से यह कानून लागू होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति द्वारा इसको कानून का रूप दिये जाने के बाद इसे लागू करने में अनावश्यक देरी न लगायी जाय और उन पहाड़ी भाइयों को जिनकी गर्दनें जमींदारों के खूनी पंजों में जकड़ी हुई हैं जल्द से जल्द छुटकारा दिलाइये।

अब मैं भाई गोविन्द सिंह जी बिष्ट से बड़े विनम्र शब्दों में एक बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार को शर्म नहीं आती, उसने पहाड़ी लोगों को केवल बर्तन मलने वाला बना दिया है। मैं आगरा जिले से आ रहा हूं। वहां के जो कमिश्नर हैं सनवाल साहब, वह एक पहाड़ी हैं। कुछ दिनों पूर्व वहां के जो कलेक्टर थे, जोशी साहब, वह भी पहाड़ी थे। तो पहाड़ के लोग कमिश्नर और कलेक्टर भी हैं, एम० एल० ए० भी हैं। गत वर्ष नैनीताल जाने का भी मुझे अवसर मिला था। वहां के आलीशान होटल और कोठियां भी मैंने देखीं। तो पता नहीं कि ये पहाड़ी लोग क्या मैदान वालों के यहां डाका डालते हैं जो इतनी जल्दी तरक्की कर लेते हैं या भावावेश में आकर माननीय गोविन्दसिंह जी सदन के लोगों को धोखे में डाल रहे थे या जिस जनता का वे प्रतिनिधित्व यहां कर रहे हैं वह उनकी निगाह में इतनी गिरी हुई है क्योंकि वह मेहनत और परिश्रम से अपनी जीविका कमाती है। आज हमारे समाज के अन्दर जो छुआछूत का कलंक है उसका कारण यही है कि जिन भाइयों ने समाज की श्रम द्वारा सेवा की उनको नीच माना गया।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं, माननीय सदस्य विषयान्तर कर रहे हैं। कृपया विषय पर बोलें।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं उसी पर आ रहा हूं। वह मेहनत करके और बर्तन मल कर अपनी जीविका भले ही कमाते हों लेकिन चोरी नहीं करते। आज श्रम करने वाले हर व्यक्ति की हमें प्रतिष्ठा करनी है। और समाजवादी समाज का यह लक्ष्य है कि हर श्रमिक चाहे वह नीचे से नीचा काम करता हो उसको श्रद्धा का पात्र समझना चाहिये। श्रम करने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिये। लेकिन आपकी नजर में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आज पहाड़ी अंचल में बर्तन मलने वाले ही नहीं बल्कि सब तरह के लोग हैं और मैं यह बात श्रीमन्, इसलिये भी कहना चाहता था कि जमींदारी विनाश के कानून के पास हो जाने के बाद यदि किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा लाभ होगा तो उस बर्तन मलने वाले समाज को ही होगा। वह आज वहां जमींदारों के चंगुल में फंसकर अपना पापी पेट भी नहीं भर पाता है और उसे जूंठे बर्तन मलने के लिये यहां मैदान में आना पड़ता है और किसी तरह से अपने पापी पेट को भरता है। कल जमींदारी खत्म हो जाने के बाद उसको भूमिधरी और सीरदारी के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे तो वह अपनी जमीन पर सोना पैदा करने का प्रयत्न करेगा और उसको फिर इस पापी पेट को भरने के लिये किसी के जूंठे बर्तन नहीं मलने पड़ेंगे। अगर आपकी नजर में जूंठे बर्तन मलना बुरा काम है तो जल्दी आइये और प्रयत्न कीजिये कि जल्दी से जल्दी पहाड़ी अंचल से जमींदार समाप्त हो जाय और उसको अपनी जमीन पर अधिकार प्राप्त हो जाय। आज श्रीमन्, क्या होता है? मेहनत वह करता है और फल दूसरा ले लेता है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात आपके द्वारा कहना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट ने कहा था कि हिस्सेदारों को बाजार भाव से मुआवजा दिया जाय क्योंकि लगान बहुत थोड़ा है। आज उनको बाजार भाव से मुआवजा दे दिया जायगा तो क्या वह इस बात के लिये तैयार हो जायेंगे कि वह अब तक जमीन का लगान जिसका वह प्रति एकड़ एक रुपया देते थे परन्तु किसानों को वह ३०,४० और ५० रुपये प्रति एकड़ में उठाते थे तो जो उन्होंने नाजायज तरीके से रुपया काश्तकारों की मजदूरी के कारण पैदा किया है। इन हिस्सेदारों ने गरीब किसानों का खून चूसकर रुपया पैदा किया है और आज मालदार हो गये हैं, उन्हीं को बिष्ट जी सरकार से बाजार भाव से मुआवजा दिलाना चाहते हैं तो मेरी मांग है कि जो आज तक वह लगान वसूल करते थे वही उनसे वसूल किया जाय। फिर देखा जाय कि वह हिस्सेदार तैयार हो जायेंगे या नहीं। जो बाजार भाव से उन्होंने लगान वसूल किया है क्या उसको वह सरकार को देने के लिये तैयार हो जायंगे।

श्रीमन्, आज समय का तकाजा है कि आंधी में दिया जलाओगे तो बेवकूफ कहे जाओगे। जब बाढ़ आती है तो बाधाओं को नहीं सोचती है और बड़ी बड़ी चट्टानों को और महलों को उखाड़कर फेंक देती है। आज हमारे देश के अन्दर समाजवाद की लहर आ रही है, आंधी चल रही है और हम क्या बात करें? आज हर शख्स समाजवाद का नारा बुलन्द करता है। मैं कह सकता हूं और जन संघ के लोगों से कहता हूं कि जब चुनाव पोस्टरों में श्यामा-प्रसाद जी मुकर्जी का फोटो लगाया गया था तो उसके नीचे यह लिखा था कि "समता लाने के लिये और सम्पत्ति के बंटवारे के लिये जनसंघ को वोट दो"। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि समता का क्या मतलब है? इसका मतलब है कम्यूनिज्म। क्या वह कम्यूनिज्म को मानते हैं? आपने यहां तक कहा कि कुमायूं जमींदारी बिल पास कर दिया जायगा तो देश में बगावत हो जायगी आपकी यह बात सुनकर मुझे अत्यन्त दुख हुआ। हमने आपका साथ दिया है। श्रीमन्, कल तक जब यह बोलते थे तो हमारे सामने चीनी फौज का एक हौवा खड़ा कर देते थे कि जो चीनी फौजें पड़ी हुई हैं अगर आज पहाड़ी अंचल में सड़कें नहीं बनाई गई, इंडस्ट्रीज नहीं खोली गई और वहां विकास का कार्य नहीं किया गया तो चीनी आ जायेंगे और श्रीमन्, इसी का नतीजा हुआ कि हमारी भारत सरकार ने और प्रदेशीय सरकार ने उत्तराखंड नाम का एक डिवीजन

बना दिया। इन छोटे से जिलों के विकास के लिये, जो एक छोटी सी तहसील हैं, ३० करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। इतना रुपया जो खर्च किया जायगा वह किस की मांग पर ? चीनी होआ की वजह से आवागमन के साधन किये जायं जिससे लोगों को रोजी मिले। लेकिन जिस जनता के लिये ३० करोड़ रुपया खर्च किया गया और एक नया डिवीजन बनाया गया, वह जनता जमींदारों के चंगुल में इस तरह से फंसी हुई है, कि खतरा है कि वहां की जनता बगावत करने के लिये तैयार हो जायगी, और चीनियों से मिल जायगी। तो मैं समझता हूं कि चीनीयों से मुठभेड़ लेने से पहले हमें जमींदारों से मुकाबला करना पड़ेगा। देश की वह रुकावटें और बाधायें जो समाजवादी समाज को बनने से रोक रही हैं उनके लिये चाहे हिंसा का सहारा लेना पड़े, जितनी जल्दी से जल्दी हो उन्हें समाप्त कर देना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, मैं कुमायूं जमींदारी अबालीशन ऐक्ट का हार्दिक स्वागत करता हूं जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े-बड़े क्रांतिकारी कदम उठाये हैं। उसे शीघ्रातिशीघ्र पास कर देना चाहिये। यह बिल, ऐसा नहीं है कि अंतिम हो गया हो। उत्तर प्रदेश जमींदारी अबालिशन बिल में, मेरे इस तीन वर्ष के असेम्बली के जीवन में, कई बार संशोधन आ चुके हैं। यह कोई दावा नहीं करता कि यह बिल अपने आप में पूर्ण है। समय-समय पर आवश्यकता को देखते हुए, सरकार संशोधन लायेगी। आज जो बिल है, उसको उसी रूप में पास कर देना चाहिये तभी हम जनता के, किसान और मजदूरों के सच्चे प्रतिनिधि कहलायेंगे। बिना किसी विलम्ब और बहस के इस क्रांतिकारी बिल को बिना किसी संशोधन के पास कर देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ इस जमींदारी अबालिशन बिल का मैं स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बोलने के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—बिल में नहीं होता।

श्री टीकाराम पुजारी—बिल हो या गैर बिल हो सब, में होता है। समय निर्धारित कर दिया जाय। दस मिनट....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठें।

श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। मैं अपने मंत्री महोदय का भी आभारी हूं, जो उन्होंने इस बिल को सदन के सम्मुख पेश किया है। उनको मैं इसके लिये बधाई देता हूं।

यह वह बिल है जिसके लिये हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि यह बिल आयेगा। बहुत दिनों के बाद यह बिल आया। यह बिल उस वक्त आ गया था जबकि यहां जमींदारी उन्मूलन मैदान में हो रहा था। उसी वक्त हम लोगों ने जिनको इस बिल की इच्छा थी, प्रयत्न किया था। लेकिन यह बिल जैसे भी हुआ, दबता रहा। आखिर में यह प्रगट रूप में आज आया है। इस बिल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और इसके लिये आदरणीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इस बिल से इस बात की पूर्ति होगी जिसकी पूर्ति होनी चाहिये थी। जमींदारी उन्मूलन से मतलब यह है कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है उनसे ले कर उनको दी जाय जिनके पास नहीं है। ऐसा मैदानों में भी हुआ था। इस के संबंध में

[श्री खुशी राम]

मतभद होने से यह अब आया है । यही इस बिल से भी होने वाला है । यह स्वाभाविक बात है कि कुछ लोगों में खलबली उस समय भी मची थी,और आज भी जो इस सदन के सम्मुख विचार प्रगट किये हैं, उससे भी टपकती है, कि वास्तव में इसको किसी न किसी प्रकार रोको, ऐसा करो, वैसा करो यह वही बात है बाधा डालने की। खैर, इन सब बातों का खयाल न करते हुए हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने जो कुछ किया है और वह जो इस बिल को लाये हैं उसके लिये वह बधाई के पात्र है। मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि जो कुछ भी बातें हो सकती हैं वह सब इस बिल में मौजूद हैं। उनको बार बार दोहराना उचित नहीं होगा, बल्कि जो कुछ भी इसमें ऐसी बातें थी, उनको मेरे पूर्व वक्ता बता चुके हैं जैसे रावत साहब, प्रताप सिंह जी या और लोग और इन लोगों ने जो कुछ भी दर्शाया है वह ठीक ही है। मैं उस अंश का समर्थन करता हूं जिससे कि भूमिहीनों को भूमि दी जाने का संबंध है। इसमें और कुछ ज्यादा कहने की गुंजाइश है नहीं। सिर्फ सवाल यह है कि इसका हम समर्थन करें या विरोध करें। तो मैं तो इसका हृदय से समर्थन करता हूं और और भी महानुभाव जो उन भूमिहीनों की भलाई के समर्थक हैं वह भी इसका समर्थन करेंगे। इस बिल में मुझे यही कहना है कि जो यह हिस्सेदारी, खायकरी और सीरतानी का झगड़ा है वह तय हो रहा है और इसमें यह कहा गया है जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया है कि १५ गुना, २० गुना जो लगान दे देगा वह भूमिधर हो हो जायगा। अगर है तो ठीक ही है और वह है इसमें।

आखिरी बात मुझे यही कहनी है कि इस बिल का समर्थन करते हुए कुमायूं के भूमिहीनों की जो हालत है उसको मैं इसलिये दर्शा रहा हूं कि जो इस बिल का मंशा है वह यही है कि उन भूमिहीनों को भूमि दी जावे। तो इसके लिये जिम्मेदारी माननीय मंत्री महोदय की है और उसमें ऐसा कार्य किया जाय, जिससे उन गरीबों को राहत मिले। जिस उद्देश्य के लिये यह बिल लाया गया है वह उद्देश्य पूरा होना चाहिये।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यही मुझे कहना है और मैं समझता हूं कि जो बातें कही गई हैं उनको दुहराना उचित नहीं नहीं है। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और यही कहता हूं कि इसे शीघ्र ही पारित करके कार्यान्वित किया जाय।

राजस्व उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल)—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से अभी कोई नहीं बोला है। देवी प्रसाद जी खड़े थे तब तक क्लोजर मोशन आ गया। तो मेरा निवेदन यह है कि क्लोजर मोशन, वह बोल लें उसके बाद लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, उनके बाद मैं ले लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—एक चीज मैं अर्ज कर रहा था । यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। इसमें उन लोगों की सारी जमीन जायदादें ली जा रही हैं। जब इसी किस्म का बिल आया था मैदानों का तो उसमें वर्षों लगे थे। तो कम से कम इतनी जल्दी न की जाय। उधर के भी कई माननीय सदस्य यह सोचकर नहीं बोले कि कल मौका मिलेगा। तो अभी क्लोजर मूव न किया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इतनी डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह बिल संयुक्त प्रवर समिति से लौटकर के आया है। तो जनरल डिस्कशन इसके ऊपर होना ही नहीं चाहिये। लेकिन इतना वक्त जो दे दिया गया वह काफी दिया गया। अब यह है कि चूंकि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कोई बोल नहीं सका है इसलिये मैं एक के लिये इजाजत दिये देता हूं। उसके बाद क्लोजर के ऊपर राय ले लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट——अभी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी कोई नहीं बोला है।

श्री सीताराम शुक्ल——माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा हुआ जो आप इसी वक्त पर आ गये। अभी तक जितने लोग बोले हैं, वह इसके पक्ष में बोले हैं। इसके प्रतिकूल तो एक भी स्पीच नहीं हुई। इसकी आलोचना नहीं हुई। तो मौका दिया जाय उसको भी कहने का।

श्री टीकाराम पुजारी——श्रीमन्, आपकी नजर मेरे ऊपर भी हो जाय तो आज यह बुड्ढा भी बोल ले।

श्री अध्यक्ष——आप कृपा करके बैठिये।

***श्री देवी प्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)——अध्यक्ष महोदय, मैं आज के इस बिल का स्वागत करता हूं। हालांकि देर बहुत हो गई है लेकिन जैसा विष्ट साहब ने कहा, यदि और समय उनको मिलता तो उनकी तकलीफ बढ़ती ही, कम न होती। मेरा ख्याल यह है कि सरकार इस बिल को भी यदि इ स समतल के लिये जब बिल आया था उसके साथ ही पास कर देती तो विष्ट साहब को इधर के और उधर के विष्ट साहब को दोनों को कोई शिकायत नहीं हुई होती। इन दोनों को कोई शिकायत न हुई होती, क्योंकि दोनों साथ रहते, लेकिन मैं यह समझता हूं कि सरकार ने देर करके वास्तव में उनकी तकलीफ को बढ़ाया और जितनी भी देर होती जायगी उतनी तकलीफ और ज्यादा महसूस होगी। वह अब यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी भी जमीन छीनी जा रही है। अगर साथ ही हम रहे होते तो उनको महसूस न होता। सब की जा रही थी तो उनकी भी चली जाती। मैं विष्ट साहब से निवेदन करूंगा कि विष्ट साहब जल्दी से जल्दी इस बिल को पास करें ताकि उनको कोई दिक्कत न रहे।

उन्होंने जो तर्क दिया वह मेरी समझ में नहीं आया। पहाड़ पर ऊंची-नीची जमीन हुआ करती है, इसी तरह से आदमी भी ऊंचे नीचे होने चाहिये और बराबर के आदमी नहीं होने चाहिये, तो अगर यह तर्क उन्होंने दिया होता तो हमारी समझ में कुछ आता कि वहां पर इस तरह के बड़े और छोटे आदमी रहने चाहिये लेकिन जो तर्क उन्होंने दिया वह कुछ उल्टा था। उन्होंने यह कहा कि चीनी लोग आ रहे हैं और बहुत तेजी से आ रहे हैं, उनसे बचाने के लिये वहां पर जमींदारी का रहना जरूरी है। हमने जहां तक समझा था और कम्युनिस्टों का सिद्धान्त भी जो अभी तक जाना था वह यही कि उनका प्रचार और उनका आघात वहां पर ज्यादा लगता है जहां पर कुछ रिएक्शनरी कहने के लिये कुछ उनको गुंजायश रहती है। जहां पर जमींदार लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर उनके पैर ज्यादा जमते हैं। यह विष्ट साहब का तर्क बड़ा उलटा था कि अगर वहां पर जमींदारों की बड़ी-बड़ी जमीदारी ले ली जायगी तो कम्युनिस्ट वहां पर बड़ी जल्दी आ जायेंगे, यह हमारी समझ में नहीं आया। अगर विष्ट साहब कम्युनिस्ट सिद्धान्त को जानते हैं और वहां पर जरा भी चीनी खतरे को देखते हैं तो इस बिल के पास करने में एक मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिये ताकि चीनी खतरा उत्तराखंड में जो दिखाई देता हो वह खतरा किसी तरह से न आ सके। वहां पर जमींदारी और अधिक समय के लिये रहना नुकसान की बात है। जमींदारी का रहना विष्ट साहब ने वहां पर जरूरी बतलाया और वह जमींदारी का रहना चीनी से मुक्ति के लिये जरूरी समझते हैं, लेकिन कम से कम यह मेरी समझ में नहीं आया।

एक बात की शिकायत उनको कांग्रेस सरकार से हो सकती है और वह यह है कि जो कुछ वह करना चाहती है करीब ३, ४ वर्ष पहले उसका एलान कर देती है। फिर यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवी प्रसाद मिश्र]

होता है कि दोनों तरफ के लोगों को मौका मिल जाता है कि वे फायदा उठावें और फायदा उठाकर यहां हाउस में आकर शिकायत करते हैं कि उनको कम मौका दिया गया और ज्यादा मौका मिलना चाहिये ताकि और गुंजाइश निकलती रहे। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जो इरादा हो उसको जल्द से जल्द पूरा करें। उसमें देर करने से नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। हमारी पार्टी का यह सिद्धान्त रहा है और दूसरी पार्टी का भी सिद्धान्त हमसे मिलता जुलता है सिवाय जनसंघ के और एक पार्टी स्वतन्त्र पार्टी है, वह तो राजाओं की पार्टी है, वह तो इसको पसन्द नहीं करेगी, हम इनके अलावा सब चाहते हैं कि इस तरह की जमींदारी जल्दी समाप्त हो। जनसंघ पार्टी तो कभी समाजवाद की बात करती है और कभी लगान घटाने की बात करती है। शुक्ल जी का मैं जिक्र इसलिये नहीं करता कि उनके सिद्धान्त को जानता हूं। वह तो ईमानदारी के साथ जो समझते हैं कहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सरकार के इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जल्द से जल्द बिना किसी और देर लगाये इस बिल को पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र गोविन्द सिंह जी की तकरीर को बड़े गौर से सुना और मैं समझता हूं कि इस सदन में केवल मैं ही नहीं, बहुत से सदस्य ऐसे होंगे जो उनकी तकरीर के सिर पैर का ही पता नहीं लगा पाये होंगे। पहले तो उन्होंने शुरुआत की कि जमींदारी कुमायूं डिवीजन में है ही नहीं और उसकी ताईद में बहुत से स्क्रिप्चर्स कोट किये। फिर यह कहा कि इस बिल को एक सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये। शायद मेरे मित्र यह भूल जाते हैं कि जिस समय बिल सदन में आकर के प्रवर समिति में जाता है तो इससे नतीजा यह बरामद होता है कि सदन ने इस बिल के अन्डरलाइंग प्रिन्सिपिल्स को मंजूर कर लिया है। आपको मालूम है कि यह एक बार ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में पास हो चुका है और उसी समय इसके प्रिन्सिपिल्स को यह सदन स्वीकार कर चुका है।

इस जमींदारी उन्मूलन के सवाल के पीछे एक पुराना इतिहास है। सन् १९३९ में जब ग्रेट वार हुई थी तो उस समय प्रजातन्त्र और डिक्टेटरशिप में लड़ाई थी। किन्तु भगवान् की कृपा से डेमोक्रेसी की जीत हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया में ऐसा प्रभाव डेमोक्रेसी का फैला कि सन् १९४६ में कांग्रेस सरकार आई। तब कांग्रेस सरकार ने भी यह सोचा कि यह जो लैन्डलार्ड और टेनेन्ट सिस्टम है अपने प्रदेश में, इसका खात्मा होना चाहिये। उस समय ८ अगस्त, १९४६ को एक प्रस्ताव भी इस बात का पास हुआ था कि जमींदारी हमारे सूबे से खत्म हो। उसी प्रस्ताव के आधार पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधेयक पेश हुआ था और वह इसी सदन से पास भी हुआ और लागू भी हुआ। इसी विधेयक की धारा २ में यह दिया हुआ है कि इस विधेयक के सारे प्रावीजन्स कुछ संशोधनों के साथ कुमायूं डिवीजन में भी लागू होंगे और सरकार उस बात पर विचार करती रही। उसके बाद ही उसमें कुछ तरमीमात की गयीं और फिर कुछ रूल्स बने। जब वह जाकर फाइनल हुए तो यह सोचा गया कि बिना सब्सटैन्टिव संशोधन के यह प्रावीजन लागू करने में दिक्कत है। तो इन तमाम बातों के कारण देरी हुई और जब सरकार ने निश्चय किया तो इस शक्ल में यह बिल हमारे सामने आया। बिल, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं और मैंने अभी कहा, ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में होकर आया है। हमारे मित्र कहते हैं कि फिर दोबारा इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। तो प्रस्ताव देखकर तो मैं यह समझता था कि वाकई में जब माननीय सदस्य बोलने

खड़े होंगे तो ऐसी खामियों का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से इसको फिर सेलेक्ट कमेटी में भेजना जरूरी है और जिनका ठीक होना संशोधन द्वारा मुश्किल है और संशोधन के रूप में वे सदन के सामने नहीं आ सकतीं। मैं इस बात की आशा करता था कि कुछ आवश्यक बातें सामने रखी जायेंगी। लेकिन हमारे मित्र ने तकरीर तो की करीब सवा घंटा, मैं यह तो नहीं कह सकता कि वह मुनासिब थी या नहीं थी, उसमें कितनी जायज बातें थी और कितनी बेकार, कितनी रेलेवेन्ट थीं और कितनी इर्रेलेवेन्ट, वे किसी की समझ में आई या नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि उनके भाषण में कुछ तत्व की बात ढूढंना उसी प्रकार मुश्किल था जिस प्रकार एक भूसे के ढेर में गेहूं का दाना बीनना। तो जब तक मेरे मित्र यह कायल न कर दें कि इस बिल में ऐसी ऐसी खामियां रह गयी हैं जिनका ठीक होना इस सदन में संशोधन द्वारा मुश्किल है, तब तक उनकी बात कैसे मान ली जाय कि इसको फिर प्रवर समिति में भेजा जाय? लेकिन हमारे मित्र ने ऐसी कोई बात नहीं कही। बात यह कही कि धमकियां दीं, बद-दुआएं दीं कि अगर इस तरह का बिल पास किया जाता है तो पहाड़ी इलाके में गदर हो जायगा, बालकैनो फट पड़ेगा। शायद हमारे मित्र जानते नहीं हैं कि जिस वक्त उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक पेश था और बंदा ही पाइलट कर रहा था तो बड़े बड़े जमींदार, राजा और ताल्लुकेदार जो कि पहाड़ के जैसे जमींदार नहीं थे, उनसे कई गुना बड़े थे उन लोगों ने बड़ी-बड़ी धमकियां दी थीं, तब सरकार के रोंगटे नहीं खड़े हुए। अब अगर कोई पिगमी की शक्ल में आकर हमको धमकियां दे तो सरकार के रोंगटे खड़े नहीं हो सकते। वहां की जो जनता है वह वहां के जो हिस्सेदार कहे जाते हैं उनके मजालिम से पीड़ित हैं।

हमारे बहुत से मित्रों ने, रावत जी ने, लहरी जी ने भी हमारे काम को बड़ा हलका कर दिया। रावत जी ने वहां के सब हालात बताये कि किस तरह से सीरतान बनाये गये, किस तरह से खायकर बनाये गये। अगर वहां की तवारीख पढ़ी जाय लैन्ड रेवेन्यू के सिलसिले में तो ये सारे हालात अयां हो जायंगे। हमारे मित्र ने कहा कि लीजिये, वहां के लोग तो यहां बर्तन मांजते हैं। इसके जिम्मेदार वही हिस्सेदार लोग हैं। उन्होंने वहां के गरीबों का खून जिस तरह से चूसा है और जिस तरह से उनके सारे हुकूक हड़प कर लिये हैं, उससे उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय बर्तन मांजने के। जैसा कि देवी प्रसाद जी ने कहा, अगर यह विधेयक पास हुआ और हिस्सेदारों के मजालिम कम हुए तो जो ज्यादतियां वह सिरतान और खायकरों पर करते थे वह नहीं कर सकेंगे और नतीजा यह होगा कि उनको भी अपनी जमीन पर कुछ हक होगा।

बहुत से हमारे भाई हिस्सेदारों ने, जब से विधेयक का नाम सुना है कि पेश हो रहा था तो जबरदस्ती बेदखलियां कर दी हैं। उस संबंध में भी हमने इसमें कुछ प्रावीजन रखा है। कहां तक वह काफी होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन पेश होने के १८ महीने के अन्दर अगर कोई इजेक्ट हुआ हो तो वह अपनी जमीन वापस लेने के लिए दरख्वास्त दे सकता है, उसे वापस मिलेगी। इसी तरह से जो उन पर अत्याचार हुए हैं वह दुनियां जानती है, किसी से छिपा नहीं है। लोगों के पास खेती नहीं है, सिक्योरिटी आफ टेन्योर नहीं है। आज उन्होंने मेहनत करके खेत को किसी काबिल बनाया तो दूसरे दिन बेदखल हो जाते हैं। इन्हीं शिकायतों की वजह से यह विधेयक आया। तो यह न सरकार की जिम्मेदारी है, न प्लेन में कोई जिम्मेदार है कि वहां के ज्यादातर लोग बर्तन मांजने के काबिल रह गये हैं, उसके जिम्मेदार वही हिस्सेदार हैं। यह वह भी महसूस करते हैं और सभी लोग जानते हैं।

मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। अभी यह विधेयक इस सदन के सामने आयेगा, क्लाज बाई क्लाज इस पर विचार किया जायगा। जो संशोधन दिये जायंगे उन पर भी विचार होगा, तो जो कुछ एतराजात हैं वह रफा हो सकेंगे। लेकिन मैं अपने भाई प्रताप सिंह का आभारी हूं कि उन्होंने भी गोविन्द सिंह जी के प्रस्ताव को बेकार समझा

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

और उसकी मुखालिफत की। हस्ब दस्तूर उन्होंने दो-चार बातें प्रोपेगेंडे की भी कह दीं, खैर, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, वह तो जिसकी जैसी आदत है उससे मजबूर होकर वैसा करता है। लेकिन मैं गोविन्द सिंह जी से कहूंगा कि वह धमकी से काम न लें, सावधानी से काम लें। जैसा कि सदन का मूड है, यह बिल जल्द से जल्द पास होना चाहिये।

जिस समय मैं कंसीडरेशन मोशन मूव करने के लिये खड़ा हुआ था तो एक वैधानिक आपत्ति उठायी गयी। वैसा ही कई मर्तबा हुआ। उससे मतलब यह था कि यह विधेयक अव्वल तो पेश ही न हो और अगर पेश भी हो तो जितनी देर हो सके उतनी देर में पेश हो जिससे इस बीच में जो कुछ इन्तजाम करने हैं और जो खामी रह गयी है वह पूरी हो जाय और तब वह बिल यहां पर आये। तो मैं अर्ज करता हूं कि यह सदन इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित करे। मैं समझता हूं कि यह जितनी जल्दी पास हो जाय उतना ही अच्छा है। इसलिये मेरी इस्तदुआ है कि सदन इस प्रस्ताव को नामंजूर करे ताकि इस बिल पर क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन शुरू हो।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५७ जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक को परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ (Kumaun Zamindari Abolition And Land Reforms Bill, 1957) जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---वह तो आप कर चुके, अब आप "नहीं" कह सकते हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---अध्यक्ष महोदय, जो पुराने संशोधन थे उनको मंगा लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---पुराने संशोधन तो समाप्त हो गये। आज जितने संशोधन आ जायंगे वह मैं ले लूंगा।

खंड २

२---राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्पूर्ण अधिनियम को अथवा उसके किसी उपबन्ध को ऐसे अपवादों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुये जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो तथा जिन्हें वह आवश्यक समझे---

(क) किसी ऐसे आस्थान या उसके किसी भाग पर जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या छावनी बोर्ड के स्वामित्व में हो,

(ख) किसी नागर क्षेत्र में जैसा कि उसकी परिभाषा उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि--व्यवस्था अधिनियम, १९५६ में की गयी है, और

(ग) नैनीताल जिले के तराई भावर परगने के किसी भावर गांव में जो अभी तक जमींदारों के पास है लागू कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि यह अधिनियम अथवा उसके उपबन्ध ऐसे अपवादों अथवा संशोधनों सहित या रहित उक्त आस्थानों पर इस प्रकार लागू किये जांय तो किसी भी वर्तमान विधि का उतना अंश जितना कि इस प्रकार लागू किये गये इस अधिनियम या उपबन्धों अथवा उसमें किये गये किन्हीं परिष्कारों से असंगत हो, निरसित किया गया समझा जायगा ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से खंड २ में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

१---खंड २ में उपखंड (ख) के अन्त में आने वाला शब्द 'और' निकाल दिया जाय ।

२---खंड २ की मद (ग) में आये हुये शब्द 'तराई भावर परगने' के स्थान पर शब्द 'तराई तथा भावर सब डिवीजन' रख दिये जांय ।

३---खंड २ में उपखंड (ग) के अन्त में तथा शब्द 'लागू कर सकती है' के पहले शब्द 'और' बढ़ा दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित उपखंड (घ) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(घ) गढ़वाल जिले के गांव मावाकोट (पट्टी मोटाढाक) बलभद्रपुर जिसे घोसी खाता भी कहते हैं। पट्टी सुखराव (धारा जिसे धारों भी कहते हैं, झिरतामल्ला और कोठी राम) पट्टी गढ़वाल भावर तथा प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द 'आस्थानों' के स्थान पर शब्द 'क्षेत्रों' रख दिया जाय।"

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि इन संशोधनों की प्रतिलिपि हमारे पास नहीं है, इसलिये हम इस पर क्या विचार कर सकते हैं इसलिये अगर इसको कल ले लिया जाय तो बड़ा अच्छा रहेगा ।

श्री केशव पांडेय---यह तो शाब्दिक संशोधन थे ।

श्री अध्यक्ष---इसमें (घ) वाला जो संशोधन है वह इस तरह से समझ में नहीं आयेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई हर्ज नहीं है अगर आप कल कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---आज इस बिल पर एक बजे से विचार शुरू हुआ था। साढ़े तीन घंटे अब तक हो चुके हैं। अब कल इसे लिया जायगा । कल संशोधन छप जावेंगे। लेकिन जिनको और संशोधन देने हों वे आज मेरे कार्यालय में ५ बजे तक दे दें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, आज शाम के ६ बजे तक कर दें, क्योंकि ५ बजे तक तो समय बहुत कम है । कुछ समय तो मिल जाये जिसमें इसे देख सकें।

श्री अध्यक्ष---अच्छा, ६ बजे तक दे दें।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२ मई, १९६० ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर)

क्रम-संख्या	वर्ष	क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र वाराणसी		बीज फार्म चन्दौली		नयाबीज फार्म, कल्लीपुर	
		आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	१९५०–५१	—	—	८,७९०	६,०१२	—	—
२	१९५१–५२	—	—	८,५७४	११,४२१	—	—
३	१९५२–५३	—	—	११,१७१	९,९५५	—	—
४	१९५३–५४	—	—	१०,०९४	८,७१०	—	—
५	१९५४–५५	—	—	७,८११	९,२८९	—	—
६	१९५५–५६	—	—	९,९१७	९,३६४	—	—
७	१९५६–५७	२५,२४४	२३,८२३	११,५९५	१०,५६९	—	—
८	१९५७–५८	१६,३८३	१४,५२३	११,५१३	१०,२९७	—	—

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४ पर)

पैदावार प्रति एकड़ (मनों में)

वर्ष	गेहूं			धान			गन्ना			मटर		
	मन	सेर	छ०	मन	सेर	छ०	मन	सेर	छ०	मन	सेर	छ०
१९५६–५७	.. ११	३३	३	१७	३६	१२	५४०	१	९	६	३७	१२
१९५७–५८	.. १४	३९	१	१९	१	९	४३१	३९	०	३	२८	०
१९५८–५९	.. १०	१५	६	१९	१४	४	२१७	२४	६	५	२	५

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४ पर)

STATEMENT SHOWING NUMBER OF POSTS AND ALSO NUMBER OF PERMANENT AND TEMPORARY POSTS IN THE CANE DEVELOPMENT DEPARTMENT

	Post	Total number	Number of posts permanent	Number of posts temporary	Personnel permanent
1.	Class I Gazetted ..	3	—	3	—
2.	Class II Gazetted ..	35	13	22	1
3.	Group I	57	8	49	1
4.	Group II	234	94	140	61
5.	*Miscellaneous*— Auditor, Audit Supervisor, Computor, Artist and Cameramen, Junior S.A. etc.	89	70	19	53
6.	Group III	1,054	428	626	308
7.	Ministerial	391	146	245	140
8.	*Inferior*— Peons, Orderly Peons, Daftri, Jamadar, Sweeper, Cowkidar, etc. ..	431	274	157	208
9.	Kamdars	2,588	1,020	1,568	742
10.	Drivers, Cleaners and Operators	34	Nil.	34	—
	Total ..	4,916	2,053	2,863	1,514

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४१ पर)

सूची उन समितियों की जिनमें गबन हुआ

१९५६–५७

१—लोहागढ़ सहकारी समिति।
२—अलीनगर, सहकारी समिति।
३—कायमगंज, सहकारी संघ।

१९५८–५९

१—सहकारी संघ, तालिग्राम।
२—सहकारी संघ, तकीपुर।
३—क्षेत्रीय सहकारी समिति, प्रेमपुर
४—सहकारी संघ, चिलसरा।
५—सहकारी समिति, मलगवां।
६—सहकारी समिति, कटरा रहमत खां।
७—मार्केटिंग सोसाइटी, कायमगंज।

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४३ पर)

क्रम-संख्या	फसलों और पौधों के नाम	आरक्षित क्षेत्रफल	रोगों के नाम	उपचार की विधि	अनुमानित धन जो कि उपचार में व्यय किये गये	कर्मचारियों का भत्ता
१	२	३	४	५	६	७
१९५६–५७					रु० न०पै०	रु० न०पै०
१	नीबू ..	४,६१७ पौधे ..	नीबू का कोढ़ ..	ग्रसित शाखाओं को काट कर पौधों पर ०.३ प्रतिशत पैरीनाक्स के घोल का छिड़काव किया गया	३३४.६८	१,०६२.१८
२	पपीता ..	१४,६२६ पौधे ..	ऐंथ्रिकनोज ..	,, ,, ,,	९२.६२	
३	आम ..	३० पेड़ ..	डाई बैंक ..	ग्रसित शाखाओं को काट कर उन पर चौबटिया पेस्ट का लेप किया गया ..	१२.९४	
४	आलू ..	१०.७ एकड़ ..	पछती झुलसा ..	फसल पर ०.३ प्रतिशत पेरीनाक्स के घोल का छिड़काव किया गया	६३.५०	
				योग	५०३.७४	
१९५७–५८						
१	नीबू ..	७,७१५ पौधे	नीबू का कोढ़	ग्रसित शाखाओं को काट कर ०.३ प्रतिशत पैरीनाक्स के घोल का छिड़काव किया गया।	३३३.४१	
२	आम	१६६	डाई बैंक	ग्रसित शाखाओं को काट कर उन पर चौबटिया पेस्ट का लेप लगाया गया। ..	२६.१२	११३९.३७

क्रम-संख्या	फसलों और पौधों के नाम	आरक्षित क्षेत्रफल	रोगों के नाम	उपचार की विधि	अनुमानित धन जो कि उपचार में रुपया किये गये	कर्मचारियों का भत्ता
१	२	३	४	५	६	७
३	आलू ..	१५.६ एकड़ ..	पिछैती झुलसा ..	फसल पर ०.३ प्रति शत फाइटोलान के घोल का छिड़काव किया गया	९६.१८	
				योग	४५५.७१	
१९५८–५९						
१	नीबू ..	१,१७० पौधे ..	नीबू का कोढ़ ..	ग्रसित शाखाओं को काट कर उन पर ०.३ प्रतिशत फाइटोलान के घोल का छिड़काव किया गया।	१०४.८८	१,०३६.३७
२	तम्बाकू ..	५.७५ एकड़ ..	डैम्पिंग आफ ..	फसल पर ०.३ प्रतिशत फाइटोलान के घोल का छिड़काव किया गया। ..	३०.०५	
				..	१३४.९३	
				योग	१,०९४.३८	३,२३७.९२—
					अथवा	३,२३८

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४९ पर)

(अ) निजी क्षेत्र

क्रम-संख्या	मालिक का नाम तथा पता		क्षेत्रफल (६० एकड़ से ऊपर)
१	२		३
१	श्री विशुनाथ प्रसाद व शिवशंकर लाल पुत्र बहादुर माल, सा० मोतीगंज, बलरामपुर ..	दुलहिनपुर बलरामपुर	६६.४९
२	श्री राम रानी धर्मपत्नी श्री अमर नाथ डाकखाना बलरामपुर	लालपुर व जोरावरपुर	६८.१६
३	श्री राम बक्स पुत्र ठाकुर बक्स, सा० खगईजोत, डाकखाना बलरामपुर	जोरावरपुर	६६.६१
४	श्री महाराज पाटेश्वरी प्रसाद सिंह पुत्र महाराजा भगौती प्रसाद सिंह, डा० बलरामपुर	बालपुर	२७.१२
		गोपालपुर	१९.६२
		सिरसिया	३१९.८७
५	श्री दिलीप कुमार बोस पुत्र दुर्गा चरन बोस, सा० बलरामपुर	सोनपुर	५१.३५
	मुकाम निरझारानी बेवा दुर्गाचरन बोस, सा० बलरामपुर	सोनपुर	१२.६५
		बालपुर	४.५७
	नोट —मां व पुत्र के नाम भूमि है और दोनों ग्राम की भूमि एक ही चक में है।		
६	श्रीपत सिंह पुत्र हजारी सिंह, सा० बलरामपुर ..	सोनपुर	३३.५६
	श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्रीपतसिंह सा० बलरामपुर ..	सोनपुर	२३.०१
	श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्रीपत सिंह, सा० बलरामपुर ..	सोनपुर	२४.५०
	नोट :—भूमि बाप व पुत्र के नाम है और एक ही चक में है।		
७	श्री लाल बिहारी टण्डन पुत्र बनवारी लाल, सा० शहर गोंडा		६२.३१
८	भइया जगदीश दत्त राम पांडे पुत्र भैइया अम्बिका दत्त पान्डे सा० शहर गोंडा		
९	श्रीमती रानी चम्पावली, जौजे भइया जगदीश दत्त राम पान्डे, सा० गोंडा		२०६.२२
	भइया भूपेन्द्रदत्त राम पान्डे पुत्र भइया जगदीश दत्त राम पान्डे सा० गोंडा		

क्रम-संख्या	मालिक का नाम तथा पता			क्षेत्र फल (६० एकड़ से ऊपर)
१	२			३
१०	महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह पुत्र सर महाराजा भगौती प्रसाद सिंह साहब बहादुर, सा० बलरामपुर डी० ए० हायर सेकेन्डरी स्कूल व गर्ल्स बेसिक प्राइमरी स्कूल व मन्दिर, जरिये हायर डी० ए० दीक्षित पिता काशी नाथ दीक्षित, सा० बलरामपुर			१७८.७६
११	श्री लाल राम नारायन लाल उर्फ राय साहेब पुत्र तिलक राम, सा० बलरामपुर			२४०.२४
१२	श्री रामचन्द्र प्रताप चन्द्र व कृष्ण चन्दर व हरिश्चन्दर पुत्र सूर्यनारायन व मु० सुभद्रा देवी बेवा सूर्य नारायण, सा० बलरामपुर			२२७.२१
१३	श्री सुहृद मणि दीक्षित व श्री देवेन्द्र मणि दीक्षित, श्रीमती बिन्दु देवी धर्मपत्नी श्री देवमणि दीक्षित आचार्य व श्री राधाबिन्दु मणि दीक्षित, सा० बलरामपुर			१३४.६०
१४	श्रीमती लक्ष्मी देवी धर्म पत्नी श्रीयुत मणि आचार्य दीक्षित व मणि आचार्य दीक्षित पुत्र श्रीयज्ञ मणि दीक्षित व श्रीमती रमा देवी बेवा राजे मणि दीक्षित, सा० बलरामपुर			१५२.५५
१५	नवाब मोहम्मद शिकोह पुत्र आसमाकद्दर व नवाब मोहम्मद अख्तर उम्र १७ साल नवाब मोहम्मद शिकोह, सा० उतरौला			१२७.३४
१६	श्री धर डोवाल पुत्र श्री राम प्रसाद डोवाल, सा० शहर गोंडा			६४.००
१७	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मदन मोहन सिंह, सा० धनवां		पूरेअंगद	१४२.३१
१८	श्री नरेन्द्रप्रसाद व सूर्य नारायन, वजीरगंज ..		चढ़ौरा	९४.१६
१९	श्री लक्ष्मी नारायन हर नारायन, गोंडा कचहरी ..		तुलसीपुर	६५.९३
२०	श्री जदुनाथ, श्याम नाथ आदि, डोमाकालपी ..		डोमाकालपी	१६२.६१
२१	श्री कुंवर आनन्द सिंह पुत्र श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, मनकापुर		मोहनपुर	१०१.९९
२२	श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह		देवीनगर गिरेन्ट	२६१.२२
२३	श्री राघवेन्द्र तदैव		जटमलपुर	१०८.५५
२४	तदैव		मौरहुया	८५.३१
२५	श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह मनकापुर		तुलसीपुर	६४२.५०
२६	श्री कृष्ण देव मैनेजर सूगर मिल, नवाबगंज ..		लक्षमनपुर गिरेन्ट	११६.६४
२७	श्री शूगर मिल नवाबगज		कल्यानपुर	७३२.५०

(ब) सहकारी आधार पर फार्म

संख्या	सोसाइटी का नाम	फार्म का रकबा
		एकड़
१	गुलरहा	११३
२	बिन्हौनी	१०७
३	श्रीनगर	१७१
४	कत्यामारी	२०८
५	डोमाकालपी	११७
६	तुलसीपुर	६३

पी० एस० यू० पी ए० पी०—४१ एल० ए० १९६०—८४५ ।